

एक नए पथ का रूपांकन



वार्षिक रिपोर्ट 2020-21



हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

(एक कोचीन शिपयार्ड कंपनी)

विषय सूची

व्यापार अवलोकन

निगमित सूचना
हमारे बारे में
व्यापार क्षेत्र
उत्पाद श्रेणी
अध्यक्षीय भाषण
निदेशक मंडल

01
02
04
05
06
08

वैधानिक रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट
प्रबंधन की चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट
निगमित शासन पर रिपोर्ट

10
20
23

वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ
तुलन पत्र
लाभ और हानि का विवरण
रोकड़ प्रवाह विवरण
इक्विटी में परिवर्तन का विवरण
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

27
35
36
37
38
40
41

सूचना

62

निगमित सूचना

निदेशक मंडल

श्री मधु एस नायर
अध्यक्ष
श्री एन वी सुरेश बाबु
गैर-कार्यपालक निदेशक
(अप्रैल 30,2021 तक)
श्री बिजोय भास्कर
गैर-कार्यपालक निदेशक
श्री जोस वी जे
गैर-कार्यपालक निदेशक
श्री चंद्र मणि रावत
गैर कार्यपालक निदेशक

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

श्री राजेश गोपालकृष्णन
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)
श्री बालकृष्णन पूवत्रा
मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)
श्री किरण के ए
कंपनी सचिव

वरिष्ठ प्रबंधन दल

श्री हरिकुमार के
उप महाप्रबंधक (हल), सीएसएल
श्री पी के मिश्रा
उप महाप्रबंधक (पी एंड ओ), एचसीएसएल
श्रीमती बिंदु कृष्णा
सहायक महाप्रबंधक (कानूनी), सीएसएल
श्री नजीब ई एच
सहायक महाप्रबंधक (नई परियोजनाएं), सीएसएल
श्री नितिन नारायण
वरिष्ठ प्रबंधक (एसआरओ), सीएसएल

श्री आनंद के

नोडल अधिकारी (वित्त), एचसीएसएल

पंजीकृत कार्यालय

प्रशासनिक भवन, एचसीएसएल परिसर, सत्यन बोस रोड
पी ओ धनेश शोक लेइन, नज़ीरगंज
हावडा, पश्चिम बंगाल - 711109
सीआईएन : U35900WB2017GOI223197

सुविधाएं

नज़ीरगंज, पश्चिम बंगाल
साल्किया, पश्चिम बंगाल

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स राइस एंड कं.
(सीए 1369)
1, गिबसन लेइन, सिधा गिबसन
दूसरा तल, सूट सं. 214
कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700069

सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स एसवीजेएस एंड एसोसियेट्स
कंपनी सचिव
प्रथम तल, 65/2364ए
पोनोत्त रोड, कलूर
कोच्ची - 682017

बैंकर

भारतीय स्टेट बैंक
फेडरेल बैंक



हमारे बारे में

सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी, हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, भारत के नामित राष्ट्रीय जलमार्गों में अंतर्देशीय जल जहाजों की भारी मांग को पूरा करने के लिए कार्यरत है।

भारत का पूर्वी तट समुद्री गतिविधि का केंद्र रहा है और जहां तक पोत निर्माण का संबंध है, यह देश के लिए प्रकाशस्तंभ रहा है। इस दिशा में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने इस क्षेत्र में पोत निर्माण क्षेत्र को और मजबूत करने के अपने प्रयास में हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) की सदियों पुरानी विरासत पर कब्जा कर लिया है जो देश के पूर्वी तट पर पोत निर्माण के अग्रदूत थे। एचडीपीईएल हुगली डॉकिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के नाम से वर्ष 1819 में स्थापित देश के सबसे पुराने शिपयार्ड में से एक है। तत्पश्चात इसका पोर्ट इंजीनियरिंग वर्क्स में विलय हो गया और इसे हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के रूप में जाना जाने लगा। सीएसएल ने इस यार्ड को ग्रहण कर लिया जिसमें नजीरगंज और साल्किया में सुविधाएं शामिल हैं और अक्टूबर 2017 में एचडीपीईएल के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) के रूप में फिर से नामकरण किया गया और उसके बाद अक्टूबर 03, 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार एचसीएसएल नवंबर 07, 2019 से सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

सीएसएल, आईडब्ल्यूआई की जलमार्ग विकास परियोजना के जरिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने हेतु भारत सरकार की विचार प्रक्रिया के अनुरूप नजीरगंज इकाई को आधुनिक पोत निर्माण सुविधा में नवीनीकृत और पुनर्गठित किया गया है। सीएसएल देश के अग्रणी शिपयार्ड से तकनीकी और डिज़ाइन समर्थन

के साथ, एचसीएसएल अंतर्देशीय क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता, आला जहाजों की मांगों को पूरी तरह से और तटीय और समुद्र जाने वाले खंड को काफी हद तक पूरा करने हेतु आश्वस्त है।

हमारी इकाई आंतरिक ब्यूए/ क्यूसी, एनडीटी, अग्नि और सुरक्षा जैसे नवीनतम जहाज निर्माण मानदंडों से सुसज्जित है और प्रत्येक कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने हेतु अनुभवी कार्यबल के साथ परिष्कृत उपकरण हैं। हम उद्योग मंत्रालय और आईएमएस प्रमाणन (आईएसओ 9001-2015- गुणवत्ता प्रमाणन, आईएसओ 14001-2015- पर्यावरण सुरक्षा और आईएसओ 45001-2018-स्वास्थ्य और सुरक्षा

प्रमाणन) से डीपीआईआईटी प्रमाणन प्राप्त करने के उन्नत चरण में हैं। विस्तारित रिवरफ्रंट के कारण स्लिपवे लॉचिंग और साइड लॉचिंग सुविधा दोनों का समर्थन करने वाले रणनीतिक स्थान के कारण हमारी सुविधा का एक अतिरिक्त लाभ है।

हम एचसीएसएल में, ग्राहकों के लिए न केवल सबसे अधिक लागत प्रभावी डिज़ाइन और जहाजों को विकसित करके एक व्यापक समर्थन प्रदान कर सकते हैं, बल्कि जहाजों से आवधिक वास्तविक समय प्रतिक्रिया पर दोष विश्लेषण और रखरखाव कार्यक्रम आयोजित करके पोत की पूरी अवधि के लिए सहायता और उसके बाद अनुसूची के अनुसार मरम्मत भी प्रदान कर सकते हैं।

एचसीएसएल में सुविधा की कुछ मुख्य विशेषताएं

- ▶ पोत निर्माण के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित सभी शॉप फ्लोर।
- ▶ 80 मीटर तक के जहाजों के लिए विंच और क्रेडल सिस्टम सहित एंड लॉचिंग (2सं.)।
- ▶ 120 मीटर तक के जहाजों के लिए साइड लॉचिंग (01 सं.)।
- ▶ जेटी के साथ फिटआउट बर्थ (04 सं.)- प्रत्येक में फ्लॉटिंग पॉटून (30 मी. x 7 मी.) के साथ गैंगवे और टवर क्रेन (5 टन)।
- ▶ ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु मानकीकृत डिज़ाइनों की विस्तृत श्रृंखला।
- ▶ प्रत्येक कार्य को समय पर पूरा करने हेतु मजबूत कार्यबल।



व्यापार क्षेत्र



पोत निर्माण

ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु मानकीकृत डिज़ाइन की विस्तृत श्रृंखला। इसमें यात्री और माल वहन क्षमता दोनों के लिए अंतर्देशीय जल, तटीय और समुद्र में जाने वाले जहाज़ शामिल है।



जीवनकाल विश्लेषण

जहाज़ों से वास्तविक समय की प्रतिक्रिया के आधार पर, दोषों और रखरखाव कार्यों पर विश्लेषण मरम्मत की पूर्व सूचना और स्लॉट करने के लिए किया जा सकता है।



मरम्मत अनुसूची

खराब होने से बचने और यंत्रों की रुकावट को कम करने हेतु उपकरणों की समय-समय पर मरम्मत।



उत्पाद श्रेणी

एचसीएसएल इन-हाउस डिज़ाइन



अध्यक्षीय भाषण



प्रिय शेयरधारकों,

मैं, बहुत खुशी के साथ हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) की 04 वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूँ।

मैं इस अवसर पर आप सभी को यह सूचित करता हूँ कि “एचसीएसएल, नज़ीरगंज यूनिट का नया यार्ड निर्माण” अपने अंतिम चरण में है और इस सुविधा को तीसरे पक्ष के निरीक्षक द्वारा “प्रचालन के लिए तैयार” के रूप में संचालन शुरू करने हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचे के संतोषजनक निरीक्षण के बाद मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा, विभिन्न अन्य प्रमुख कार्य पैकेजों जैसे यांत्रिक, विद्युत, गैस पाइपिंग, अग्निशामन आदि के तहत गतिविधियों को भी उत्तरोत्तर चालू किया जा रहा है।

आधुनिकीकरण के पहले चरण में, सीएसएल, राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करने के लिए भारत सरकार की विचार प्रक्रिया के अनुरूप, जो पत्तन, पोत परिवहन, और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आईडब्ल्यूआई जलमार्ग विकास परियोजना के जरिए संचालित किया जा रहा है, नज़ीरगंज इकाई को एक आधुनिक जहाज़ निर्माण सुविधा में नवीनीकृत और पुनर्गठित किया गया है। देश में अग्रणी शिपयार्ड, सीएसएल के तकनीकी और डिज़ाइन समर्थ के समर्थन, एचसीएसएल अंतर्देशीय क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता, आला जहाज़ों की मंगों को पूरी तरह से और तटीय और समुद्र जानेवाले खंड को काफी हद तक पूरा करने हेतु आश्वस्त है। एचसीएसएल का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में सेना को अनुकूलित समाधान प्रदान करना भी होगा।

जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 महामारी, लोगों की पारस्परिक विचार-विमर्श और संचलन, व्यापार, आपूर्ति श्रृंखलाओं और निवेश प्रवाह को बाधित करते हुए दुनिया - भर में व्यापार के संचलन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। कंपनी के लिए भी स्थिति अलग नहीं है। कंपनी को सरकारी प्राधिकारियों द्वारा महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण, मार्च 23, 2020 से जून 08, 2020 तक अपनी गतिविधियों को बंद करना पड़ा। इसके अलावा, कंपनी यास चक्रवात के कारण आनेवाली कठिनाईयों के बावजूद आगे बढ़ी, जिससे कोलकाता क्षेत्र में व्यापक

क्षति हुई, राज्य चुनावों के कारण श्रम उपलब्धता में व्यवधान और कोविड-19 की दूसरी लहर आई। हमारे मुख्य कार्यपालक अधिकारी और एचसीएसएल टीम लगातार इस कठिन समय के दौरान परियोजना की निगरानी कर रहे थे और परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने और संचालन को शुरू करने का लक्ष्य रखते हैं।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 315.70 लाख रुपए के नुकसान की सूचना दी है, जो आवश्यक शिपयार्ड बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को स्थापित करने की प्रक्रिया में है। हालांकि, वर्ष के दौरान, कंपनी ने 40.77 लाख रुपए की अन्य आय अर्जित की है, जो कंपनी के बैंक जमा पर ब्याज से अधिकांश है।

परियोजना को बढ़ावा देने हेतु, कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी को 22 करोड़ रुपए से बढ़कर 106 करोड़ रुपए कर दिया गया, जिसमें 50 करोड़ रुपए की इक्विटी शेयर पूंजी और 56 करोड़ रुपए की वरीयता शेयर पूंजी शामिल थी।

जैसा कि एचसीएसएल अपने परियोजना कार्यान्वयन के अंतिम चरण पर है और प्रचालन अभी तक शुरू न करने के कारण, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक जुलाई 08, 2014 के कार्यालय ज्ञापन एफ सं. 18(8)/2005-जीएम के अनुसार कंपनी को सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी गई है। फिर भी, कंपनी जहां भी संभव हो, सर्वोत्तम निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन में तैयारित निगमित शासन की रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करती है।

समापन से पहले, मैं एचसीएसएल के प्रबंधन को, उनके निरंतर समर्थन प्रतिबद्धता और योगदान के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं सभी बोर्ड सदस्यों को परियोजना हेतु उनके अहम मार्गदर्शन और प्रदत्त सहायता के लिए अपना आभार व्यक्त करने की इच्छा रखता हूँ। मैं माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव और अन्य अधिकारी, कोचीन शिपयार्ड

लिमिटेड (सीएसएल) के निदेशक गण और वरिष्ठ प्रबंधन, पश्चिम बंगाल सरकार और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट (एसएमपी) के अधिकारियों को परियोजना की प्रगति में उनके योगदान हेतु धन्यवाद देता हूँ। मैं कंपनी से संबंधित कर्मचारियों को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिनके प्रयासों और स्थायी प्रतिबद्धता के बिना, कंपनी इन कठिन और चुनौतिपूर्ण परिस्थितियों के दौरान कायम नहीं रह पाती।

मैं, अंतर्देशीय जल जहाज़ खंड में भारत में एक प्रमुख अग्रणी बनने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़नेवाली कंपनी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

सधन्यवाद

जयहिंद

मधु एस नायर

अध्यक्ष

डीआईएन : 07376798

“
राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करने के लिए भारत सरकार की विचार प्रक्रिया के अनुरूप, जो पत्तन, पोत परिवहन, और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आईडब्ल्यूआई जलमार्ग विकास परियोजना के जरिए संचालित किया जा रहा है, नज़ीरगंज इकाई को एक आधुनिक जहाज़ निर्माण सुविधा में नवीनीकृत और पुनर्गठित किया गया है।
”

निदेशक मंडल



श्री मधु एस नायर

अध्यक्ष

श्री मधु एस नायर कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुसार कंपनी के पहले निदेशकों में से एक है। श्री मधु एस नायर जनवरी 01, 2016 से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है। वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोचीन विश्व विद्यालय, भारत से नौसेना वास्तुकला और पोत निर्माण में प्रौद्योगिकी स्नातक उपाधि और ओसाका विश्वविद्यालय, जापान से नौसेना वास्तुकला और समुद्री इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त किया है। वे कुरे, जापान से आईएचआई शिपयार्ड में पोत निर्माण प्रणाली में प्रशिक्षित हैं और समुद्री व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (ओवीटीए), टोकियो और ओसाका अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, ओसाका जापान में जे आई सी ए विशेषीकृत प्रशिक्षण और जापान के ओसाका विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर के दौरान जॉइनिंग और वेल्लिंग अनुसंधान में शोध किया। वे विभिन्न व्यावसायिक निकायों के सदस्य है जिसमें दि रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेवल आर्किटेक्चर्स, यू के (आरआईएनए), भारत के इंस्टीट्यूशन ऑफ नेवल आर्किटेक्चर्स शामिल है, और वर्तमान में इंडो जापान चैंबर ऑफ कॉमर्स केरल (आईएनजेएसीके) के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। उनको पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग में लगभग 33 वर्ष का कार्य अनुभव है। वे टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (टीएसएल) के अध्यक्ष भी हैं, जो सीएसएल की अन्य पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है।



श्री एन वी सुरेश बाबु

गैर कार्यपालक निदेशक

(अप्रैल 30, 2021 तक)

श्री एन वी सुरेश बाबु कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुसार कंपनी के पहले निदेशकों में से एक है। श्री सुरेश बाबु अप्रैल 26, 2016 से अप्रैल 30, 2021 तक कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के निदेशक (प्रचालन) थे। उनको केरल विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग (मेकानिकल) में उपाधि और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ऑपन विश्वविद्यालय से प्रबंधन में डिप्लोमा है। उन्होंने कोलंबो योजना के अधीन जापान सरकार के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम के तहत विदेशी पोत निर्माण सहयोग केंद्र द्वारा आयोजित पोत निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण में एक साल का गूप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। उन्होंने कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सेकाइड, जापान, में शिपयार्ड के साथ एक प्रायोगिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी लिया है। इसके अलावा, उन्होंने ऑवरसीज शिपबिल्डिंग कॉऑपरेशन सेंटर में आयोजित जापानी भाषा में प्रति पूरक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। उनको पोत निर्माण, सामग्री और पोत मरम्मत प्रभागों जैसे शिपयार्ड के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 36 वर्ष का कार्य अनुभव है। श्री सुरेश बाबु एन वी, सीएसएल में निदेशक (प्रचालन) के पद से सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप अप्रैल 30, 2021 को कंपनी के निदेशक नहीं रहे। वे टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (टीएसएल) में एक निदेशक भी थे, जो सीएसएल की अन्य पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है, जो सितंबर 15, 2017 से अप्रैल 30, 2021 में निगमित हुई थी।



श्री बिजोय भास्कर

गैर-कार्यपालक निदेशक

श्री बिजोय भास्कर को एचसीएसएल के बोर्ड में अप्रैल 25, 2018 से शामिल किया गया है। वे अप्रैल 05, 2018 से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के निदेशक (तकनीकी) है। उन्होंने केरल विश्वविद्यालय से प्रथम रैंक और स्वर्ण पदक के साथ बैचलर ऑफ टेक्नॉलजी (मेकानिकल) उपाधि ली है। वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से मास्टर ऑफ टेक्नॉलजी (मेकानिकल) डिग्री भी रखते हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से प्रबंधन में उन्नत डिप्लोमा पूरा कर लिया। उन्हें वर्ष 2014 में केरल प्रबंधन एसोसिएशन द्वारा 'वर्ष का प्रबंधक' पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनको पोत डिजाइन, पोत निर्माण, आउटफिट और पोत मरम्मत जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 33 वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव है। वे टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (टीएसएल) के निदेशक भी हैं, जो सीएसएल की अन्य पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है।

निदेशक मंडल



श्री जोस वी जे

गैर-कार्यपालक निदेशक

श्री जोस वी जे को एचसीएसएल के बोर्ड में अगस्त 03, 2019 से शामिल किया गया है। वे अगस्त, 2019 से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। वे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के एक सदस्य हैं और सरकारी लॉ कॉलेज, एर्णाकुलम से कानून में उपाधि भी प्राप्त की है। उन्हें विविध क्षेत्रों जैसे वित्तीय प्रबंधन, कार्यनीति योजना, जोखिम प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, बजट और लागत नियंत्रण में लगभग 30 वर्षों का कार्य अनुभव है। वे टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (टीएसएल) में निदेशक भी हैं, जो सीएसएल की अन्य पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है।



श्री चन्द्र मणि रावत

गैर कार्यपालक निदेशक

श्री चन्द्र मणि रावत कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुसार कंपनी के पहले निदेशकों में से एक है। उनको सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री और क्रमशः एक्सआईएम, भुवनेश्वर और आईआईआरएस, देहरादून से प्रबंधन और रिमोट सेंसिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा है। वर्तमान में वे मुख्य पत्तन प्रशासक (अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूहों के पत्तनों के अंडमान एवं निकोबार समूहों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी), पोर्ट प्रबंधन बोर्ड, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने निदेशक (आईडब्ल्यूटी एण्ड इंजीनियरिंग) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के रूप में कार्य किया है और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विकास स्कंधों से संबंधित मामलों के साथ - साथ बंगलादेश और म्यानमार, भारत के अंतर्देशीय जल प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई) और टीएमपी तथा एएलएचडब्ल्यू और एचडीपीईएल सहित भारत के आईडब्ल्यूटी क्षेत्र से जुड़े कार्यों में शामिल हैं। उनको पोर्ट एण्ड हार्बर इंजीनियरिंग (कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट), नदी/ नदीमुख में ड्रेजिंग, नदी हाइड्रॉलिक और अनुसंधान एवं विकास संबंधी क्षेत्रों में लगभग 25 वर्ष से अधिक कार्य अनुभव है। उन्होंने भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय नौवहन के विकास के लिए कई देशों का दौरा भी किया है। वे हुगली डॉक व पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड में निदेशक भी हैं।

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारियों,

- आपके निदेशकों को दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ-साथ आपकी कंपनी की 04 वीं वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत करने में बहुत खुशी है ।

परियोजना - पृष्ठभूमि

- ‘हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, नज़ीरगंज इकाई का नया यार्ड निर्माण’ पूरा होने के उन्नत चरण में है और सुविधा प्रचालन केलिए तैयार है । शेष प्रणालियों और उपकरणों को अंतिम रूप से चालू करने का कार्य प्रगति पर है । वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में, सिविल कार्य के लिए 93% की प्रत्यक्ष प्रगति पहले ही प्राप्त कर ली गई है, जबकि 85% पूर्णता के साथ मशीनरी, मेकानिकल और इलेक्ट्रिकल का कमीशनिंग कार्य प्रगति पर है ।

- सिविल कार्य पैकेज के तहत निर्माण गतिविधियां, वर्ष 2019-20 में 50% का आंकडा पार कर लिया था, जब कोविड-19 के प्रकोप के कारण साइट पर सभी कार्यों का मार्च 23, 2020 को रोकना पडा था । कोविड के कारण काम का ठहराव जून 09, 2020 तक जारी रहा जो 79 दिनों की अर्वाध तक चला । कोविड के प्रभाव को कम करने केलिए साइट की सीमा के भीतर श्रमिकों को स्थानांतरित करने के बाद ही काम फिर से शुरू किया जा सकता है, भले ही यह पूरे राज्य में बेरोकटोक रहा हो । हालांकि, जून 10, 2020 तक साइट पर काम फिर से शुरू हो गया, लेकिन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए

वित्तीय विशिष्टताएं		(रुपए लाख में)	
क्र. सं.	विवरण	मार्च 31, 2021 को	मार्च 31, 2020 को
(i)	सकल आय	40.77	77.12
(ii)	वित्तीय लागत पूर्व लाभ/(हानि), मूल्यहास एवं कर	(299.36)	(197.80)
(iii)	वित्तीय लागत	(75.57)	(33.01)
(iv)	मूल्यहास एवं परिशोधन खर्च	(32.61)	(20.77)
(v)	कर पूर्व लाभ /(हानि)	(407.54)	(251.58)
(vi)	कर परिसंपत्ति	91.84	2.82
(vii)	निवल लाभ/ (हानि)	(315.70)	(248.76)

शेयर पूंजी

- अक्तूबर 15, 2020 को आयोजित बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अनुसरण में, कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 25,00,00,00 (रुपए पच्चीस

नियमित अंतरित लॉकडाउन के कारण कार्य प्रगति की गति को पूर्व-कोविड गति में वापस नहीं लाया जा सका, जिससे कार्यबल और सामग्री को वांछित स्तर जुटाया जा सके । महामारी के कारण मानव-दिवस के नुकसान को ध्यान में रखते हुए, जून, 2021 की मूल संविदात्मक समाप्ति तिथि को अप्रत्याशित घटना खंड के अनुसार सितंबर 2021 में संशोधित किया जाएगा । तथापि, शेष कमीशनिंग और संबद्ध कार्यों को जून, 2021 तक पूरा करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है सिल्वे पर निर्माण कार्य, जो खुली नदी में पर्याप्त ज्वार-भाटा, तेज पानी की धारा और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के नौवहन चैनल से निकटता के साथ किया जा रहा है ।

- पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार, मार्च 09, 2021 को श्री मधु एस नायर, अध्यक्ष, एचसीएसएल और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) और श्री विनीत कुमार, अध्यक्ष, केओपीटी की उपस्थिति में 'प्रचालन केलिए तत्परता' नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था । घटना से पहले, एबीएस इंडिया लिमिटेड के तीसरे पक्ष के निरीक्षक द्वारा साइट की तैयारी का निरीक्षण और प्रमाणित किया गया था ।

वित्तीय विवरण

- कंपनी जो अपेक्षित शिपयार्ड संरचना सुविधाएं स्थापित करने की प्रक्रिया में है, ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 315.70 लाख रुपए (248.76 लाख रुपए - गत वर्ष) की हानि रिपोर्ट की है । वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान हुए कुल पूंजी खर्च 12,211.97 लाख रुपए (3,641.56 लाख रुपए - गत वर्ष) है ।

(रुपए दस मात्र) रुपए के 6,90,00,000 (रुपए छह करोड नब्बे लाख मात्र) इक्विटी शेयरों और 56,00,00,000 (रुपए छप्पन करोड रुपए मात्र) रुपए की राशि प्रत्येक 10 रुपए (रुपए 10 मात्र) के 5,60,00,000 (रुपए पांच करोड साठ लाख मात्र) में विभाजित है ।

- मार्च 31, 2021 को कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 1,06,00,00,000 (रुपए एक सौ और छह करोड मात्र) है, जो प्रत्येक 10 रुपए (रुपए दस मात्र) के अंकित मूल्य के 5,00,00,000 (रुपए पांच करोड मात्र) इक्विटी शेयरों में जो प्रत्येक कुल 50,00,00,000(रुपए पचास करोड मात्र) में और प्रत्येक 10 रुपए (रुपए दस मात्र) के अंकित मूल्य के 5,60,00,000 (रुपए पांच करोड साठ लाख मात्र) अधिमान्य शेयरों में जो प्रत्येक कुल 56,00,00,000 (रुपए छप्पन करोड मात्र) में विभाजित है । पूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के पास है ।

ऋणपत्र

- कंपनी के पास 1,000 रुपए (केवल एक हजार रुपए) के अंकित मूल्य के 4,40,000 असुरक्षित गैर-प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र (ऋणपत्र) हैं, प्रत्येक को मार्च 31, 2021 तक बकाया है। ऋणपत्र, 44,00,00,000 रुपए (केवल चौतालीस करोड़ रुपए) की राशि के लिए सीएसएल को प्रति वर्ष 6.50% की ब्याज दर पर 60 महीनों की अवधि के साथ सितंबर 2018 के महीने में जारी किए गए थे। ऋणपत्र, सितंबर 2023 में ऋणमुक्ति के लिए देय है।

लाभांश

- कोई लाभांश की सिफारिश नहीं की गई है, इसलिए कि कंपनी फिलहाल परियोजना कार्यान्वयन चरण में है और उसका कोई विभाज्य लाभ नहीं है ।

आरक्षित निधि में अंतरण

- कंपनी परियोजना कार्यान्वयन चरण में और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान हानि होने के कारण, कंपनी आरक्षण में किसी भी राशि को अंतरित करने में असमर्थ है ।

राजकोष में अंतरण

- वर्ष 2020-21 के दौरान माल एवं सेवा कर (जीएसटी) और आयकर (टीडीएस) के माध्यम से किए कुल अंशदान लगभग 568.54 लाख रुपए (112.74 लाख रुपए - गत वर्ष) है ।

श्रमशक्ति स्थिति

- दिनांक 31 मार्च 2021 तक कंपनी में 13 कर्मचारी हैं जिनमें 8 कार्यपालक, 4 परियोजना अधिकारी और 1 मुख्य परियोजना अभियंता शामिल हैं। कंपनी

में आदर्श कार्मिक आवश्यकता स्तर सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित अतिरिक्त श्रमशक्ति की तैनाती हेतु भर्ती चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। उपरोक्त के अलावा, नियंत्रक कंपनी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के कर्मचारी भी परियोजना के सुचारू निष्पादन हेतु विशेष अस्थायी नियुक्ति पर लगे हुए हैं।

कर्मचारियों और संबंधी प्रकटीकरण का विवरण

- कॉर्परेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 05 जून 2015 के अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और इसके नियमों से छूट दी गई है । अतः निदेशकों की पारिश्रमिक के विवरण बोर्ड की रिपोर्टें में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है ।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय तथा खर्च

- कंपनी, शिपयार्ड अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना की प्रक्रिया में है और इसका उद्देश्य, जहां भी संभव हो, ऊर्जा कुशल उपायों को अपनाना है, प्रचालन शुरू होने पर प्रौद्योगिकी अवशोषण भी हासिल किया जाएगा ।

- वर्ष 2020-21 के दौरान, कोई विदेशी मुद्रा आय और व्यय नहीं हुआ है ।

जोखिम प्रबंधन

- कंपनी, अपेक्षित शिपयार्ड अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना की प्रक्रिया में है और परियोजना की प्रगति को समीक्षा एवं आवश्यक दिशा-निर्देश के लिए समय-समय पर बोर्ड को सूचित किया जाता है । एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की जा सकती है और व्यापार प्रचालन शुरू होने पर अपनाई जा सकती है ।

स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण (एचएसई)

- कंपनी ने एक सराहनीय 20 लाख दुर्घटना मुक्त सुरक्षित कार्य समय हासिल किया है । सरकार द्वारा लगाए गए देशव्यापि लॉकडाउन के बाद, जून 10, 2020 को यार्ड निर्माण गतिविधियों की शुरूआत हुई, जिससे निर्बाध कार्यगति के लिए एक कोविड मुक्त कार्य वातावरण सुनिश्चित हुआ। वर्तमान में, आईआरएस द्वारा आईएमएस प्रमाणन प्राप्त करने केलिए सभी अधिकारियों का प्रशिक्षण चल रहा है जिसके बाद प्रमाणन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा ।

औद्योगिक सुरक्षा

- कंपनी की बाह्य सुरक्षा डीजीआर प्रायोजित सुरक्षा अभिकरण, मै. कर्नल (टीएस) पृथ्वी राजन दास (सेवानिवृत्त) को सौंप दिया गया है । कुल 29 कार्मिक को तैनात किया गया है, जिसमें से 16 कंपनी के नज़ीरगंज यूनिट में और 13 साल्किया यूनिट में तैनात है ।

निदेशक मंडल एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

19. मार्च 31, 2021 के अनुसार, कंपनी में 5 निदेशक हैं, जिनमें से सभी गैर-कार्यपालक निदेशक और 3 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक जैसे : सीईओ, सीएफओ और कंपनी सचिव हैं, विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	नाम	डीआईएन	पदनाम
1.	श्री मधु एस नायर	07376798	अध्यक्ष
2.	श्री एन वी सुरेश बाबु*	07482491	गैर-कार्यपालक निदेशक
3.	श्री बिजोय भास्कर	08103825	गैर-कार्यपालक निदेशक
4.	श्री जोस वी जे	08444440	गैर-कार्यपालक निदेशक
5.	श्री चंद्र मणि राउत	06935852	गैर-कार्यपालक निदेशक
6.	श्री राजेश गोपालकृष्णन	लागू नहीं	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
7.	श्री बालकृष्णन पूवत्रा	लागू नहीं	मुख्य वित्तीय अधिकारी
8.	श्री किरण के ए	लागू नहीं	कंपनी सचिव

* श्री एन वी सुरेश बाबु, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, निरंत्रक कंपनी में निदेशक (प्रचालन) के पद से सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप मई 01, 2021 से निदेशक नहीं रहे ।

20. सीएसएल को कंपनी में एचडीपीईएल द्वारा रखे गए शेयरों की बिक्री के अनुसार, एचडीपीईएल ने मई 29, 2020 से अपने नामित निदेशकों श्री एस बालाजी अरुणकुमार (डीआईएन: 07526368) और श्री चंद्र मणि राउत (डीआईएन: 06935852) को निर्लपित किया है। हालांकि, श्री चंद्र मणि राउत (डीआईएन: 06935852) को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के फरवरी 04, 2020 के पत्र सं एस.वाई-11012/2/2020- एचसीएसएल के अनुसरण में मई 29, 2020 को कंपनी के बोर्ड में अपर निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया। बाद में श्री चंद्र मणि राउत (डीआईएन : 06935852) को अगस्त 04, 2020 को आयोजित उनकी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा एचसीएसएल के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया ।

21. अक्टूबर 16, 2020 से श्री बालकृष्णन पूवत्रा, उप महा प्रबंधक (वित्त II), सीएसएल को श्री शिवु जॉन के स्थान पर एचसीएसएल का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया और श्री किरण के ए को श्री अधिन शर्मा एम के स्थान पर एचसीएसएल के कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था ।

22. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक भी, कंपनी के निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के पद में कोई परिवर्तन नहीं है ।

वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों का विवरण

23. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पांच बोर्ड बैठक आयोजित की गईं और दो बैठकों के अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं हुआ है । बोर्ड की बैठक आयोजित होने की तिथियां और उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	दिनांक	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की सं.
1.	मई 29, 2020	6	6
2.	अगस्त 04, 2020	5	5
3.	अक्टूबर 15, 2020	5	4
4.	नवंबर 07, 2020	5	5
5.	फरवरी 06, 2021	5	5

24. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति रिकॉर्ड नीचे दी गई है :

क्र. सं.	नाम	डीआईएन	उपस्थित हुई बोर्ड बैठकों की सं.
1.	श्री मधु एस नायर	07376798	5/5
2.	श्री एन वी सुरेश बाबु	07482491	5/5
3.	श्री बिजोय भास्कर	08103825	5/5
4.	श्री जोस वी जे	08444440	5/5
5.	श्री चंद्र मणि राउत	06935852	4/5
6.	श्री बालाजी अरुणकुमार*	07526368	1/1

* श्री एस बालाजी अरुणकुमार (डीआईएन : 07526368) को दिनांक मई 29, 2020 से कार्य अवधि की समाप्ति से निदेशक नहीं रहे ।

बोर्ड की समितियां

25. कंपनी ने एक प्रतिभूति प्रस्ताव, आबंटन और अंतरण समिति गठित की है। मार्च 31, 2021 को समिति का गठन और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सदस्यों की उपस्थिति रिकॉर्ड नीचे दी जाती है :

क्र. सं.	नाम	डीआईएन	पदनाम	उपस्थित हुई बैठकों की संख्या
1.	श्री मधु एस नायर	07376798	अध्यक्ष	4/4
2.	श्री एन वी सुरेश बाबु	07482491	सदस्य	4/4
3.	श्री जोस वी जे	08444440	सदस्य	4/4

26. समिति की चार बैठक वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सितंबर 25, 2020, नवंबर 04, 2020, जनवरी 08, 2021 और जनवरी 30, 2021 को आयोजित की गईं। उक्त बैठक में सभी सदस्य उपस्थित थे ।

बोर्ड के निष्पादन की मूल्यांकन

27. कंपनी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, एक सीपीएसई, की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार एक सरकारी कंपनी है । कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने जून 65, 2015 की अधिसूचना जीएसआर 463 (ई) के तहत सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों का पालन करने से छूट दी है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन पर विवरण के संबंध में धारा 134 (3) (पी) सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगी यदि निदेशकों का मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा किया जाता है जो कंपनी के प्रशासनिक रूप से अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार प्रभावी है । इसके अलावा, उक्त छूट अधिसूचना सरकारी कंपनियों को निदेशकों की नियुक्ति, कार्य-निष्पादन और पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उप-धारा (2), (3) और (4) के प्रावधानों से भी छूट देती है ।

स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

28. कंपनी को अब तक बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है । कंपनी, एक पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी होने के नाते, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 (2) के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है ।

निदेशक उत्तरदायित्व विवरण

29. आपके निदेशक प्रकट करते हैं कि:

- वार्षिक लेखों की तैयारी में, महत्वपूर्ण विचलन के संबंध में उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया था।
- आपके निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियां चुन लिया और सुसंगत रूप से उन्हें लागू किया है तथा निर्णय और अनुमान किया गया जो युक्ति संगत और विवेकपूर्ण है, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ तथा हानि से संबंधित सच्चा और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत किया जा सके;
- निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने तथा छल कपट और अन्य अनियमितताओं के निवारण एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है।
- निदेशकों ने चालू कारोबार के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार कर ली है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त है तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

संबंधी पार्टियों के साथ ठेके और व्यवस्थाएं

30. वर्ष के दौरान, कंपनी ने संबंधित पार्टियों के साथ कोई अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन नहीं किया था जिसे महत्वपूर्ण माना जा सकता था । हालांकि, अक्टूबर 15,

2020 को आयोजित बैठक में बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार, एचसीएसएल और सीएसएल को एक साथ काम करने और सुविधाओं, क्षमताओं और संसाधनों को साझा करके गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक विस्तृत कानूनी समझौते करने में सक्षम बनाने के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), नियंत्रक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे । आपके निदेशक सदस्यों का ध्यान वित्तीय विवरणों के नोट 28 की ओर आकर्षित करते हैं जो भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधित पार्टों के प्रकटीकरण को निर्धारित करते हैं । इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एच) के तहत आवश्यक के रूप में प्रपत्र एओसी-2 को **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न किया गया है ।

निगमित शासन

31. जुलाई 08, 2014 को सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन एफ सं.18(8)/2005-जीएम के अनुसार एचसीएसएल को निगमित शासन पर दिशानिदेशों के अनुपालन से छूट है। फिर भी, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सावर्जनिक उद्यम के लिए निगमित शासन पर मार्गनिर्देशों के अनुपालन में तैयारित निगमित शासन पर रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के भाग में एक अलग भाग में प्रस्तुत किया है ।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

32. सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सावर्जनिक उद्यम के लिए निगमित शासन पर मार्गनिर्देशों के अनुपालन के अनुसार समीक्षाधीन वर्ष के लिए प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के भाग में एक अलग भाग में प्रस्तुत किया है ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

33. कंपनी, कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों और धोखाधड़ी को रोकने और उनका पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने और विश्वसनीय वित्तीय प्रकटीकरण समय पर तैयार करने और प्रस्तुत करने के द्वारा कंपनी के व्यापार के व्यवस्थित और कुशल प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करती है जो नियंत्रक कंपनी, सीएसएल के अनुरूप है ।

आईसीएसआई के सचिवीय मानक

34. कॉरपरेट कार्य मंत्रालय से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार, भारतीय कंपनी सचिवालय संस्थान (आईसीएसआई) ने जुलाई 1, 2015 से प्रभावी निदेशक मंडल की बैठक (एसएस-1)और सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानक अप्रैल 23, 2015 को अधिसूचित किया है। कंपनी उसी का अनुपालन कर रही है।

सांविधिक लेखापरीक्षक

35. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय नियंत्रण एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मेसर्स राड्स एंड कंपनी (सीए1369), सनदी लेखाकार, कोलकाता को नियुक्त किया गया था ।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

36. मेसर्स राड्स एंड कंपनी, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने मई 18, 2021 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है । रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है ।

नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

37. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ वार्षिक रिपोर्ट के भाग हैं।

सचिवीय लेखापरीक्षक

38. मेसर्स एसबीजेएस एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, कोच्ची को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था ।

सचिवीय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

39. मेसर्स एसबीजेएस एंड एसोसिएट्स, सचिवीय लेखापरीक्षकों ने मई 07, 2021 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसे इस रिपोर्ट के **अनुबंध II** में रखा गया है। रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है।

आंतरिक लेखापरीक्षक

40. बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए मेसर्स सतीशन एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, कोच्ची को नियुक्त किया है ।

अनुपूरक लेखापरीक्षा

41. भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने कंपनी के अनुपूरक लेखापरीक्षा को महा लेखापरीक्षा निदेशक का कार्यालय (खान), कोलकाता, 1, कार्डिसल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700001 को सौंपा है । तथापि, उक्त कार्यालय द्वारा मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई लेखापरीक्षा आपत्ति नहीं उठाई गई है ।

लागत रिकॉड का रखरखाव

42. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत अपेक्षित लागत रिकॉर्ड का रखरखाव रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागू नहीं है ।

सतर्कता

43. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लंबित/निपटाए गए कोई सतर्कता मामला नहीं है।

वार्षिक विवरणी

44. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के अनुसार कंपनी के वार्षिक विवरणी की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.hooghlycls.com पर उपलब्ध है ।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

45. कंपनी अपने परियोजना कार्यान्वयन चरण में होने के कारण, सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने की स्थिति में नहीं है । आगे, कंपनी , कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के दायरे में नहीं आती है जो सीएसआर से संबंधित है ।

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों का विवरण

46. कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियों नहीं है ।

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005

47. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को सूचना अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अधीन दो अनुरोध प्राप्त हुआ था जो पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा स्थानांतरित किया था और उसकी के लिए उचित उत्तर प्रदान किया गया है ।

धारा 143 के अधीन लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधडी का विवरण

48. शून्य ।

महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

49. कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हुए कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच नहीं हुआ है ।

ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

50. रिपोर्टाधीन अवधि में कंपनी ने :

क) किसी व्यक्ति को या अन्य निगमित निकाय को कोई ऋण नहीं दिया है ।

ख) किसी अन्य निगमित निकाय या व्यक्ति को ऋण के सिलसिले में कोई गारंटी नहीं दिया है और प्रतिभूति नहीं प्रदान किया है ।

ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन निर्धारितानुसार, किसी अन्य निगमित निकाय के प्रतिभूतियों को अभिदान, खरीदी या अन्यथा प्राप्त नहीं किया है।

व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन का विवरण

51. कंपनी ने अभी तक अपने व्यापार प्रचालन की शुरूआत नहीं की है और व्यापार प्रचालन शुरू करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे लगाने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है ।

निक्षेप

52. आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के चैप्टर V के अधीन सार्वजनिक से कोई निक्षेप स्वीकार नहीं किया है।

महत्वपूर्ण और वस्तुगत आदेश

53. कंपनी की चालू स्थिति और इसके प्रचालनों को प्रभावित करते हुए विनियामकों या किसी अदालतों या न्यायालय द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है।

अन्य प्रकटीकरण

54. कंपनी अपना प्रचालन शुरू करने के लिए यार्ड निर्माण के उन्नत चरणों में है और आवश्यक श्रमशक्ति भी तैनात की जा रही है । कार्यस्थान में महिलाओं के यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन कंपनी द्वारा प्रचालन शुरू करने के बाद किया जाएगा । कार्यस्थान में महिलाओं के यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और इसके तहत बनाए नियमों के अधीन वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोई मामला फाइल नहीं किया है/ न निपटाय़ा गया है ।

आभारोक्ति

55. निदेशक मंडल माननीय प्रधान मंत्री, माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, हुगली डॉक एवं पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, सीएसएल, एचडीपीईएल तथा केओपीटी के सभी अधिकारियों के प्रति उनसे निरंतर प्राप्त हिमायत के लिए अत्यंत आभारी है। बोर्ड भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के विभिन्न कार्यालयों, स्थानीय निकायों, भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, लेखापरीक्षकों, कानूनी परिषदों, परामर्शकारों, आपूर्तिकारों, उप ठेकेदारों, बैंकरों और कंपनी के कर्मचारियों के प्रति प्राप्त समर्थन एवं सहयोग के लिए कृतज्ञ है।

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

	मधु एस नायर
कोच्ची	अध्यक्ष
मई 07, 2021	डीआईएन : 07376798

अनुबंध I

प्रपत्र सं. एओसी - 2

(अधिनियम की धारा 134 के उप-धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में उल्लिखित संबंधी पार्टियों के साथ कंपनी किए अनुबंध/व्यवस्था के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें इसके अतिरिक्त तीसरे प्रावधान के अधीन कुछ निष्पक्ष लेनदेन भी शामिल हैं ।

1. अनुबंध/ व्यवस्था या अनिष्पक्ष लेनेदेन का विवरण

क्र. सं.	ब्यौरे	विवरण
क)	संबंधी पार्टी का नाम और संबंध की प्रकृति	शून्य
ख)	अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	शून्य
ग)	अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	लागू नहीं
घ)	मूल्य सहित ठेके या व्यवस्था या लेनदेन के मुख्य निबंधन, यदि कोई हो ।	लागू नहीं
ङ)	ऐसे अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन करने के लिए औचित्य	लागू नहीं
च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	लागू नहीं
छ)	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो ।	लागू नहीं
ज)	धारा 188 के प्रथम प्रावधान के तहत अपेक्षितानुसार आम बैठक में विशेष संकल्प पारित करने की तिथि	लागू नहीं

2. अनुबंध या व्यवस्था या निष्पक्ष आधार के लेनदेन का विवरण

क्र. सं.	ब्यौरे	विवरण
क)	संबंधी पार्टी का नाम और संबंध की प्रकृति	शून्य
ख)	अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	शून्य
ग)	अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	लागू नहीं
घ)	मूल्य सहित ठेके या व्यवस्था या लेनदेन के मुख्य निबंधन, यदि कोई हो ।	लागू नहीं
ङ)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	लागू नहीं
च)	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो	लागू नहीं

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

कोच्ची
मई 07, 2021

मधु एस नायर
अध्यक्ष
डीआईएन: 07376798

अनुबंध II

फार्म सं. एमआर-3

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसार)

सेवा में ,
सभी सदस्य

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

दि लेगसी, 25 ए शेक्सपियर सारणी

लेवल 1, कोलकाता - 700017

पश्चिम बंगाल

हम, एसवीजेएस व एसोसियेट्स, कंपनी सचिव, ने **हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीआईएन : U 35900 WB 2017 GOI 223197)** (बाद में 'कंपनी' कहा जाता है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे निगमित कार्यों के पालन के सचिवीय लेखापरीक्षा आयोजित की। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार आयोजित की गई थी कि हमें निगमित आचरण/ सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन करने और उसपर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया ।

कंपनी द्वारा बनाए रखे कंपनी की बही, कागज़, कार्यवृत्त बही, प्रपत्र और फाइल किए रिटर्न और अन्य रिकॉर्डों के हमारे सत्यापन के आधार पर और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के अनुसार, हमें दिए गए स्पष्टीकरण और व्याख्याओं और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन और कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई छूट पर विचार करते हुए, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शामिल लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, इसके नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र है जो उस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है :

हमने मार्च 31, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा दर्ज की गई पुस्तकों, कागज़ात, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल किए विवरणी और अन्य अभिलेखों की जांच निम्न प्रावधानों के अनुसार की है ।

- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अधीन बनाए गए नियम;
- जैसा कि हमें सूचित किया गया है, निम्नलिखित पर अन्य कानून विशेष रूप से कंपनी पर लागू होते हैं ;

- विद्युत अधिनियम, 2003 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उप नियम ;
- औद्योगिक रोज़गार स्थायी आदेश अधिनियम और नियम ;
- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और तहत बनाए गए विनियम और उप नियम ;
- वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उप नियम ;
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उप नियम;
- कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उप नियम ।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है :

- भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस1) और आम बैठकों (एसएस 2) से संबंधित सचिवीय मानक ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपरोक्त सूचितानुसार अधिनियमों, नियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

कंपनी पर विशेष रूप से लागू अन्य कानूनों के संबंध में हमने अपनी लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों पर विश्वास प्रकट किया है और रिपोर्टिंग उस सीमा तक सीमित है ।

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

कंपनी के निदेशक मंडल को कार्यपालक निदेशक और गैर कार्यपालक निदेशक के उचित संतुलन से विधिवत् गठित किया है। समीक्षार्थी अवधि के दौरान निदेशक मंडल के संयोजन में किए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया था।

सचिवीय मानकों और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया गया, कार्यसूची और कार्यसूची के विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले और कुछ मामलों में अल्पकालीन सूचना पर भेजे गए थे और बैठक के पहले कार्यसूची पर आगे सूचना और स्पष्टीकरण की मांग और प्राप्त करने के लिए तथा बैठक में एक सार्थक भागीदारी हेतु एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड के सभी निर्णय सर्वसम्मत थे और इसे कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज और रिकॉर्ड किया गया था ।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि हमारे सत्यापन की सीमा तक, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं ।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

1. कंपनी ने दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 को आयोजित अपनी आसाधारण आम बैठक में 5,60,00,000 (रुपए पांच करोड़ साठ लाख मात्र) संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयरों की पेशकश, इश्यू और आबंटन के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया है ।

2. कंपनी ने राइट्स इश्यू के माध्यम से क्रमशः दिनांक 04 नवंबर 2020 और 30 जनवरी 2020 को 2,80,00,000 (दो करोड़ अस्सी लाख) इक्विटी शेयरों और 5,60,00,000 (पांच करोड़ साठ लाख) अधिमान शेयर आवंटित किए थे ।

3. कंपनी ने दिनांक 07 नवंबर 2020 को आयोजित असाधारण आम बैठक में 31,00,00,000 (रुपए इकतीस करोड़ मात्र) से अधिक न हो, राशि के लिए अप्रतिभूति प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय त्रणपत्रों की पेशकश, इश्यू और आबंटन के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया है ।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित कोई उदाहरण नहीं थे :

- शेयरों/त्रणपत्र/ स्वेट इक्विटी का सार्वजनिक/अधिमान निर्गम इश्यू ।
- प्रतिभूतियों का मोचन/वापसी खरीदी ।
- विलय/समामेलन/पुनर्निर्माण, आदि ।
- विदेशी तकनीकी सहयोग ।

इस रिपोर्ट को हमारे सम तिथि पत्र के साथ पढा जाना है जो **‘अनुबंध क’** के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है ।

कृते एसबीजेएस एवं एसोसियेट्स

कंपनी सचिव

जयन के

साझेदार

एफसीएस : 8154

सीपी सं. 7363

कोच्ची

07.05.2021

यूडीआईएन: F008154C000258096

सेवा में ,

सभी सदस्य

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

दि लेगसी, 25 ए शेक्सपियर सारणी

लेवल 1, कोलकाता - 700017

पश्चिम बंगाल

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाना है ।

1) सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है । सचिवीय लेखापरीक्षकों के रूप में हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना है ।

2) लेखापरीक्षा के दौरान, हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है । हम मानते हैं कि हमने जिस प्रक्रिया और प्रथाओं का पालन किया है, वह हमारी रिपोर्ट के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है ।

3) कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया गया है ।

4) जहां कहीं भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के होने के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है ।

5) कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंध की जिम्मेदारी है । हमारी जांच प्रक्रियाओं के सत्यापन और जांच के आधार पर अनुपालन तक सीमित थी ।

6) अनुपालन पर एक राय बनाते समय और सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करते समय, हमने दिनांक 31 मार्च 2021 के बाद लेकिन रिपोर्ट जारी होने से पहले कंपनी द्वारा की गई अनुपालन संबंधी कार्रवाइयों को भी ध्यान में रखा है ।

7) हमने स्वतंत्र कानूनी/पेशेवर राय के आधार पर कंपनी द्वारा की गई कार्रवाइयों को कानून के अनुपालन के रूप में माना है, जहां कई व्याख्याओं की गुंजाइश थी ।

कृते एसबीजेएस एवं एसोसियेट्स

कंपनी सचिव

जयन के

साझेदार

एफसीएस : 8154

सीपी सं. 7363

कोच्ची

07.05.2021

यूडीआईएन: F008154C000258096

प्रबंधन की चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

दूरदेशी विवरण

1. इस प्रबंधन चर्चा और वित्तीय स्थिति का विश्लेषण तथा कंपनी के उद्देश्यों, उम्मीदों या भविष्यवाणियों का वर्णन करने वाले कंपनी के संचालन के परिणाम लागू प्रतिभूति कानूनों और विनियमों के अर्थ के अंतर्गत आगे बढ सकते हैं। दूरदेशी विवरण भविष्य की घटनाओं की कुछ धारणाओं और उम्मीदों पर आधारित है। कंपनी गारंटी नहीं दे सकती है कि ये धारणाएं और अपेक्षाएं सटीक हैं या वास्तविक हो जाएगा। कंपनी किसी भी आगामी विकास, सूचना या घटनाओं के आधार पर इस दूरदेशी को लोकव्यापी रूप से संशोधित, परिवर्तन करने, पुनरीक्षित करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। वास्तविक परिणाम विवरण में व्यक्त किए गए परिणाम से असल में भिन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कारक जो कंपनी के संचालन को प्रभावित कर सकते हैं उनमें नौसेना प्लेट फामों के अधिग्रहण से संबंधित सरकार की रणनीति, सरकारी विनियमों में परिवर्तन, कर कानून, देश के भीतर आर्थिक विकास और वैश्विक स्तर पर ऐसे अन्य कारक शामिल है। वित्तीय विवरणों को लेखाकरण के संचित आधार पर और कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत तैयार किया जाता है और अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया जाता है। हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (‘एचसीएसएल’ या ‘कंपनी’) के प्रबंधन ने समझदार और उचित आधार पर वित्तीय विवरणों से संबंधित अनुमानों और निर्णयों का उपयोग किया है ताकि वित्तीय विवरण वर्ष के मामलों की स्थिति पर सही और निष्पक्ष तरीके से प्रतिबिंबित हो जाएं।

2. हमारी वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणाम पर चर्चाओं को हमारे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और वार्षिक रिपोर्ट में शामिल इन विवरणों की टिप्पणियों के साथ पढा जाना चाहिए। जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट नही किया गया हो या संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो, यहाँ तक कि ‘हम’, ‘हमारी’, ‘कंपनी’, ‘हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड’, ‘एचसीएसएल’, ‘ग्रुप’ में सभी संदर्भ हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और इसकी नियंत्रक कंपनी है।

वैश्विक पोत निर्माण उद्योग

3. उपलब्ध इनपुट के अनुसार, वैश्विक पोत निर्माण उद्योग अभी भी मंदी के दौर से गुज़र रहा है, जो अगले साल तक जारी रहने की संभावना है । कोविड-19 संकट इस क्षेत्र को और अधिक प्रभावित कर सकता है क्योंकि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हैं और व्यापार में गिरावट आई है ।

भारतीय पोत निर्माण उद्योग

4. रक्षा और अंतर्देशीय/तटीय जलमार्ग क्षेत्रों में अवसर इसलिए भारतीय पोत निर्माण उद्योग के लिए ध्यान केन्द्रित क्षेत्र बने हुए हैं । अंतर्देशीय और तटीय जलमार्ग बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का ध्यान इस क्षेत्र की मांग को बढ़ाने की उम्मीद है। यह अनुमान लागाया जाता है कि इसे चालू करने के बाद राष्ट्रीय जलमार्गों में कार्गो ले जाने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 150 जहाज़ों की आवश्यकता हो सकती है।

अंतर्देशीय जलमार्गों में भारत सरकार का पहल

5. भारत सरकार ने विश्व बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ जलमार्ग विकास परियोजना के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 1 (एनडब्ल्यू-1) विकसित करने के लिए पहल की है।

6. प्रस्तावित परियोजना- जलमार्ग विकास का उद्देश्य एनडब्ल्यू-1 (हाल्दिया से इलाहाबाद तक) के 1620 कि.मी. के पूरे फैलाव में नेविगेशन में सुधार करना है। भारत सरकार ने हल्दिया से वाराणसी के बीच के अंतर्देशीय जलमार्ग संख्या 1 के विकास के लिए विश्व बैंक निधि का लाभ उठाया है। अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित करने के लिए सरकारी पहल भारतीय पोत निर्माण उद्योग के लिए रो - पेक्स वेसल, ट्रेजरों, बहु उदेशीय और मिनी बल्क कैरियर्स, इग्लैंड क्रूज़ वेसल, पेट्रोलियम उत्पाद वाहकों आदि जैसे विभिन्न वेसलों के निर्माण में भविष्य के आदेशों के रूप में एक बड़ा व्यापार अवसर है।

वैश्विक पोत मरम्मत उद्योग

7. प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, भारत को वैश्विक पोत मरम्मत बाजार में वर्तमान में अपना हिस्सा कम होने पर भी, पोत मरम्मत क्षेत्र में अत्यधिक क्षमता है। पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा के समानांतर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों में भारत की रणनीतिक स्थिति इन मार्गों पर चलने वाले पोतों को सेवा करने का अवसर प्रदान करती है। जहां तक एचसीएसएल का संबंध है, राष्ट्रीय जलमार्ग के किनारे पेशेवर पोत मरम्मत सुविधाओं की कमी को भावी व्यवसाय के लिए संभावित क्षेत्र के रूप में देखा जाना चाहिए ।

भारतीय पोत मरम्मत उद्योग

8. भारत में पोत मरम्मत के लिए कैप्टिव बाज़ार लगभग 2500 करोड रुपए पर अनुमान लगाया है। यह अनुमान है कि वर्तमान में देश की क्षमता का केवल 15% ही दोहन किया जा रहा है । बुनियादी ढांचे की कमी और कमज़ोर सहायक समर्थन उपरोक्त अवसरों का दोहन करने में विफलता के प्राथमिक कारण है । सागरमाला परियोजना के एक हिस्से के रूप में, सरकार ने पेशेवर शिपयार्डों द्वारा पोत मरम्मत सेवाओं के लिए प्रमुख पत्तनों में मौजूदा मरम्मत सुविधाओं के उपयोग के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है । कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), एचसीएसएल के नियंत्रक कंपनी, ने हाल ही में कोलकाता में नेताजी सुबास डॉक में एक नई पोत मरम्मत इकाई (सीकेएसआरयू) शुरू की है । एचसीएसएल, सीएसएल की 100% सहायक कंपनी होने के नाते, क्षेत्र में पोत मरम्मत व्यवसाय विकसित करके पारस्परिक लाभ के लिए सीकेएसआरयू और एचसीएसएल दोनों की क्षमताओं का लाभ उठाने में मदद कर सकती है ।

प्रचालन

9. ‘हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल),नज़ीरगंज यूनिट का नया यार्ड निर्माण’ पूरा होने के एक उत्रत चरण में है और सुविधा प्रचालन के लिए तैयार

है। शेष प्रणालियों और उपकरणों को अंतिम रूप से चालू करने का कार्य प्रगति पर है । वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में, सिविल कार्य के लिए 93% की प्रत्यक्ष प्रगति प्राप्त की गई है, जबकि मशीनरी, यांत्रिक और विद्युत उपकरण और प्रणालियों का कमीशनिंग कार्य प्रगति पर है और लगभग 85% पूर्ण है ।

10. सिविल कार्य पैकेज के तहत निर्माण गतिविधियों ने वर्ष 2019-20 में 50% का आंकड़ा पार कर लिया था, जब मार्च 23, 2020 को घोषित लॉकडाउन के कारण कोविड-19 के प्रकोप के कारण साइट पर सभी कार्यों को रोकना आवश्यक हो गया था । हालांकि जून 10, 2020 को 79 दिनों के लॉकडाउन के बाद साइट फिर से शुरू हो गई, लेकिन स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए नियमित अंतरिम लॉकडाउन के कारण काम की गति को पूर्व-कोविड गति में वापस नहीं लाया जा सका । महामारी के कारण श्रम दिवसों के नुकसान को ध्यान में रखते हुए, जून, 2021 की मूल संविदात्मक समाप्ति को मौजूदा अप्रत्याशित घटना खंड के अनुसार सितंबर 2021 तक संशोधित किया जाएगा । हालांकि, मई 2021 तक शेष कमीशनिंग और संबद्ध कार्यों को पूरा करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं ।

11. मार्च 2021 की शुरूआत में एबीएस इंडिया लिमिटेड के तीसरे पक्ष के निरीक्षक द्वारा प्रचालन तत्परता के कोण से साइट की तैयारी का निरीक्षण और प्रमाणन किया गया था । तदनुसार श्री मधु एस नायर, अध्यक्ष, एचसीएसएल और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) और श्री विनीत कुमार, अध्यक्ष, केओपीटी की उपस्थिति मार्च 09, 2021 को ‘प्रचालन के लिए तत्परता’ कार्यक्रम आयोजित किया गया था । इसलिए यह सुनिश्चित किया है कि एचसीएसएल ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के साथ इस संबंध में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन लक्ष्य को पूरा कर लिया है ।

12. कंपनी ने परियोजना कार्यान्वयन चरण में होने के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 315.70 लाख रुपए की हानि रिपोर्ट की है (गत वर्ष - 248.76 लाख रुपए) । वित्तीय वर्ष 2020-21 तक किया गया कुल पूंजीगत व्यय 12,211.97 लाख रुपए है (गत वर्ष - 3,641.56 लाख रुपए) ।

प्रस्तावित लाभांश

13. कोई लाभांश की सिफारिश नहीं की जाती है क्योंकि कंपनी परियोजना कार्यान्वयन चरण में है और इसमें विभाज्य लाभ नहीं है ।

सेगमेंट वार/ उत्पाद वार निष्पादन

14. कंपनी परियोजना चरण में है और इसके संचालन शुरू नहीं किया है।

शक्तियां, कमजोरियां, अवसर और खतरा (स्वोट)

15. हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड निर्माण के अंतिम चरण में है । इसलिए शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों और खतरों का विश्लेषण करने की स्थिति में नहीं है, जिसका आकलन इकाई के चालू होने के बाद किया जा सकता है ।

जोखिम और चिंताएं

16. कंपनी भारत में उभरते अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय नौवहन क्षेत्र में एक अच्छे अवसर की उम्मीद करती है । इसलिए यह अंतर्देशीय जलमार्ग खंड की जरूरतों को पूरा करने के लिए नज़ीरगंज में अपेक्षित बुनियादी ढांचा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है । विकास कार्यों को समय पर पूरा करने में देरी और योजना के अनुसार प्रचालन शुरू करने में विफलता और कोविड-19 महामारी से उत्पन्न अनिश्चितता, इस समय कंपनी द्वारा सामना किया जानेवाला प्रमुख जोखिम होगा ।

17. साइटों पर काम करने के लिए अनुभवी एवं प्रतिभाशाली श्रमिकों की उपलब्धता भी परियोजना के सुचारु कार्यान्वयन के लिए जोखिमयुक्त है। परियोजना कार्यान्वयन उपकरण दोषों, बिगाड काम और विफलताओं, उपकरण दुरुपयोग और आपदाओं जैसे निहित जोखिमों जो आग और विस्फोट के परिणामस्वरूप हो सकते हैं, के अधीन भी है। कंपनी उक्त जोखिमों को पेशेवर परियोजना प्रबंधन, विक्रेता विकास कार्यक्रम के जरिए घटाने के लिए इरादा रखता है और उपकरण, मशीनरियां, संयंत्र आदि पर वारंटी सुनिश्चित करती है और अपनी परिसंपत्तियों पर बीमा सुरक्षा का लाभ लेती है ।

आंतरिक नियंत्रण

18. कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, वृटियों और धोखाधडियों को रोकने और पहचानने, लेखाकरण रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने और विश्वसनीय वित्तीय प्रकटीकरणों की समय पर तैयारी और प्रस्तुति के जरिए कंपनी के व्यापार के व्यवस्थित और कुशल आयोजन सुनिश्चित करने के लिए मज़बूत नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है।

मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंध

19. कंपनी निर्माण चरण समाप्त होने के बाद प्रचालन शुरू करने के लिए अपेक्षित मानव संसाधनों की भर्ती करने और एक उपयुक्त संगठन संरचना स्थापित करने की प्रक्रिया में है ।

पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण, प्रौद्योगिकी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण

20. कंपनी ने सुविधाओं के निर्माण में संभावित ऊर्जा कुशल उपायों को अपनाया है, प्रचालन शुरू होने पर प्रौद्योगिकी अवशेषण हासिल किया जाएगा । कंपनी ने वर्ष 2020-21 के दौरान विदेशी मुद्रा में कोई खर्च नहीं किया है ।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

21. चूंकि कंपनी परियोजना कार्यान्वयन के अंतिम चरण में है और अभी तक अपना प्रचालन शुरू नहीं किया है, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है । संगठन के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पहलुओं की दिशा में यथासमय प्रयास सुनिश्चित किए जाएंगे ।

सचेतक विवरण

22. इस प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में कंपनी के लक्ष्य, प्रत्याशा, अभिधारणा अथवा भविष्यवाणी का वर्णन करते हुए विवरण लागू कानून विनियमों के आशय के अंदर अग्रवर्ती विवरण हो जाएं। वास्तविक परिणाम अभिव्यक्त या विवक्षित

उन परिणामों से वास्तव भिन्न हो सकता है। मांग/ पूर्ति, देशी और अंतर्देशीय बाज़ार में मूल्य स्थितियों, सरकारी नीतियों और विनिमय, संविधियों पर प्रभाव डालने वाले आर्थिक स्थितियां एवं अन्य आनुषंगिक घटकें शामिल हैं।

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में	
	मधु एस नायर
कोच्ची	अध्यक्ष
मई 07, 2021	डीआईएन : 07376798

निगमित शासन पर रिपोर्ट

निगमित शासन पर कंपनी का दर्शन

1. हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल/ कंपनी) का मानना है कि अच्छा निगमित शासन प्रभावी और दूरदर्शी प्रबंधन की सुविधा प्रदान करती है जो कंपनी की दीर्घकालिक सफलता प्रदान कर सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए, एचसीएसएल पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही और हितधारक वचनबद्धता के माध्यम से अच्छे शासन प्रथाओं के लिए प्रयास करता है। सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने जुलाई 08, 2014 को जारी कार्यालय ज्ञापन एफ सं. 18 (8)/2005-जीएम के अनुसार, कंपनी को निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी जाती है। फिर भी, कंपनी ने डीपीई द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग के लिए जारी निगमित शासन संबंधी दिशा निर्देशों के अनुपालन में निगमित शासन पर रिपोर्ट तैयार की है।

निदेशक मंडल

2. कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) और हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में गठित किया गया है और संयुक्त उद्यम समझौते के अनुसार, बोर्ड में 11 से अधिक

4. मार्च 31, 2021 को, कंपनी के बोर्ड में पांच गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं। कंपनी को एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष है। मार्च 31, 2021 को बोर्ड का संयोजन निम्नानुसार है:

क्र. सं.	नाम	डीआईएन	निदेशक पद की श्रेणी
1.	श्री मधु एस नायर	07376798	अध्यक्ष
2.	श्री एन वी सुरेशबाबु*	07482491	गैर-कार्यपालक निदेशक
3.	श्री बिजोय भास्कर	08103825	गैर-कार्यपालक निदेशक
4.	श्री जोस वी जे	08444440	गैर-कार्यपालक निदेशक
5.	श्री चन्द्र मणि रावत	06935852	गैर-कार्यपालक निदेशक

5. निदेशकों के बीच परस्पर संबंधों का प्रकटीकरण - शून्य

6. श्री मधु एस नायर (डीआईएन : 07376798), जिनके निदेशक के रूप में कार्यालय रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी था और पात्र होने के कारण अगस्त 04, 2020 को आयोजित तीसरी वार्षिक आम बैठक में कंपनी के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था।

7. * श्री एन वी सुरेश बाबु (डीआईएन : 07482491) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, नियंत्रक कंपनी में निदेशक (प्रचालन) के पद से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप मई 01, 2021 से निदेशक नहीं रहे।

व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। एचडीपीईएल को निदेशकों की ऐसी संख्या नामित करने का अधिकार होगा, जैसा कि कंपनी में अपने शेयरधारिता के अनुपात में, कम से कम दो के अधीन, जब तक कंपनी में एचडीपीईएल का शेयरधारिता कम से कम 10% पर रखा जाता है। सीएसएल को शेष निदेशकों को कम से कम 3 निदेशकों के अधीन नामित करने का अधिकार होगा, जिन्हें सीएसएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा सीएसएल की तरफ से नियुक्ति के लिए नामित किया जाएगा।

3. हालांकि, 'हुगली डॉक एवं पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के परिसमापन और पुनर्गठन तथा बेहतर योजना प्रदान करने हेतु प्रस्ताव' के भाग के रूप में, केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने अक्टूबर 03, 2019 को अंकित मूल्य पर एचडीपीईएल द्वारा संभाले गए कंपनी के शेयरों को सीएसएल द्वारा प्रत्यक्ष क्रय हेतु अपनी मंजूरी प्रदान की है। उक्त अनुमोदन के अनुसार, एचडीपीईएल द्वारा संभाले गए 57,20,000 एचसीएसएल शेयरों को नवंबर 01, 2019 को सीएसएल को अंतरित किया गया था और उक्त तिथि से प्रभावी होकर एचसीएसएल सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी बन गई। उपरोक्त की दृष्टि में और कंपनी के मौजूदा संस्था के अंतर्नियम के अनुसार, सीएसएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को कंपनी के बोर्ड में नियुक्ति हेतु निदेशकों को नामित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

8. सीएसएल को कंपनी में एचडीपीईएल द्वारा संभाले गए शेयरों की विक्री के अनुसार, एचडीपीईएल ने मई 29, 2020 से अपने नामित निदेशक, श्री एस बालाजी अरुणकुमार (डीआईएन : 07526368) और श्री चंद्र मणि रावत (डीआईएन : 06935852) को वापस ले लिया। फिर भी, श्री चंद्रमणि रावत (डीआईएन : 06935852) को मई 29, 2020 को कंपनी के बोर्ड में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में पुर्ननियुक्त किया गया, जो फरवरी 04, 2020 के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पत्र सं. एसवाई-11012/2/2020-एचसीएसएल के अनुसार है। बाद में, श्री चंद्र मणि रावत (डीआईएन : 06935852) को अगस्त 04, 2020 को आयोजित उनकी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा एचसीएसएल के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

9. निदेशकों जो मार्च 31, 2021 को कंपनी के बोर्ड में हैं, उनके प्रोफाइल, निर्दिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता की प्रकृति सहित, वार्षिक रिपोर्ट के प्रथम भाग में दिया है। इन निदेशकों द्वारा संभाले गए निदेशक पद और समिति के पदों संबंधी विवरण नीचे 'निदेशक पद और समिति के पद' शीर्षस्थ के तहत प्रदान किया है।

बोर्ड बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति

10. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पांच बोर्ड बैठक आयोजित की गई। किसी भी दो बैठकों के बीच का अंतर एक सौ बीस दिन से कम है। एचसीएसएल की 03 वीं वार्षिक आम बैठक अगस्त 04, 2020 को आयोजित की गई थी। उक्त बोर्ड बैठकों और वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:-

निदेशक का नाम	बोर्ड बैठक					एजीएम अगस्त 04, 2020
	2020		2021			
	मई 29	अगस्त 04	अक्तूबर 15	नवंबर 07	फरवरी 06	
श्री मधु एस नायर	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓
श्री एन वी सुरेश बाबु	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री बिजोय भास्कर	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री जोस वी जे	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री चन्द्र मणि राउत	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
श्री एस बालाजी अरुणकुमार ^	✓*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

* श्रव्य दृश्य माध्यमों से भाग लिया।

^ श्री एस बालाजी अरुण कुमार (डीआईएन : 07526368) दिनांक 29 मई 2020 को कार्य समय की समाप्ति से एचसीएसएल के निदेशक नहीं रहे।

निदेशकता और समिति स्थिति

11. मार्च 31, 2021 को हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड सहित निदेशकों द्वारा धारित निदेशकता/अध्यक्षता की कुल संख्या और समितियों पर सदस्यता/अध्यक्षता की स्थिति नीचे दी गई है:-

निदेशक का नाम	अन्य निदेशकता की संख्या		बोर्ड समितियां	
	अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य
श्री मधु एस नायर	3	-	-	-
श्री एन वी सुरेश बाबु	-	3	-	-
श्री बिजोय भास्कर	-	3	-	-
श्री जोस वी जे	-	3	-	-
श्री चन्द्र मणि रावत	-	3	-	-

- उपरोक्त सूचितानुसार, निदेशकों द्वारा संभाले गए निदेशक पद में निजी कंपनियों, विदेशी कंपनियों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन पंजीकृत कंपनियों में वैकल्पिक निदेशक के पद और निदेशक पद शामिल नहीं होता है।

- सभी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों और सरकारी कंपनियों की केवल लेखा परीक्षा समितियों और हितधारक संबंध समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता पर विचार किया गया है।

बोर्ड समितियां

12. कंपनी परिचालन शुरू करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और जनशक्ति लगाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने जुलाई 08, 2014 को जारी कार्यालय ज्ञापन एफ सं. 18 (8)/2005-जीएम के अनुसार, कंपनी को निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी जाती है।

13. कंपनी ने एक प्रतिभूति प्रस्ताव, आबंटन और अंतरण समिति का गठन किया है। इस रिपोर्ट की तिथि तक, समिति का गठन और वित्त वर्ष 2020-21 में सदस्यों की उपस्थिति रिकॉर्ड नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	नाम	डीआईएन	पदनाम	उपस्थित बैठकों की संख्या
1.	श्री मधु एस नायर	07376798	अध्यक्ष	4/4
2.	श्री एन वी सुरेशबाबु	07482491	सदस्य	4/4
3.	श्री जोस वी जे	08444440	सदस्य	4/4

14. समिति की चार बैठक वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सितंबर 25, 2020, नवंबर 04, 2020, जनवरी 08, 2021 और जनवरी 30, 2021 को आयोजित की गई। सभी सदस्य बैठक में उपस्थित थे।

आम सभा बैठक

15. पिछले तीन वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तिथि, समय और स्थान निम्नानुसार है :

वर्ष	दिनांक और समय	स्थान	विशेष संकल्प पारित किया है
2017-18	जुलाई 18, 2018 11.00 बजे	दि लेगसी, 25 ए, शेक्सपियर सारणी, लेवल 1, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700 017 (पंजीकृत कार्यालय)	जी हां *
2018-19	जुलाई 12, 2019 10.00 बजे	दि ललित ग्रेट ईस्टर्न कोलकाता, 1,2,3 ऑल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट, दलहाउसी स्क्वाइयर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700 069	जी नहीं
2019-20	अगस्त 04, 2020 11.00 बजे	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682015	जी नहीं

*200 करोड़ रुपए तक उधार सीमा और उक्त 200 करोड़ रुपए की सीमा के अंतर्गत 100 करोड़ तक एनसीडी सहित इक्विटी शेयरों को छोड़कर प्रतिभूतियों का निजी स्थापन अनुमोदित करनेवाले विशेष संकल्प जुलाई 18, 2018 को वार्षिक आम बैठक में पारित किया गया।

16. अक्तूबर 23, 2017 को इसके निगमन के बाद कंपनी की चार असाधारण आम बैठक आयोजित की गई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

तिथि एवं समय	स्थान	विशेष संकल्प पारित किया है
दिसंबर 14, 2017 17.00 बजे	दि लेगसी, 25 ए, शेक्सपियर सारणी, लेवल 1, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700 017 (पंजीकृत कार्यालय)	जी हां *
फरवरी 17, 2020 10.00 बजे	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682015	जी हां #
अक्तूबर 15, 2020 11.30 बजे	सीएसएल बोर्ड रूम, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682015	जी हां **
नवंबर 07, 2020 10.20 बजे	सीएसएल बोर्ड रूम, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682015	जी हां ##

* सीएसएल और एचडीपीईएल को इक्विटी शेयर जारी करने के लिए विशेष संकल्प।

कंपनी के लिए नए संस्था के अंतर्नियम की स्वीकृति के लिए विशेष संकल्प।

** मौजूदा शेयरधारकों अर्थात् सीएसएल को सही आधार 5.6 करोड़ संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर जारी करने के लिए विशेष संकल्प।

31 करोड़ रुपए से अधिक न हो, राशि के लिए अप्रतिभूत प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र जारी करने के लिए विशेष संकल्प।

17. कंपनी की चौथी वार्षिक आम सितंबर 15, 2021 को 11.00 बजे, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682015 में आयोजित करने हेतु अनुसूचित है ।

अन्य प्रकटीकरण

(i) संबंधित पार्टी लेन - देन

18. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं थे, जो कि कंपनी के हित से बड़े पैमाने पर संघर्ष थे या हो सकता है।

(ii) कंपनी द्वारा गैर अनुपालन

19. कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन के कोई मामला नहीं थे । पिछले तीन सालों के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशा निर्देश से संबंधित किसी भी मामले पर किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना/ बाध्यता नहीं लगाया गया है।

(iii) विसिल ब्लोअर पॉलिसी

20. कंपनी संचालन शुरू करने के लिए आवश्यक बुनियादी संरचनाएं और श्रमशक्ति स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। एक बार बुनियादी संरचनाएं स्थापित करने के बाद और कंपनी अपने संचालन शुरू कर लेती है, यह अवैध या अनैतिक प्रथाओं, अनैतिक व्यवहार वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी के आचरण नियमावली या नैतिक नीति के उल्लंघन की घटनाएं प्रबंधन की रिपोर्ट करने हेतु शेयरधारकों के लिए ढांचा प्रदान करने के लिए एक विसिल ब्लोअर पॉलिसी तैयार करेंगी और लागू करेगी।

(iv) निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन

21. सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने जुलाई 08, 2014 को जारी कार्यालय ज्ञापन एफ सं. 18 (8)/2005-जीएम के अनुसार, कंपनी को निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी जाती है ।

(v) केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निदेशों और वर्ष के दौरान और पिछले तीन वर्षों में भी उनके अनुपालन का विवरण

22. कंपनी परियोजना कार्यान्वयन चरण में है, जो कोलकाता में नज़ीरगंज में आवश्यक पोत निर्माण बुनियादी सुविधाओं की स्थापना की प्रक्रिया में है । कंपनी, जहां भी लागू हो, सार्वजनिक उद्यमों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निदेशों का अनुपालन कर रही है ।

(vi) खाता बहियों में लिखे गए व्यय के मदों जो व्यापार के प्रयोजनों के लिए नहीं है शून्य

(vii) किए गए व्यय जो वैयक्तिक प्रकृति का है और निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए हैं

शून्य

(viii) वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के प्रशासनिक और कार्यालय व्यय कुल व्ययों 66.02% (पिछले वर्ष 42.39%) थे। वर्ष 2020-21 में वित्तीय खर्च कुल व्यय 16.68% (पिछले वर्ष 10.04%) था।

(ix) परिणामों के संचार साधन

23. कंपनी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी परिचालन शुरू करने के लिए नज़ीरगंज में आवश्यक पोत निर्माण बुनियादी सुविधाओं की स्थापना की प्रक्रिया में है । चूंकि कंपनी के शेयरों को किसी भी स्टॉक एक्सचेंजो में सूचीबद्ध नहीं है, तिमाही/ छमाही/ वार्षिक परिणामों को प्रकाशित करने के लिए कोई सांविधिक आवश्यकता नहीं है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों को सीएसएल के वेबसाइट www.cochinshipyard.com में उपलब्ध किया जाएगा और उसी को एक बार कंपनी के वेबसाइट चालू होने पर कंपनी के वेबसाइट में उपलब्ध किया जाएगा ।

(x) लेखापरीक्षा योग्यता

24. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षक, मेसर्स राड्स व कं. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है।

(xi) बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

25. वर्तमान में कंपनी साल्किया और नज़ीरगंज इकाइयों में संचालन शुरू करने के लिए आवश्यक बुनियादी और श्रमशक्ति स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और यथासमय बोर्ड के सदस्यों को व्यवसाय की सफलता के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

पत्राचार के लिए पता:

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

प्रशासनिक भवन, एचसीएसएल परिसर

सत्यन बोस रोड, पी ओ धनेश शेख लेइन

नज़ीरगंज, हावडा, पश्चिम बंगाल - 711 109

दूरभाष : +91 (33) 26888282

ई-मेल : secretary.hcsl@cochinshipyard.in

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में,

मधु एस नायर

अध्यक्ष

डीआईएन: 07376798

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्य

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

राय

हमने **हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड** (‘कंपनी’) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें मार्च 31, 2021 तक का तुलन पत्र एवं लाभ और हानि का विवरण, समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण और वित्तीय विवरणों का नोट जिसमें प्रमुख लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचना का सारांश शामिल है (बाद में ‘स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण’ के रूप में जाना जाता है ।)।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) द्वारा आवश्यक जानकारी आवश्यक तरीके से प्रदान करती है और संशोधितानुसार, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखा मानक और दिनांक 31, 2021 तक कंपनी के मामलों पर भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/हानि, इक्विटी में परिवर्तन और अपने नकद प्रवाह के अनुरूप में एक सही और निष्पक्ष राय देती है।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा पर मानकों (एस ए एस) के अनुसार स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणा की लेखा परीक्षा का संचालन किया। हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी के अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा हेतु उचित नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है ।

प्रमुख लेखा परीक्षा सार

मुख्य लेखा परीक्षा सार वे बातें हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में और हमारी राय बनाने में पूरी तरह से संबंधित किया गया था, आगे हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य जानकारी और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी की तैयारी के लिए जिम्मेदार है । अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, अनुलग्नकों के साथ बोर्ड की रिपोर्ट, व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट, निगमित शासन और शेयरधारक की जानकारी आदि संबंधी सूचना शामिल हैं, लेकिन इसमें स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण और हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है ।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय पर अन्य जानकारी को शामिल नहीं किया है और हम उस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं ।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के साथ वस्तुत: असंगत है या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा प्रत्यक्ष रूप से गलत प्रतीत होता है ।

यदि, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में एक महत्वपूर्ण गलती है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है । हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है ।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 133 के तहत भारतीय लेखा मानकों सहित, भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण नियमों के अनुरूप में कंपनी के इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और रोकड प्रवाह के सही और निष्पक्ष राय देता है, के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए और कपट तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पहचानने हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव उचित लेखाकरण नीतियों के चयन और प्रयोग, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान करने, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव जो वित्तीय विवरणों जो एक सच्चे और निष्पक्ष राय देती है और यदि धोखाधडी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त है, की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालन कर रहे थे, भी शामिल है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण तैयार करते समय कंपनी की क्षमता का आकलन, प्रकटीकरण, जैसा लागू है, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों और लेखांकन के चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करते हुए जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को बंद करने या संचालन को रोकने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है लेकिन किया जाए।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रतिक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण वस्तुगत मिथ्या कथन से मुक्त हैं या नहीं, और एक लेखा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को जारी किया जाए, जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि एस ए एस के अनुसार की गई लेखा परीक्षा हमेशा मौजूदा वस्तुगत मिथ्या कथन का पता लगाएगा। मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती है और उसे वस्तुगत माना जाएगा यदि, वस्तुगत रूप से या कुल रूप में, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने हेतु यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय लेते हैं और पेशेवर संदेहवाद बनाए रखता है। हम यह भी करते हैं कि :

- स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण के वास्तविक गलती के जोखिमों को पहचानना और उनका आकलन करना, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होनेवाली वास्तविक गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणाम स्वरूप होनेवाले से ज्यादा है, क्योंकि धोखाधड़ी में कपटसंधि, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों को अधिभावी करना आदि शामिल हैं।

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त है। अधिनियम की धारा 143 (3) (1) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रण के लिए प्रचालनात्मक प्रभावशीलता है।

- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के चालू मामले के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और, प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर, क्या ऐसी घटना या शर्तों से संबंधित एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने हेतु कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह कायम कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, तो, हमें स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में संबंधी प्रकटीकरण में हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, या, यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो, हमारी राय को संशोधित करना है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक से इस तिथि तक प्राप्त की गई लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर है। फिर भी, भविष्य में होनेवाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी के सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखना, समाप्त होने में परिणत हो सकता है।

- प्रकटीकरण सहित, स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय का मूल्यांकन करना, और क्या स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं तो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

अहमियत, स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में गलतफहमी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम, (i) हमारी लेखापरीक्षा क्षेत्र की योजना करने में और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में, और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान किए गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम, अन्य मामलों से संबंधित शासन के साथ प्रभारित उन लोगों के साथ योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा का समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा जांच-परिणाम, जिसमें हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हम पहचान किए गए आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियाँ सहित है, के संबंध में संवाद करते हैं।

हम, शासन के साथ प्रभारित उन लोगों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं कि हम स्वतंत्रता के संबंध में संगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन किया है, और सभी संबंध और अन्य मामले के संबंध में उन्हें संसूचित किया है, जो हमारी स्वतंत्रता को संभालने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां भी लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय को भी उचित माना जा सकता है।

शासन के साथ प्रभारित उन लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम, उन मामलों को निर्धारित करते हैं, जो मौजूदा अवधि के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए मुख्य लेखा परीक्षा के मामले हैं। हम, अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों की आशंका होगी।

अन्य वैध और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- अधिनियम की धारा 143 (11) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('आदेश') द्वारा अपेक्षितानुसार, हम आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर 'अनुबंध क' में एक बयान देते हैं।
- कंपनी के अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर हम भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 143 (5) के संदर्भ में जारी निदेशों पर 'अनुबंध ख' में रिपोर्ट देते हैं।
- अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

- जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास है, हमने लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया है।

- हमारी राय में, लेखा बहियों की जांच करने से मालूम होता है कि कंपनी ने कानून द्वारा अपेक्षितानुसार बहियों को सही तरीके से रखी गई है।

- इस रिपोर्ट द्वारा बताए गए तुलन पत्र, लाभ व हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और रोकड प्रवाह का विवरण लेखा बहियों के अनुसार है।

- हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानक के अनुपालन करता है।

- मार्च 31, 2021 की तिथि पर निदेशकों से प्राप्त और निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड किए गए लिखित प्रस्तावों के आधार पर, अधिनियम की धारा 164 (2) की शर्तों के अनुसार मार्च 31, 2021 को निदेशक के रूप में नियुक्त करने से निदेशकों में से कोई भी निदेशक को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में, 'अनुबंध ग' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।

- अधिनियम की धारा 197 (16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि संशोधित है : हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को वर्ष के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है।

- कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

- कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमा नहीं है जो कंपनी को अपनी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।

- कंपनी के पास व्युत्पन्न ठेके सहित कोई दीर्घकालिक ठेके नहीं थे जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण प्रत्याशा योग्य हानियां थी।

- कोई राशि नहीं थी जो कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

कृते **राहुस व कं.**

सनदी लेखाकार
(एफआरएन: 320298E)

धीरज कुमार अग्रवाल

साझेदार

कोलकाता

सदस्यता सं.: 067872

मई 18, 2021

यूडीआईएन : 21067872AAAAAU7564

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध 'क'

(सम तिथि की हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत अनुच्छेद में संदर्भित)

- i. जांच के आधार पर, जैसा कि हमने उचित समझा और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - क. कंपनी ने अचल संपत्तियों की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है ।
 - ख. प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर अचल संपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है । हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में कोई प्रत्यक्ष विसंगतियां नहीं पाई गई ।
 - ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण, हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के पास तुलन पत्र की तिथि के अनुसार पूर्ण स्वामित्व की भूमि और भवनों की कोई अचल संपत्ति नहीं है । भूमि और भवन की अचल संपत्तियों के संबंध में जिन्हें पट्टे पर लिया गया है और स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में अचल संपत्तियों के रूप में खुलासा किया गया है, पट्टे समझौते कंपनी के नाम पर है ।
- ii. कंपनी के पास कोई भौतिक माल नहीं है । तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है ।
- iii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बहियों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को कोई अप्रतिभूति या प्रतिभूति ऋण नहीं दिया है । नतीजतन, आदेश के खंड 3 (iii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं ।
- iv. कंपनी ने न तो कोई ऋण दिया है और न ही कोई निवेश किया है और न ही कोई गारंटी दी है और न ही अधिनियम की धारा 185 या धारा 186 के प्रावधानों के तहत कोई प्रतिभूति प्रदान की है । नतीजतन, आदेश खंड 3 (iv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं ।
- v. कंपनी ने जनता से निवेश स्वीकार नहीं किया है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।
- vi. कंपनी द्वारा की जानेवाली व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्दिष्ट नहीं किया गया है । इस प्रकार, आदेश के खंड 3 (vi) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है ।
- vii. सांविधिक देय राशि के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार :
 - क. कंपनी उपयुक्त अधिकारियों के साथ इसके लिए लागू भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य प्रत्यक्ष वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित है ।
 - ख. देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक अवधि के लिए, मार्च 31, 2021 तक भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, सीमाशुल्क, उपकर और अन्य सामग्री सांविधिक देय राशि के संबंध में कोई भी निर्विवाद राशि देय नहीं थी ।
 - ग. आयकर या बिक्री कर या सेवा कर या सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर का कोई बकाया नहीं है ।
- viii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकारों या ऋणपत्र धारकों को किसी भी देय राशि के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है ।
- ix. कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण विलेखों सहित) या सावधि ऋण के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है ।
- x. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई प्रत्यक्ष धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है ।
- xi. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के अनुसार किसी भी प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (xi) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है ।
- xii. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3 (xii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है ।

xiii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी, जहां लागू हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है, और संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेनदेन के लिए और संबंधित पार्टी लेनदेन के ब्यौरे को लागू लेखा मानकों के अनुसार स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है ।

xiv. वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों का कोई अधिमान्य आबंटन या निजी स्थानन या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्र का भुगतान नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (xiv) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है ।

xv. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

xvi. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3 (xvi) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है ।

कृते **राड्स व कं.**
सनदी लेखाकार
(एफआरएन: 320298E)

धीरज कुमार अग्रवाल
साझेदार
कोलकाता
मई 18, 2021
सदस्यता सं.: 067872
यूडीआईएन : 21067872AAAAAU7564

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	वार्षिक रिपोर्ट 2020-21	व्यापार अवलोकन	वैधानिक रिपोर्ट	वित्तीय विवरण
एक कोचीन शिपयार्ड कंपनी				

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध ‘ख’

(सम तिथि की हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के ‘अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट’ अनुभाग के तहत अनुच्छेद 2 में संदर्भित)

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निदेशों पर रिपोर्ट

कंपनी के अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम यहां अधिनियम की धारा 143 (5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों पर एक रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत करते हैं :

क. कंपनी के लेखा रिकॉर्ड सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में रखा जाता है । जैसे, प्रणाली के बाहर लेनदेन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, और इसलिए इस संबंध में कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है ।

ख. वर्ष के दौरान मौजूदा ऋणों को सीमित करने या ऋणों/कर्जों/ब्याज आदि को छूट-पत्र देने/बट्टे खाते में डालने का कोई उदाहरण नहीं है ।

ग. कंपनी को किसी विशिष्ट योजना के तहत कोई विशिष्ट निधि प्राप्त नहीं हुई है और ऐसे में उपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

<p>कृते राहुस व कं. सनदी लेखाकार (एफआरएन: 320298E)</p>	<p>धीरज कुमार अग्रवाल साझेदार सदस्यता सं.: 067872 यूडीआईएन : 21067872AAAAAU7564</p>
<p>कोलकाता मई 18, 2021</p>	

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध ‘ग’

(सम तिथि की हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के ‘अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट’ अनुभाग के तहत पैरा 3 (एफ) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 (‘अधिनियम’) की धारा 143 की

उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक

वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडआलॉन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन के साथ मार्च 31, 2021 तक हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (‘कंपनी’) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है । इन उत्तरदायित्वों में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षितानुसार, कंपनी की नीतियों का अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों को सुरक्षित करना, धोखाधड़ी और त्रुटियों का निरोध और खोज, लेखांकन अभिलेख की सटीकता और संपूर्णता और यथार्थ वित्तीय सूचना के सामयिक तैयारी सहित अपने व्यापार के व्यवस्थित और प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है ।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है । हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में लागू सीमा तक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों और आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग (‘दिशानिर्देश नोट’) के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा आयोजित की । मानकों और दिशानिर्देश नोट यह अपेक्षा करता है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया है और ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी प्रचालित किया है, के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन तथा नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है ।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और उनके प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए निष्पादित प्रक्रियाएं शामिल हैं । वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करना, एक महत्वपूर्ण कमी जो मौजूद है के जोखिम के मूल्यांकन करना और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल किया है । चुनी हुई प्रक्रियाएं, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण के जोखिमों के मूल्यांकन सहित, लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर है ।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित है ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के यथार्थता और वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किए एक प्रक्रिया है । एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित है जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान में उचित विस्तार में, यथार्थ और निष्पक्ष रूप में प्रभावित करता है । (2) जो एक उचित आश्वासन प्रदान करता है कि साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यकतानुसार लेनदेन रिकॉर्ड किया जाता है और कंपनी की प्राप्तियों और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किया जा रहा है, और (3) जो कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या निपटान के निरोध या यथासमय खोज से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करता है, जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है ।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन

अभिसंधि की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन के कारण, कपट या धोखधड़ी के कारण महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण घटित हो सकता है और पता नहीं

लगाया है। भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के अनुमान भी जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शतों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त बन जाएगा, या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन के स्तर बिगड़ जाएगा।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी को, सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को, भारत के सनदी लेखाकार के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए आंतरिक

नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, मार्च 31, 2021 को प्रभावी ढंग से प्रचालित किया जा रहा था।

	कृते राहुस व कं.
	सनदी लेखाकार
	(एफआरएन: 320298E)
	धीरज कुमार अग्रवाल
	साझेदार
	सदस्यता सं.: 067872
कोलकाता	यूडीआईएन : 21067872AAAAAU7564
मई 18, 2021	

दि. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी, कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सामविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधी वित्तीय विवरण पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। दिनांक 18 मई 2021 के उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट उनके द्वारा करने के बारे में बताया गया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से, मैंने, दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अधीन अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई थी और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी अनुरूपण या टिप्पणी को उठा सके।

**भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक के लिए
की ओर से**

(सुपर्णा देव)
महा लेखापरीक्षा निदेशक (कोयला)
कोलकाता

कोलकाता
जुलाई 30, 2021

दिनांक 31 मार्च 2021 का तुलन पत्र

(₹ लाखों में)

ब्यौरा	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
परिसंपत्तियां			
(1) अप्रचलित परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र व उपकरण	2	11.59	22.79
(ख) संपत्ति के उपयोग का अधिकार	3	589.47	371.88
(ग) अगोचर परिसंपत्तियां	4	559.77	347.81
(घ) पूंजीगत प्रगतिशील कार्य	5	12,211.97	3,641.56
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां:			
(i) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	6	0.34	0.31
(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां(निवल)	7	154.48	62.64
(छ) आय कर परिसंपत्तियां (निवल)	8	51.06	44.52
(ज) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	9	47.66	479.02
		13,626.34	4,970.53
(2) चालू परिसंपत्तियां			
(क) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) रोकड व रोकड तुल्यांक	10		
(ii) रोकड व रोकड तुल्यांक के अलावा बैंक शेष	11	3,621.57	1,830.50
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	105.61	100.00
(ख) अन्य चालू परिसंपत्तियां	13	6.09	6.75
		773.96	522.30
कुल परिसंपत्तियां		4,507.23	2,459.55
		18,133.57	7,430.08
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी :			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	14	5,000.00	2,200.00
(ख) अन्य इक्विटी	15	(734.72)	(419.02)
		4,265.28	1,780.98
देयताएं :			
(1) गैर चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
(क) उधार	16	10,649.37	4,789.74
(2) चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
अन्य वित्तीय देयताएं	17	354.59	135.28
(ख) अन्य चालू देयताएं	18	34.27	16.77
(ग) प्रावधान और आकस्मिकताएं	19	2,830.06	707.31
		3,218.92	859.36
कुल इक्विटी और देयताएं		18,133.57	7,430.08
वित्तीय विवरणों के भाग वाले टिप्पणियाँ	1-32		

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राड्स व कं
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 320298E)

धीरज कुमार अग्रवाल
साझेदार
(सदस्यता संख्या. 067872)

कोलकाता
मई 18, 2021

36

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

मधु एस नायर
अध्यक्ष
(डीआईएन 07376798)

राजेश गोपालकृष्णन
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कोच्ची
मई 07, 2021

जोस वी जे
निदेशक व मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रभारी
(डीआईएन 08444440)

किरण के ए
कंपनी सचिव
स.सं. A36050

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि का विवरण

(₹ लाखों में)

ब्यौरा	टिप्पणी सं.	दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
I आय			
अन्य आय	20	40.77	77.12
कुल आय		40.77	77.12
II व्यय:			
कर्मचारी लाभ व्यय	21	25.28	23.71
वित्तीय लागत	22	75.57	33.01
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	23	32.61	20.77
अन्य व्यय	24	314.85	251.21
कुल व्यय		448.31	328.70
III कर पूर्व लाभ/(हानि)		(407.54)	(251.58)
IV कर व्यय:			
(1) चालू कर			-
(2) आस्थगित कर	7	(91.84)	(2.82)
V वर्ष का लाभ/(हानि)		(315.70)	(248.76)
VI अन्य व्यापक आय/(हानि)			
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)		-	-
VII वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)		(315.70)	(248.76)
VIII प्रत्येक 10 रुपए के प्रति इक्विटी शेयर आय:			
(1) मूल (₹)	25	(0.95)	(1.13)
(2) तनुकृत (₹)	25	(0.95)	(1.13)
IX वित्तीय विवरणों के भाग वाले टिप्पणियाँ	1-32		

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राड्स व कं
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 320298E)

धीरज कुमार अग्रवाल
साझेदार
(सदस्यता संख्या 067872)

कोलकाता
मई 18, 2021

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

मधु एस नायर
अध्यक्ष
(डीआईएन 07376798)

राजेश गोपालकृष्णन
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कोच्ची
मई 07, 2021

जोस वी जे
निदेशक व मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रभारी
(डीआईएन 08444440)

किरण के ए
कंपनी सचिव
स.सं. A36050

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड प्रवाह विवरण

ब्यौरा	(₹ लाखों में)	
	दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालन गतिविधियों से रोकड प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	(407.54)	(251.58)
निम्नलिखित के लिए समायोजन:-		
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	32.61	20.77
वित्तीय लागत		33.01
ब्याज आय	(26.10)	(56.26)
प्रतिभूति जमे का निर्माचन	(0.03)	(0.02)
अग्रिम पट्टा किराए का परिशोधन	0.66	0.66
अन्य गैर नकद मद	30.74	(33.01)
गैर चालू/ चालू संपत्तियों और परिसंपत्तियों में बदलाव से पूर्व परिचालन लाभ	(369.66)	(286.43)
निम्नलिखित के लिए समायोजन:-		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में वृद्धि / (कमी)	0.94	70.49
अन्य चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि / (कमी)	(251.66)	(470.11)
वित्तीय परिसंपत्तियों में वृद्धि / (कमी)	(0.03)	(0.02)
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि / (कमी)	208.72	(207.69)
अन्य वित्तीय देयताओं में वृद्धि / (कमी)	219.31	116.72
अन्य चालू देयताओं में वृद्धि / (कमी)	17.50	16.59
चालू प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	2,122.75	499.28
प्रचालन से उत्पन्न/(में प्रयुक्त) नकदी	1,947.86	(261.17)
प्रदत्त आयकर	(6.54)	(23.29)
परिचालन गतिविधियों से / (में प्रयुक्त) निवल नकद	1,941.32	(284.46)
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद	(0.07)	(12.71)
पूंजीगत काम की प्रगति में (वृद्धि)/ कमी	(8,570.41)	(3,290.78)
प्रतिभूति जमे का निर्माचन	0.03	0.02
प्राप्त ब्याज	25.81	69.29
(निवेश) / मियादी जमे का प्रतिदान	(5.61)	1,106.11
निवेश गतिविधियों से / (में प्रयुक्त) निवल नकद	(8,550.25)	(2,128.07)

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड प्रवाह विवरण

ब्यौरा	(₹ लाखों में)	
	दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
ग. वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड		
प्राप्त पट्टा किराया	-	(1.81)
प्रदत्त पट्टा किराया	-	12.03
अधिकार शेयर जारी करने से आय	2,800.00	
वरीयता शेयर जारी करने से आय	5,600.00	-
अल्पावधि ऋण प्राप्त करने से आय	1,000.00	-
अल्पावधि ऋण का पुनर्भुगतान	(1,000.00)	
वित्तीय गतिविधियों से/ (में प्रयुक्त) निवल रोकड	8,400.00	10.22
रोकड और रोकड तुल्यांक में निवल वृद्धि/ (घटाव)	1,791.07	(2,402.31)
प्रारंभिक नकदी और नकदी समकक्ष	1,830.50	4,232.81
अंत नकदी और नकदी समकक्ष (नोट 10 देखें)	3,621.57	1,830.50
वित्तीय विवरणों के भागवाली टिप्पणियां		1-32

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **राहुस व कं**
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 320298E)

धीरज कुमार अग्रवाल
साझेदार
(सदस्यता संख्या 067872)

कोलकाता
मई 18, 2021

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

मधु एस नायर
अध्यक्ष
(डीआईएन 07376798)

राजेश गोपालकृष्णन
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कोच्ची
मई 07, 2021

जोस वी जे
निदेशक व मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रभारी
(डीआईएन 08444440)

किरण के ए
कंपनी सचिव
स.सं. A36050

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाखों में)

01 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान परिवर्तन	31 मार्च 2021 को शेष
2,200.00	2,800.00	5,000.00

(₹ लाखों में)

01 अप्रैल 2019 को शेष	वर्ष के दौरान परिवर्तन	31 मार्च 2020 को शेष
2,200.00	-	2,200.00

ख. अन्य इक्विटी

(₹ लाखों में)

	प्रतिधारित आय	कुल
01 अप्रैल 2020 को शेष	(419.02)	(419.02)
वर्ष का लाभ/(हानि)	(315.70)	(315.70)
वर्ष के अन्य व्यापक आय	-	-
वर्ष के कुल व्यापक आय	(315.70)	(315.70)
31 मार्च 2021 को शेष	(734.72)	(734.72)

(₹ लाखों में)

	प्रतिधारित आय	कुल
01 अप्रैल 2019 को शेष	(170.26)	(170.26)
वर्ष का लाभ/(हानि)	(248.76)	(248.76)
वर्ष के अन्य व्यापक आय	-	-
वर्ष के कुल व्यापक आय	(248.76)	(248.76)
31 मार्च 2020 को शेष	(419.02)	(419.02)

ग. वित्तीय विवरणों के भाग टिप्पणी टिप्पणियाँ

1-32

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

कृते राहुस व कं

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं. 320298E)

मधु एस नायर

अध्यक्ष

(डीआईएन 07376798)

जोस वी जे

निदेशक व मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रभारी

(डीआईएन 08444440)

धीरज कुमार अग्रवाल

साझेदार

(सदस्यता संख्या 067872)

राजेश गोपालकृष्णन

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

किरण के ए

कंपनी सचिव

स.सं. A36050

कोलकाता

मई 18, 2021

कोच्ची

मई 07, 2021

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

1. मुख्य लेखाकरण नीतियां

1.1 अनुपालन का विवरण

इन वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के साथ पढ़ी गई कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित अनुसार भारतीय लेखाकरण मानक के अनुरूप में तैयार किया गया है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, होल्डिंग कंपनी, मैसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस के रूप में उल्लिखित) को दिनांक 01 अप्रैल 2016 के प्रभाव से स्वीकार किया है। कंपनी एचसीएसएल ने विवरणों अपने वित्तीय विवरणों को अपने होल्डिंग कंपनी मैसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जिसको इसके इक्विटी शेयर पूंजी के निर्णायक बहुमत है, के लिए लागू अनुसार भारतीय लेखाकरण मानक के अनुरूप में तैयार किया है।

1.2 वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार किए गए हैं, कुछ परिसंपत्तियों और देनदारियों के अपवाद सहित जिन्हें भारतीय लेखा मानक द्वारा उचित मूल्य पर ले जाने की आवश्यकता होती है। उचित मूल्य एक ऐसी कीमत है जिसे किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाता है या मापन की तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए दिया जाता है।

1.3 अनुमानित खर्चों और निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप में वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को लेखा नीतियों के प्रयोग को प्रभावित करने और वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देयताओं और प्रकटीकरण रिपोर्ट की गई राशियाँ और प्रस्तुत की गई वर्षों के लिए राजस्व एवं खर्चों की रिपोर्ट की गई राशियों का निर्णय, आकलन और अनुमान बनाने की आवश्यकता है। आकलनों और संबद्ध अनुमानों ऐतिहासिक अनुभव और अन्य घटकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम विभिन्न अनुमानों और शर्तों के अधीन इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

आकलनों और अंतर्निहित अनुमानों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। अगर संशोधन केवल उस अवधि को प्रभावित करता है या संशोधन की अवधि में और भविष्य की अवधियों में यदि संशोधन दोनों वर्तमान या भविष्य अवधियों को प्रभावित करता है, आकलन संशोधित जिस अवधि, में लेखाकरण आकलनों के लिए संशोधन मान्य किया जाता है।

1.4 समीक्षात्मक लेखांकन आकलन और निर्णय:

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रयोग जो जटिल लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता होती है जिसमें जटिल और व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होते हैं और वित्तीय विवरणों में अनुमानों का उपयोग नीचे दिया गया है:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयोगी सक्रियता

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति की उपयोगी सक्रियता और बकाया मूल्यों की समीक्षा करती है। अनुमान भी बनाई जाती है कि क्या कोई वस्तु परिसंपत्ति के विवरण को पूरा करती है ताकि वह अपने पूंजीकरण के लिए गारंटी देता है और परिसंपत्ति के कौन सा घटक पूंजीकृत हो। जीवन के पुनर्मूल्यांकन भविष्य अवधियों में मूल्यहास व्ययों में परिवर्तन में परिणत हो सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और संपत्तियों का मूल्यांकन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की बकाया राशि की समीक्षा करती है। आस्थगित कर वस्तुओं के तत्वों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है। इसके अलावा, इस संबंध में आस्थगित कर पर टिप्पणी सं. 1.16 का उल्लेख किया जा सकता है।

प्रावधानों की मान्यता और मापन

प्रावधानों की मान्यता और मापन संसाधनों के बहिर्वाह की संभाव्यता के निर्धारण और पिछले अनुभव तथा तुलन पत्र तिथि में ज्ञात परिस्थितियों पर आधारित है। भविष्य की एक तिथि में संसाधनों के वास्तविक बहिर्वाह प्रावधानों में शामिल आंकड़ा से भिन्न हो सकता है।

आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

व्यापार की सामान्य अवधि से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो कंपनी पर भविष्य देयताएं देने की क्षमता है जिससे भविष्य में संसाधनों के बहिर्वाह में परिणत होता है। इन परिस्थितियों में उस कंपनी के खिलाफ दावे भी शामिल हैं जो इससे विवादित हैं। ऐसी देयताओं और उसके मात्रा के क्रिस्टलीकरण कुछ घटनाओं के परिणाम पर निर्भर करता है, अर्थात् मुकदमों में निर्णय जिनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इन देयताओं को वित्तीय विवरणों में स्वीकार नहीं किया है, लेकिन परिस्थितियां जो उत्पन्न होती है, को नोट के भाग के रूप में प्रकट किया है।

अग्रिम / प्राप्य की पुनर्प्राप्ति

कंपनी व्यापार और अन्य प्राप्तियों की पुनर्प्राप्ति के मूल्यांकन के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि का प्रावधान करती है। संदिग्ध ऋणों की पहचान के लिए निर्णय का उपयोग और अनुमान की आवश्यकता होती है। जहाँ उम्मीद मूल अनुमान से अलग है, इस तरह अंतर से व्यापार और अन्य प्राप्तियों के मूल्य पर असर पड़ेगा और संदिग्ध ऋणों के लिए खाते के लिए प्रावधान पर खर्च उस अवधि में होगा, जिसमें इस तरह के अनुमानों को बदल दिया गया है। प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि में, अपेक्षित लाइफ के परे अवलोकन किए ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों के आधार पर, प्रबंधन बकाया प्राप्ति और अग्रिमों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि का मूल्यांकन करता है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

उचित मूल्य माप

वित्तीय साधनों (जहां सक्रिय बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है) और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रबंधन मूल्यांकन तकनीकों को लागू करते हैं । इसमें विकासशील अनुमानों और मान्यताओं को शामिल किया गया है जो कि बाजार सहभागियों द्वारा साधनों की कीमत के अनुरूप होगी । प्रबंधन जहां तक संभव हो, अवलोकन योग्य डेटा पर अपनी मान्यताओं को आधार बनाता है लेकिन यह हमेशा उपलब्ध नहीं होता है । उस स्थिति में प्रबंधन उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी का उपयोग करता है । अनुमानित उचित मूल्य वास्तविक मूल्यों से भिन्न हो सकते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर निष्पक्ष लेनदेन में प्राप्त किया जाएगा ।

1.5 पट्टे

पट्टेदार के रूप में:

पट्टे वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब कभी पट्टे की शर्तें वास्तव में पट्टेदार को स्वामित्व का सभी जोखिमों और पुरस्कार हस्तांतरित करते हैं। पट्टे जहाँ स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों के महत्वपूर्ण भाग को पट्टेदार द्वारा प्रतिधारण किया जाता है, वर्तमान पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(i) पट्टे के लिए लेखांकन

संबंधित प्रासंगिक लेखा मानकों के अनुसार कंपनी ने पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों की पहचान की है जो विचार की विनिमय में समय की अवधि के लिए पट्टा करार शामिल ठेके में स्पष्ट रूप से या अस्पष्ट रूप से किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोगार्थ अधिकार के लिए परिसंपत्ति धारक को व्यक्त करता है ।

(ii) उपयोग अधिकार और पट्टा देयता की पहचान

पहचानित परिसंपत्ति के लिए उपयोग अधिकार और पट्टे की अवधि के लिए समतुल्य पट्टा देयता को पट्टे की शुरुआत में पहचाना जाता है और तुलनपत्र में प्रकट किया जाता है । उपयोग अधिकार को लागत पर और पट्टा देयता को पट्टा भुगतान जो प्रारंभिक मान्यता तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है, के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है । पट्टा देयता का वर्तमान मूल्य को लागू अनुसार पट्टे में निहित ब्याज दर या वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करते हुए निर्धारित किया जाता है । ऐसे पट्टे लेखांकन उन मामलों में लागू नहीं किए जाते हैं जहां पट्टा अवधि 12 महीने से कम अवधि की होती है या जिसके लिए अंतर्निहित मूल्य कम होता है ।

प्राप्त उपयोग अधिकार को आगामी अवधि में कम लागत के संचित परिशोधन और हानि पर पुन: मापन किया जाएगा । पट्टा देयता को प्रभावी ब्याज दर रीति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर तदनंदर पुन: मापित किया जाएगा ।

एक पट्टेदार के रूप में :

पट्टे आय पट्टे करार के आधार पर पहचाना जाता है और स्टैंडअलॉन लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है ।

1.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

पी पी ई शुरू में लागत पर मान्य किया जाता है। पी पी ई की प्रारंभिक लागत में इसकी खरीद मूल्य और किसी व्यापार छूट तथा कटौतियों के निवल गैर वापसी योग्य शुल्क और कर सहित प्रबंधन द्वारा नियत तरीके में संचालन के लिए सक्षम बनाने हेतु परिसंपत्ति को स्थान में लाने और आवश्यक स्थिति में लाने के लिए होनेवाले प्रत्यक्ष रूप से आपोष्य किसी लागत शामिल है। पी पी ई की लागत में प्रारंभिक स्वीकृति तक (योग्य परिसंपत्तियों के निर्माण या उत्पादन, अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य उधार लागत) कर्जों पर ब्याज भी शामिल है। पी पी ई नि: शुल्क संचित मूल्यहास (पूर्ण स्वामित्व भूमि जो लागत में स्पष्ट किए को छोड़कर) और नुकसान यदि कोई है में स्पष्ट किया है।

इसके बाद की लागतों को परिसंपत्ति के कैरियिंग मूल्य में शामिल किया है या उचित रूप से एक अलग परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत किया है। केवल जब यह संभाव्य है कि मद से संबंधित भविष्य आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा और मदों की लागत वस्तुगत है और विश्वासनीय ढंग से मापा जा सकता है। एक अलग परिसंपत्ति के रूप में गणना की गई किसी घटक की कैरियिंग राशि जब उसे प्रतिस्थापित करते समय अस्वीकृत किया जाता है। सभी अन्य मरम्मत और अनुरक्षण रिपोर्टिंग अवधि जिसमें वह खर्च किए जाते है, के दौरान लाभ व हानि के विवरण में प्रभारित किया है।

1.7 प्रगतिशील पूंजी कार्य

प्रगतिशील पूंजी कार्य संयंत्र और उपकरण है जो रिपोर्टिंग तिथि पर उनके नियत उपयोग के लिए अभी तक तैयार नहीं है जो लागत पर लाई जाती है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित प्रासंगिक आकस्मिक खर्च और आरोप्य उद्धार लागत शामिल है।

1.8 अगोचर परिसंपत्ति

भूमि और अन्य सुविधा के उपयोग के अधिकार प्राप्त करने के लिए अग्रिम शुल्क और अन्य प्रतिफलों को अगोचर संपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया गया है और उस अवधि के दौरान सीधी लाइन पद्धति के आधार पर अमूर्त किया गया है जिसके लिए अधिकार प्राप्त किया जाता है, जिस तारीख से अधिकार का उपयोग करने में सक्षम हो जाता है।

1.9 मूल्यहास

कंपनी अधिनियम, 2013 में अनुसूची ॥ में निर्धारितानुसार उपयोगी काल के आधार पर एक सीधी रेखा पद्धति पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है ।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और प्रारंभ में मान्यताप्राप्त किसी महत्वपूर्ण भाग जो निपटान पर अमान्य किया जाता है या जब इसके उपयोग या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है । परिसंपत्ति के अमान्य पर उत्पन्न कोई लाभ/हानि को जब परिसंपत्ति अमान्य किए जाने पर स्टैंडअलॉन लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है । अभी भी प्रयुक्त पूर्ण मूल्यहास की गई परिसंपत्तियों को अवशेष मूल्य पर स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में बरकरार रखा गया है ।

मूल्यहास पद्धति, उपयोगी लाइफ और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में की जाती है और यदि उचित हो,तो, प्रत्याशित प्रभाव से समायोजित की जाती है ।

प्रबंधन का मानना है कि परिसंपत्ति का कार्यकाल उसी प्रकार है जो अधिनियम के अनुसूची ॥ में निर्धारित किया है, कुछ विशेष प्रकार की इमारतों और उपकरणों को छोड़कर जहां तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, कार्यकाल को उक्त अनुसूची ॥ में निर्धारित व्यवस्था से अलग माना गया है । विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों के लिए मूल्यहास की गणना के लिए कार्यकाल निम्नानुसार हैं :

संपत्ति वर्ग	कार्यकाल
भवन	3-60 वर्ष
संयंत्र और उपकरण	5-15 वर्ष
फर्नीचर और फिक्सचर	8-10 वर्ष
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	3-6 वर्ष

1.10 वित्तीय साधन

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को मान्यता तब दी जाती है जब इकाई, साधन के अनुबंध प्रावधानों के लिए एक पार्टी बन जाती है ।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है । लेनदेन की लागत जो सीधे वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण या जारी के लिए जिम्मेदार होती है (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय) को वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता के प्रारंभिक मान्यता पर मापी गई उचित मूल्य से जोड या घटा दी जाती है ।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीओसीआई)

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय में लगा दिया है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने से प्राप्त होता है जो निर्दिष्ट तिथियों को केवल मूलधन और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज के भुगतान करने के लिए और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री के ज़रिए होता है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित दर पर मापा जाता है जब तक यह प्रारंभिक मान्यता पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के अधिग्रहण के लिए सीधे आरोप्य लेनदेन लागत तत्काल से लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है अगर ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय में लगा दिया हैं, जिसका उद्देश्य संविदात्मक रोकड प्रवाह को एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को प्रतिरक्षा करना है और वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर रोकड प्रवाहों उत्कर्ष होता है जो केवल बकाया मूलधन राशि पर ब्याज और मूल धन के भुगतान है।

रोकड व रोकड तुल्यांक

कंपनी सभी अत्यधिक तरल वित्तीय साधनों को जो रोकड की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय है जो कि मूल्य में परिवर्तन की एक नगण्य जोखिम के अधीन है और रोकड तुल्यांक होने के लिए खरीद की तिथि से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता होते हैं। रोकड व रोकड तुल्यांक में बैंकों के साथ शेष जो वापसी और उपयोग के लिए अप्रतिबंधित है, शामिल होते हैं।

वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताएं प्रभावी ब्याज दर पद्धति उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय साधनों का ऑफ सेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं ऑफसेट है और निवल राशि वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की जाती है यदि वर्तमान में मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए लागू करने योग्य वैध अधिकार है और परिसंपत्तियों को वसूल करने और एक ही समय पर देयताओं को निपटान करने के लिए एक निवल आधार पर निपटान करने की उम्मीद है।

1.11 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

यदि कोई पिछली घटना के परिणामस्वरूप, कंपनी को एक मौजूदा कानूनी दायित्व है जिसका विश्वासनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है और यह संभाव्य है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों का बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। प्रावधान (सेवा निवृत्ति लाभ और क्षतिपूर्ति की गई छुट्टी को छोड़कर) अपने मौजूदा मूल्य से छूट नहीं दी गई है और रिपोर्टिंग तिथि पर

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित आर्थिक लाभों के बहिर्वाह के सबसे अच्छा अनुमान से निर्धारित किया गया है। इन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षित किया जाता है ताकि वर्तमान उत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित किया जा सके।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियाँ स्पष्ट नहीं किया है जब तक आर्थिक लाभों का अंतर्वाह संभाव्य नहीं है।

1.12 राजस्व मान्यता

अन्य

अर्जित अन्य आय को प्रोद्भव आधार पर मान्य किया है।

1.13 कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में वेतन और मजदूरी एवं भविष्य निधि में अंशदान शामिल हैं। जैसा कि वर्तमान में कंपनी के पास नियत अवधि रोजगार के ठेके के आधार पर नियुक्त कर्मचारी हैं, अधिवर्षिता निधि, चिकित्सा सहायता और क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति में अंशदान की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती है।

1.14 उधार लागत

अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे जिम्मेदार सामान्य और विशिष्ट उधार लेने की लागत (निधि के अस्थायी नियोजन पर अर्जित निवल आय) को जब ऐसी परिसंपत्तियाँ इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती है, तिथि तक ऐसी परिसंपत्तियों के लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। एक अर्हक परिसंपत्ति वह है जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने हेतु आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेता है। अन्य सभी उधार लागत, उस अवधि में जिसमें खर्च हुआ है, को लाभ/हानि के विवरण में प्रभाित किया जाता है।

1.15 पूर्व अवधि समायोजन

कंपनी के वित्तीय मामले पर महत्वपूर्ण प्रभाव होनेवाली त्रुटियों के कारण पूर्वावधि समायोजन को प्रस्तुत पूर्वावधि में हुई त्रुटि या यदि प्रस्तुत पूर्व वित्तीय अवधि के पहले हुई त्रुटि हो, में पुनः बयान करते हुए, वित्तीय स्थिति में खुला विवरण का पुनः बयान करते हुए पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है।

1.16 आय पर कर

आय कर

आयकर व्यय में चालू कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परसंपत्ति या देयता में निवल परिवर्तन शामिल है। वर्तमान और आस्थगित करों को जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्य जो मर्दों से संबंधित हों, जिस मामले में, चालू और आस्थगित कर क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे

इक्विटी में भी मान्य किया जाता है को छोड़कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

चालू कर

चालू कर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुरूप में निर्धारित अनुसार वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय होने की उम्मीद की गई कर राशि पर मापा जाता है। चालू कर परिसंपत्तियाँ और चालू कर देयताएं सेट ऑफ किया जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट ऑफ करने के लिए कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार है और एक निवल आधार पर परिसंपत्ति और देयता को निपटान करने का उद्देश्य है।

आस्थगित कर

आस्थगित आयकर तुलन पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके मान्यता दिया जाता है। जब आस्थगित आयकर एक लेनदेन में एक परिसंपत्ति या देयता की मान्यता से उत्पन्न होता है वह एक व्यापार संयोजन नहीं है और लेनदेन के समय पर न लेखांकन न तो कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है के सिवाय आस्थगित आयकर परिसंपत्तियाँ और देयताएं, परिसंपत्तियाँ और देयताओं के कर आधार और उनकी कैरियिंग राशि के बीच होनेवाले कटौती योग्य और कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए मान्यता दी जाती है।

1.17 प्रति शेयर आय

इक्विटी शेयरधारकों के लिए आरोग्य निवल लाभ को इक्विटी शेयरों भारित औसत संख्या/ रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया डायलूटड संभावित इक्विटी शेयरों जैसी स्थिति हो, से विभाजित करके प्रति शेयर की मूल और तनुकृत आय की गणना की जाती है।

1.18 रोकड प्रवाह विवरण

रोकड प्रवाहों को परोक्ष रीति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है जिससे कर के पूर्व लाभ/ हानि गैर रोकड प्रकृति के लेनदेन और पूर्व या भविष्य रोकड प्राप्तियों या भूगतानों के स्थगन या संचलन और निवेश या वित्तीय रोकड प्रवाह से जुड़े आय या व्यय के मर्दों को प्रभावित करने के लिए समायोजन किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर कंपनी के ऑपरेटिंग, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से रोकड प्रवाह अलग किया जाता है।

रोकड प्रवाह विवरण के प्रयोजन के लिए, रोकड और रोकड तुल्यांक में बैंको में और हाथ में रोकड और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पावधि जमाएं शामिल है, जो मूल्य में परिवर्तनों का एक नगण्य जोखिम, बकाया बैंक ऑवरड्राफ्ट का निवल यदि कोई है, के अधीन है। बैंक ऑवरड्राफ्ट को तुलन पत्र में चालू देयताओं में कर्ज के अंतर्गत प्रकट किया जाता है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 2 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

2.1 गोचर संपत्ति

(₹ लाखों में)

विवरण	सकल खंड				मूल्यहास				निवल खंड	
	1 अप्रैल 2020 को	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान निपटान	31 मार्च 2021 को	1 अप्रैल 2020 को	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान निपटान	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
भवन	26.81	-	-	26.81	11.08	8.49	-	19.57	7.24	15.73
संयंत्र और उपकरण	1.90	-	-	1.90	0.06	0.12	-	0.18	1.72	1.84
फर्नीचर और फिक्सचर	0.28	-	-	0.28	0.05	0.03	-	0.08	0.20	0.23
कार्यालय उपकरण	0.17	-	-	0.17	0.02	0.03	-	0.05	0.12	0.15
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	7.65	0.07	-	7.72	3.33	2.43	-	5.76	1.96	4.32
कुल	36.81	0.07	-	36.88	14.54	11.10	-	25.64	11.24	22.27
पिछले वर्ष	24.63	12.18	-	36.81	4.08	10.46	-	14.54	22.27	

2.2 अगोचर संपत्ति

(₹ लाखों में)

विवरण	सकल खंड				मूल्यहास				निवल खंड	
	1 अप्रैल 2020 को	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान निपटान	31 मार्च 2021 को	1 अप्रैल 2020 को	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान निपटान	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
सॉफ्टवेयर	0.53	-	-	0.53	0.01	0.17	-	0.18	0.35	0.52
कुल	0.53	-	-	0.53	0.01	0.17	-	0.18	0.35	0.52
पिछले वर्ष	-	0.53	-	0.53	-	0.01	-	0.01	0.52	

नोट 3 : उपयोग का अधिकार- परिसंपत्ति

(₹ लाखों में)

विवरण	सकल खंड				परिशोधन				निवल वहन राशि	
	1 अप्रैल 2020 को	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान निपटान	31 मार्च 2021 को	1 अप्रैल 2020 को	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान निपटान	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
उपयोग का अधिकार- नजीरगंज में भूमि (5.31 एकड)	128.36	-	-	128.36	2.18	2.18	-	4.36	124.00	126.18
उपयोग का अधिकार- नजीरगंज में भूमि (10.45 एकड)	248.86	-	-	248.86	3.16	4.24	-	7.40	241.46	245.70
उपयोग का अधिकार- सालाकिया में भूमि (9.91 एकड)	-	228.91	-	228.91	-	4.90	-	4.90	224.01	-
कुल	377.22	228.91	-	606.13	5.34	11.32	-	16.66	589.47	371.88
पिछले वर्ष	-	377.22	-	377.22	-	5.34	-	5.34	371.88	

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 4 : अगोचर संपत्ति (पट्टे वाली भूमि का मूल्य)

(₹ लाखों में)

विवरण	सकल खंड			ऋण परिशोधन			निवल वहन राशि			
	1 अप्रैल 2020 को	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान निपटान	31 मार्च 2021 को	1 अप्रैल 2020 को	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान निपटान	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
उपयोग का अधिकार-नजीरगंज में पट्टा भूमि (5.31 एकड़)	118.94	-	-	118.94	2.22	1.98	-	4.20	114.74	116.72
उपयोग का अधिकार-नजीरगंज में पट्टा भूमि (10.45 एकड़)	234.07	-	-	234.07	2.98	3.96	-	6.94	227.13	231.09
उपयोग का अधिकार-सालकिया में पट्टा भूमि (9.91 एकड़)	-	221.99	-	221.99	-	4.09	-	4.09	217.90	-
कुल	353.01	221.99	-	575.00	5.20	10.03	-	15.22	559.77	347.81
पिछले वर्ष	118.94	234.07	-	353.01	0.24	4.96	-	5.20	347.81	-

नोट 5 : पूंजीगत प्रगतिशील कार्य

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
परियोजना प्रबंधन शुल्क और विविध पूंजीगत व्यय	12,211.97	3,641.56
कुल	12,211.97	3,641.56

कंपनी ने अपने नियंत्रक कंपनी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से परियोजना के प्रस्तावित संवर्धन के लिए किए गए कार्यों की ओर अस्थायी विशेष नियुक्ति के आधार पर कार्मिकों की सेवाओं का लाभ उठाया है। कंपनी उपर्युक्त व्यक्तियों पर किए गए खर्च के लिए कंपनी को हुई लागत (सीटीसी) आधार पर, जिसे सेवा प्रदाता को प्रतिपूर्ति की जानी है, जिम्मेदार है। चूंकि ये लागत विशेष रूप से मौजूदा सुविधाओं की नवीकरण के लिए है, इसलिए ऐसे लागतों को कर्मचारी श्रमशक्ति लागत शीर्ष के अधीन प्रगतिशील पूंजी कार्य की ओर लिया गया है। जो पूंजी परियोजना की समाप्ति पर पूंजीकृत की जाएगी।

नोट 6 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
प्रतिभूति जमा	0.34	0.31
कुल	0.34	0.31

नोट 7 : आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
आस्थगित कर परिसंपत्ति	154.48	62.64
कुल	154.48	62.64

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 8 : आयकर परिसंपत्ति (निवल)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
अग्रिम आयकर(कराधान के प्रावधान का निवल)	51.06	44.52
कुल	51.06	44.52

नोट 9 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
अप्रतिभूत, वसूली योग्य		
प्रतिभूति जमा	9.91	11.22
अन्य दीर्घकालिक अग्रिम	-	429.39
अग्रिम पट्टा किराया	37.75	38.41
कुल	47.66	479.02

नोट 10 : रोकड और रोकड तुल्यांक

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
बैंक शेष		
-चालू खाते में	7.31	84.79
-कम से कम तीन वर्ष की मूल परिपक्वता के साथ अवधि जमा	3,614.26	1,745.71
कुल	3,621.57	1,830.50

नोट 11 : रोकड और रोकड तुल्यांक के अलावा अन्य बैंक शेष

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
3 महीने से अधिक और 12 महीने से कम मूल परिपक्वता वाले बैंकों के साथ सावधि जमा	105.61	100.00
कुल	105.61	100.00

नोट 12 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
स्थायी जमे पर उपाजित व्याज	6.09	6.75
कुल	6.09	6.75

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 13 : अन्य चालू परिसंपत्तियां

ब्योरा	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
अप्रतिभूत अग्रिम		
विविध जमाराशियां (अप्रयुक्त जीएसटी इनपुट क्रेडिट)	709.44	147.74
पूर्वदत्त व्यय	0.92	5.69
विविध चालू परिसंपत्तियां	63.60	368.87
कुल	773.96	522.30

नोट 5-12 का पुष्टिकारक

	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
नोट 5 की अनुसूची आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	1,54,48,151.82	62,64,452.52
उपरोक्त का कुल योग	1,54,48,151.82	62,64,452.52
नोट 6 की अनुसूची : वित्तीय परिसंपत्तियां		
मेसर्स एचडीपीआईएल को प्रदत्त प्रतिभूमि जमे का वर्तमान मूल्य	33,545.00	30,846.00
उपरोक्त का कुल योग	33,545.00	30,846.00
नोट 7 की अनुसूची : अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां		
प्रतिभूति जमा		
टेलिफोन जमा	5,249.00	5,249.00
प्रतिभूति जमा - सीईएससी नजीरगंज	3,60,484.06	4,74,845.73
प्रतिभूति जमा - सीईएससी सालकिया	2,84,769.13	3,02,330.85
प्रतिभूति जमा - रीगस	2,40,000.00	2,40,000.00
प्रतिभूति जमा - बाल्मर लॉरी लिमिटेड	1,00,000.00	1,00,000.00
प्रतिभूति जमा - एनएसडीएल	-	-
	9,90,502.19	11,22,425.58
अन्य दीर्घकालिक अग्रिम		
संग्रहण अग्रिम - 1 - मेसर्स ट्रिबेनी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	-	94,75,199.00
संग्रहण अग्रिम - 2 - मेसर्स ट्रिबेनी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	-	1,12,64,537.00
लीज होल्ड अधिकारों के लिए अग्रिम	-	2,21,98,800.00
	-	4,29,38,536.00
उपरोक्त का कुल योग	9,90,502.19	4,40,60,961.58
परिशोधन के निवल अग्रिम पट्टा किराए का उचित मूल्य	37,75,224.00	38,41,456.00
उप कुल (क)	37,75,224.00	38,41,456.00

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
उपरोक्त अनुसूची 7 का कुल योग	47,65,726.19	4,79,02,417.58
प्रतिभूति जमा - सीडीएसएल		
उपरोक्त का कुल योग		9,58,04,835.16
नोट 8 की अनुसूची : बैंकों के साथ शेष		
चालू खाते में		
बैंक खाता - फेडरल बैंक	5,42,654.72	6,38,053.00
बैंक खाता - एसबीआई	1,88,232.62	78,41,091.12
उप कुल (क)	7,30,887.34	84,79,144.12
3 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली मीयादी जमाराशियां		
भारतीय स्टेट बैंक	36,14,25,898.00	17,45,71,330.00
भारतीय स्टेट बैंक, वाणिज्यिक शाखा, कोलकाता		
फेडरल बैंक	-	-
विजया बैंक	-	-
उप कुल (क)	36,14,25,898.00	17,45,71,330.00
नोट 9 : नकद और नकद समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष		
3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियां		
फेडरल बैंक लिमिटेड		
दि फेडरल बैंक लिमिटेड	1,05,60,728.00	1,00,00,000.00
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	-	-
भारतीय स्टेट बैंक	-	-
उप कुल	1,05,60,728.00	1,00,00,000.00
नोट 10 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - चालू		
बैंक में सावधि जमे पर अर्जित ब्याज	6,09,022.00	6,74,538.00
कुल	6,09,022.00	6,74,538.00
नोट 11 : चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)		
मू.व. 2018-19 स्रोत पर कर कटौती	-	-
मू.व. 2019-20 स्रोत पर कर कटौती	19,37,743.00	19,37,743.00
मू.व. 2020-21 स्रोत पर कर कटौती	25,21,871.00	25,14,620.00
मू.व. 2021-22 स्रोत पर कर कटौती	5,78,831.00	
आपूर्ति पर स्रोत पर एकत्रित कर	67,807.00	
उप कुल	51,06,252.00	44,52,363.00

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
नोट 12 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		
विविध जमा (अप्रयुक्त जीएसटी इनपुट क्रेडिट)		
इनपुट सीजीएसटी - अप्रयुक्त	1,32,60,972.75	42,65,647.17
इनपुट एसजीएसटी - अप्रयुक्त	1,32,60,972.75	42,65,647.17
इनपुट आईजीएसटी - अप्रयुक्त	4,44,21,697.00	62,42,756.00
उप कुल	7,09,43,642.50	1,47,74,050.34
भारत सरकार को देय समायोजन लंबित पट्टा किराया	55,00,774.00	10,14,708.00
मेसर्स एचडीपीईएल से वसूली योग्य राशि	3,62,164.00	2,50,000.00
श्री शिवप्रसाद एस पी, कोड सं. 0001 को अग्रदाय अग्रिम	25,000.00	-
श्री साहब गुहा रॉय से वसूली योग्य कर्मचारी विक्रेता अग्रिम	-	683.00
श्री पी एन मणिकुमार से वसूली योग्य कर्मचारी विक्रेता अग्रिम	-	1,102.00
श्री गिरीज के आर से वसूली योग्य कर्मचारी विक्रेता अग्रिम	-	556.00
श्री शिवप्रसाद एस पी से वसूली योग्य कर्मचारी विक्रेता अग्रिम	-	449.00
श्री पुण्यव्रता मजूमदर से वसूली योग्य कर्मचारी विक्रेता अग्रिम	-	408.00
श्री सम्राट बसु से वसूली योग्य कर्मचारी विक्रेता अग्रिम	-	149.00
श्री जॉयदीप गोस्वामी से वसूली योग्य कर्मचारी विक्रेता अग्रिम	-	(452.00)
मेसर्स एनएसडीएल को अग्रिम	2,655.00	0.00
मेसर्स सीडीएसएल को अग्रिम	1,180.00	-
मेसर्स लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवट लिमिटेड को अग्रिम	1,180.00	-
सीईएससी के साथ एसडी पर प्राप्य ब्याज	38,715.19	39,575.00
ठेकेदारों से प्राप्य पट्टा किराया	-	-
मेसर्स त्रिबेनी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को संग्रहण अग्रिम पर अर्जित ब्याज	-	1,24,296.00
मेसर्स त्रिबेनी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को सामग्रियों के सामने प्रतिभूति अग्रिम	1,57,52,640.00	1,57,87,351.00
मेसर्स त्रिबेनी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को आरए बिल अग्रिम	-	58,99,998.00
मेसर्स यूनीक इंडस्ट्रियल हैंडलर्स प्राइवट को सामग्री आपूर्ति पर अग्रिम	-	50,81,472.00
मेसर्स इलेक्ट्रोमेक मैटीरियल हैंडलिंग सिस्टम को सामग्री आपूर्ति पर अग्रिम	59,29,570.00	97,00,695.00
मेसर्स इंफ्रेशन सिस्टम एंड इंजीनियर्स प्राइवट लिमिटेड को सामग्री आपूर्ति पर अग्रिम	1,72,08,901.00	-
प्रावधानों के सामने पूंजी अग्रिम का समायोजन		
मेसर्स त्रिबेनी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	(1,57,52,640.00)	-
मेसर्स इंफ्रेशन सिस्टम एंड इंजीनियर्स प्रा.लि.	(1,72,08,901.00)	-
उप कुल	1,18,61,238.19	3,79,00,990.00
प्रतिभूति जमे की ओर अग्रिम		
मेसर्स हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड		

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
पूर्वदत्त व्यय		
मेसर्स रीगस को किराए के लिए पूर्वदत्त व्यय	91,600.00	99,140.00
पूर्वदत्त व्यय - बीमा	0.00	-
मेसर्स सीडीएसएल को खर्चों को सूचीबद्ध करने के लिए पूर्वदत्त व्यय	-	-
मेसर्स एनएसडीएल को खर्चों को सूचीबद्ध करने के लिए पूर्वदत्त व्यय	-	-
एससीआई निविदा के सामने बैंक गारंटी की जारी के लिए बैंक प्रभार की ओर पूर्वदत्त व्यय	-	24,150.00
एचसीएसएल कर्मचारियों को ग्रूप मेडिकल बीम के लिए पूर्वदत्त व्यय	-	4,46,005.00
उप कुल	91,600.00	5,69,295.00
कुल		

नोट 14 : इक्विटी शेयर पूंजी

ब्योरा	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
प्राधिकृत				
₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर	6,90,00,000	6,900	2,50,00,000	2,500
₹ 10/- प्रति वरीयता शेयर	5,60,00,000	5,600	-	-
	12,50,00,000	12,500	2,50,00,000	2,500
निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्ण रूप से प्रदत्त				
पूर्ण रूप से प्रदत्त प्रत्येक 10 रपए के इक्विटी शेयर				
रोकड के लिए	5,00,00,000	5,000	2,20,00,000	2,200
रोकड के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए	-	-	-	-
कुल	5,00,00,000	5,000.00	2,20,00,000	2,200.00

14.1 बकाया राशि और शेयरों का समन्वय

ब्योरा	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
वर्ष के आरंभ में बकाया इक्विटी शेयर	2,20,00,000	2,200.00	2,20,00,000	2,200.00
जोडः वर्ष के दौरान जारी शेयर	2,80,00,000	2,800.00	-	-
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	5,00,00,000	5,000.00	2,20,00,000	2,200.00

इक्विटी शेयरों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध : कंपनी को ₹ 10 प्रति शेयर के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों के केवल एक श्रेणी है जो पूर्ण रूप से प्रदत्त है। इक्विटी शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए योग्य है और जब कभी कंपनी घोषित करने पर लाभांश के लिए भी हकदार है। जब कभी बोर्ड द्वारा घोषित करने पर अंतरिम लाभांश अदा किया जाता है। वार्षिक सामान्य बैठक में बोर्ड के निर्देशकों द्वारा प्रस्तावित/ घोषित लाभांश शेयरधारकों के अनुमोदन/नियमितीकरण मिलने के बाद अदा किया जाएगा। भुगतान के समय, इक्विटी शेयरधारक अपने शेयर पूंजी के अनुपात में सभी अधिमाम्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी के शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए योग्य हैं।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

14.2 होल्डिंग कंपनी द्वारा संभाले शेयरों का विवरण

ब्योरा	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	शेयर की संख्या	₹ लाखों में	शेयर की संख्या	₹ लाखों में
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी) 100% इक्विटी शेयर पूंजी का अधिकार	5,00,00,000	5,000.00	2,20,00,000	2,200.00
कुल	5,00,00,000	5,000.00	2,20,00,000	2,200.00

14.3 कंपनी में 5% ज्यादा शेयर पूंजी के शेयरधारकों का विवरण

ब्योरा	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	शेयर की संख्या	₹ लाखों में	शेयर की संख्या	₹ लाखों में
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	5,00,00,000	100	2,20,00,000	100
कुल	5,00,00,000	100	2,20,00,000	100

14.4 रोकड के अलावा प्रतिफल के लिए जारी शेयरों का विवरण

ब्योरा	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	शेयर की संख्या	होल्डिंग %	शेयर की संख्या	होल्डिंग %
हुगली डॉक और पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	-	-	-	-

इक्विटी शेयर होल्डिंग पैटर्न

कंपनी संयुक्त उद्यम शेयरधारक एचडीपीईएल द्वारा संभाले जा रहे 5.72 करोड़ रुपए के प्रत्येक 10 रुपए के 57,20,000 शेयरों के शेयर पूंजी के 26%, केन्द्रीय मंत्रीमंडल के अनुमोदन के अनुसार प्रमुख शेयरधारक कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को अपने संपूर्ण शेयर अंतरित कर दिए हैं। परिणामस्वरूप, नवंबर 01, 2019 से संपूर्ण शेयर पूंजी वर्तमान में कोचीन शिपयार्ड द्वारा संभालते हैं।

नोट 15: अन्य इक्विटी

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
प्रतिधारित आय		
अधिशेष (लाभ और हानि के विवरण में संतुलन):		
पिछले वर्ष के खाते से शेष राशि को अग्रेषित किया गया	(419.02)	(170.26)
जोड़िए: वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(315.70)	(248.76)
शेष राशि अगले वर्ष के खाते में अग्रेषित किया गया	(734.72)	(419.02)

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 16 : गैर चालू उधार

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
अप्रतिभूत		
1. ऋण-पत्र		
4,40,000 संख्या (2020: 4,40,000 संख्या) 6.5% असुरक्षित प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय ऋणपत्र प्रत्येक ₹ 1,000/- रुपए का।	4,400.00	4,400.00
2. संबंधित पार्टी से ऋण		
5,60,00,000 (2020: शून्य) 6% संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर प्रत्येक ₹10/ का।	5,600.00	-
3. पट्टा दायित्व	649.37	389.74
कुल	10,649.37	4,789.74

टिप्पणी:

1) ऋण - पत्र

कंपनी ने मेसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को वार्षिक रूप से देय 6.50% ब्याज दर के साथ, प्रत्येक 1000 रुपए के 4,40,000, 6.5% प्रतिभूति रहित प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों को जारी किया था। डिबेंचर दिनांक 16 सितंबर 2023 को ऋणमुक्ति के लिए देय है।

2) संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर

वरीयता शेयरको भारतीय लेखा मानक 32 के अनुसार वित्तीय देयता के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये परिपक्वता पर एक निश्चित निर्धारित राशि हेतु प्रतिदेय होते हैं और लाभांश की निश्चित दर को वहन करते हैं।

(i) अधिमान शेयरों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध:

कंपनी के पास वरीयता शेयरों का एक वर्ग है अर्थात् 10/- रुपए प्रति शेयर के संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर (सीआरपी शेयर)।

(ii) नियंत्रक कंपनी द्वारा धारित वरीयता शेयर

ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
5,60,00,000 (2020: शून्य) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी द्वारा धारित 10/- रुपए के 6% संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर।	5,600.00	-
कुल	5,600.00	-

(iii) 5% से अधिक शेयर वाले वरीयता शेयरधारकों का विवरण

वरीयता शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	धारित अधिमान शेयरों की संख्या	होल्डिंग का प्रतिशत	धारित अधिमान शेयरों की संख्या	होल्डिंग का प्रतिशत
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	5,600.00	100%	-	-
कुल	5,600.00	100%	-	-

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(iv) अधिमान लाभांश को वित्त लागत के रूप में अर्जित किया गया है। हालांकि, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, वरीयता शेयरों को शेयर पूंजी के हिस्से के रूप में माना जाता है और अधिमान लाभांश की घोषणा से संबंधित अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। वरीयता शेयरों पर वित्त लागत को भारतीय लेखा मानक 23 के अनुसार प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत पूंजीकृत किया गया है।

3) पट्टा दायित्व

कंपनी ने व्यावसायिक उद्देश्य के लिए कुछ संपत्तियों को पट्टे पर लिया है। इसके अलावा, कंपनी ने लंबी अवधि की व्यवस्था में प्रवेश किया है जो पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है जिसके परिणामस्वरूप उपयोग की संपत्ति और पट्टे के दायित्वों की पहचान होती है। पट्टा दायित्व पट्टा अवधि में देय न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।

नोट 17: अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
प्रतिभूति और अन्य जमा	82.23	120.57
अन्य देय	272.36	14.71
कुल	354.59	135.28

नोट 18: अन्य चालू देयताएं

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
सांविधिक बकाया	34.27	16.77
कुल	34.27	16.77

नोट 19: प्रावधान और आकस्मिकताएं

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
खर्च के लिए लेनदार		
व्यय/ आकस्मिकताएं	2,830.06	707.31
कुल	2,830.06	707.31

नोट 20 : अन्य आय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 दिसंबर 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
प्राप्त किराया	0.27	0.60	0.60	2.07	2.21
बैंक जमे पर ब्याज	6.35	13.18	5.51	26.10	57.45
अन्यों से ब्याज	1.25	2.90	5.91	11.97	14.66
विविध आय	0.13	0.13	0.41	0.60	2.78
प्रतिभूति जमे पर छूट की समाप्ति	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02
कुल	8.01	16.80	12.43	40.77	77.12

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 21 : कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 दिसंबर 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
कर्मचारी वेतन और भत्ता	6.62	3.36	6.60	19.20	20.66
कर्मचारी कल्याण व्यय	1.21	1.52	1.60	6.08	3.05
कुल	7.82	4.88	8.21	25.28	23.71

नोट 22 : वित्त प्रभार

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 दिसंबर 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
पट्टा देयता पर वित्तीय प्रभार (5.31 एकड)	2.87	2.87	2.81	11.49	11.23
पट्टा देयता पर वित्तीय प्रभार (10.45 एकड)	5.65	5.65	7.26	22.61	21.78
पट्टा देयता पर वित्तीय प्रभार (9.91 एकड)	41.47	-	-	41.47	-
कुल	50.00	8.53	10.07	75.57	33.01

नोट 23 : मूल्यहास और परिशोधन व्यय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 दिसंबर 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यहास	2.80	2.83	2.72	11.26	10.47
उपयोग अधिकार में कमी - पट्टा देयता (5.31 एकड)	0.54	0.55	0.54	2.18	2.18
उपयोग अधिकार में कमी - पट्टा देयता (10.45 एकड)	1.06	1.06	1.05	4.24	3.16
उपयोग अधिकार में कमी - पट्टा देयता (9.91 एकड)	4.90	-	1.48	4.90	-
अन्य अगोचर परिसंपत्तियों का परिशोधन	5.56	1.50	-	10.03	4.96
कुल	14.87	5.93	5.80	32.61	20.77

नोट 24 : अन्य व्यय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 दिसंबर 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
दर और कर	0.84	0.70	0.56	2.73	2.31
ऊर्जा	4.82	2.25	4.76	14.67	21.91
मरम्मत एवं अनुरक्षण:					
इमारते व सड़कें	8.36	0.00	2.00	8.74	4.43
संयंत्र और मशीनरी	-	-	-	-	-
अन्य	0.18	0.67	1.14	0.95	1.34

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 24 : अन्य व्यय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 दिसंबर 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
डॉक व घाट	11.16	0.52	-	12.18	-
यात्रा तथा सवारी खर्च	1.33	-	0.96	2.42	2.93
छपाई तथा लेखन सामग्रियाँ	0.03	0.73	0.10	0.90	2.08
डाक, टेलिफोन और टेलेक्स	0.32	0.01	0.15	0.95	0.77
विज्ञापन और प्रचार	4.03	3.44	2.61	7.47	30.34
प्रदत्त पट्टा किराया	0.43	0.79	1.00	2.80	2.98
भाडा प्रभार	6.22	5.16	4.91	20.65	23.12
प्रतिभूति खर्च	37.05	37.07	35.28	147.13	144.71
लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक	2.50	0.40	1.00	3.70	2.21
अन्य सेवाओं के लिए लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक	-	-	0.18	-	0.24
परामर्श	3.50	0.25	1.18	4.30	4.32
बैंक प्रभार	0.09	0.46	0.18	0.71	0.23
विविध खर्च	4.22	76.38	1.99	84.55	7.29
कुल	85.10	128.83	57.99	314.85	251.21

नोट 25 : प्रति इक्विटी शेयर आय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 दिसंबर 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
इक्विटी धारकों के कारण लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	(119.80)	(101.37)	(52.16)	(315.70)	(248.76)
प्रति शेयर आय की गणना हेतु उपयोग किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (मूल और तनुकृत)	3,33,53,425	2,64,49,315	2,20,00,000	3,33,53,425	2,20,00,000
प्रति शेयर आय (मूल और तनुकृत (₹))	(0.36)	(0.20)	(0.24)	(0.95)	(1.13)
प्रति इक्विटी अंकित मूल्य (₹ में)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

उप अनुसूची - नोट 24 अन्य व्यय

सं. 1 विविध खर्च

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही	31 दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
सदस्यता	-	-	-	-	0.02
दर्ज करने का शुल्क	0.03	75.03	0.01	75.08	0.10
डीमैट सदस्यता/लिस्टिंग शुल्क	0.53	0.38	0.38	1.80	1.56
विविध व्यय	0.27	0.30	0.63	0.78	1.79
कंप्यूटर अनुरक्षण	0.03	0.03	0.04	0.16	0.20
कार्यालय अनुरक्षण व्यय	0.79	0.60	0.61	2.55	1.77

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही	31 दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
व्यापार विकास व्यय	2.55	0.03	0.31	3.89	1.19
विनिमय उतार-चढ़ाव व्यय लेखा	-	-	-	-	0.18
बीमा प्रीमियम	-	-	-	-	0.03
प्रशिक्षण खर्च	-	-	-	0.22	0.03
सुरक्षा व्यय	0.03	0.02	0.01	0.07	0.43
कुल	4.22	76.38	1.99	84.55	7.29

उप अनुसूची - नोट 20 - विविध आय

सं. 2 विविध आय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही	31 दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
आयकर वापसी पर ब्याज	-	-	-	-	0.18
कर्मचारियों की गैर-तैनाती - त्रिवेनी कंस्ट्रक्शन्स	-	-	-	-	1.10
आय - भर्ती शुल्क	-	-	-	-	0.13
आय- निविदा प्रपत्रों पर बिक्री	0.13	0.13	-	0.60	0.80
आय - मोब अग्रिम के लिए ब्याज	-	-	-	-	-
वापस किए प्रतिधारित प्रतिभूति जमा	-	-	-	-	0.05
परिसमापन नुकसान की वसूली	-	-	-	-	-
विविध आय	0.00	-	-	0.00	-
सुरक्षा उल्लंघन की वसूली	-	-	-	-	0.52
कुल	0.13	0.13	-	0.60	2.78

नोट 26 : आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
प्रतिबद्धता (अप्रदत्त सीमा तक)		
ठेके की अनुमानित राशि को पूंजी खाते में निष्पादित किया जाएगा और इसके लिए प्रदान नहीं किया जाएगा।	1,389.12	8,949.96

नोट 27 : निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर): कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अधीन अपने प्रचालन या निवल मूल्य में कोई लाभ नहीं है। इसलिए कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 28 : संबंधी पार्टी प्रकटीकरण

क) संबंधी पार्टी का नाम और उनके संबंध

संबंधी पार्टी का नाम	संबंध
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	नियंत्रक कंपनी
टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड	नियंत्रक कंपनी के संगी सहायक
मैसर्स हुगली डॉक और पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (31.10.2019 तक)	सहयोगी कंपनी
श्री मधु एस नायर, अध्यक्ष	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री सुरेश बाबु एन वी, निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री बिजोय भास्कर, निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री जोस वी जे, निदेशक (03.08.2019 से)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री पॉल रंजन डी, निदेशक (31.07.2019 तक)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री एस बालाजी अरुणकुमार, निदेशक (29.05.2020 तक)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री राजेश गोपालकृष्णन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री शिवु जॉंग, मुख्य वित्तीय अधिकारी (15.10.2020 तक)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री बालकृष्णन पूवत्रा, मुख्य वित्तीय अधिकारी (16.10.2020 से)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री अश्विन शर्मा एम, कंपनी सचिव (15.10.2020 तक)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री किरण के ए, कंपनी सचिव (16.10.2020 से)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

ख) संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण :

संबंधित पार्टी का नाम और संबंध का प्रकार	लेनदेन का प्रकार	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को बकाया राशि	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को बकाया राशि
क) नियंत्रक कंपनी :					
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	कर्मचारी श्रमशक्ति सेवाएं (कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड- नियंत्रक कंपनी द्वारा)*	10.41	-	33	-
	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी) को जारी किए गए प्रत्येक 1000 रूपए के अंकित मूल्य के 4,40,000 6.5% प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय डिबेंचर	-	4,400	-	4,400
	डिबेंचर पर ब्याज	264.55	-	-	-
	लिया गया सावधि ऋण	1,000.00	-	-	-
	संचयी पर अर्जित लाभांश प्रतिदेय वरीयता शेयर	56.15	-	-	-
	सावधि ऋण का पुनर्भुगतान	1,000.00	-	-	-
	सावधि ऋण पर ब्याज	20.12	-	-	-

* नियंत्रक कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को श्रमशक्ति लागत की प्रतिपूर्ति के संबंध में, इसे लागत के आधार पर हिसाब में लिया जाता है क्योंकि भुगतान किए गए जीएसटी को प्रायः निवेश साख के रूप में दावा किया जाता है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

29. वित्तीय साधनों पर प्रकटीकरण

यह खंड कंपनी के लिए वित्तीय साधनों के महत्व की एक समीक्षा देता है और वित्तीय साधनों वाले तुलन पत्र मद पर अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है।

क) वित्तीय संपत्ति और देयताएं

निम्नलिखित तालिका दिनांक मार्च 31, 2021 और मार्च 31, 2020 की स्थिति के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की प्रत्येक श्रेणी का वहन मूल्य और उचित मूल्य प्रस्तुत करती है:

दिनांक 31 मार्च 2021 को

विवरण	परिशोधन लागत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	कुल वहन मूल्य	कुल उचित मूल्य
(₹ लाखों में)					
वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) नकद एवं नकद समतुल्य	3,621.57	-	-	3,621.57	3,621.57
(ii) (i) के अलावा बैंक शेष	105.61	-	-	105.61	105.61
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	6.43	-	-	6.43	6.43
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	3,733.60			3,733.60	3,733.60
वित्तीय देयताएं					
उधार राशियाँ	10,649.37	-	-	10,649.37	10,649.37
अन्य वित्तीय देयताएं	354.59	-	-	354.59	354.59
कुल	11,003.96			11,003.96	11,003.96

दिनांक 31 मार्च 2020 को

विवरण	परिशोधन लागत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	कुल वहन मूल्य	कुल उचित मूल्य
(₹ लाखों में)					
वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) नकद एवं नकद समतुल्य	1,830.50	-	-	1,830.50	1,830.50
(ii) (i) के अलावा बैंक शेष	100.00	-	-	100.00	100.00
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	7.05	-	-	7.05	7.05
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	1,937.55			1,937.55	1,937.55
वित्तीय देयताएं					
उधार राशियाँ	4,789.74	-	-	4,789.74	4,789.74
अन्य वित्तीय देयताएं	135.28	-	-	135.28	135.28
कुल	4,925.02			4,925.02	4,925.02

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

ख) उचित मूल्य पदानुक्रम :

निम्न तालिका वित्तीय साधनों का विश्लेषण प्रदान करती है जिन्हें उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता के बाद मापा जाता है, जिन्हें निम्नानुसार स्तर 1 और स्तर 3 में वर्गीकृत किया गया है।

सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (स्तर 1) : पदानुक्रम के इस स्तर में वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं जिन्हें समान परिसंपत्तियां या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों (असमायोजित) के संदर्भ में मापा जाता है।

अवलोकन योग्य निविष्टियों सहित मूल्यांकन तकनीक (स्तर 2) : पदानुक्रम के इस स्तर में वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं शामिल हैं, जिन्हें स्तर 1 में शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य निविष्टियों का उपयोग करके मापा जाता है जो कि संपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों से प्राप्त) अवलोकन योग्य हैं।

महत्वपूर्ण गैर अवलोकन योग्य निविष्टियों सहित मूल्यांकन तकनीक (स्तर 3): पदानुक्रम के इस स्तर में वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं शामिल हैं जिन्हें उन निविष्टियों का उपयोग करके मापा जाता है जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (गैर अवलोकनीय निविष्टियों) पर आधारित नहीं होते हैं। उचित मूल्य का निर्धारण पूर्ण या आंशिक रूप से एक मूल्यांकन नमूने का उपयोग करके किया जाता है जो उन मान्यताओं के आधार पर होता है जो न तो एक ही उपकरण में अवलोकन योग्य वर्तमान बाजार लेनदेन से कीमतों द्वारा समर्थित होती हैं और न ही वे उपलब्ध बाजार डेटा पर आधारित होती हैं।

विवरण	दिनांक 31 मार्च 2021 को				दिनांक 31 मार्च 2020			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियां								
प्रतिभूति जमा	-	0.34	-	0.34	-	0.31	-	0.31
	-	0.34	-	0.34	-	0.31	-	0.31
वित्तीय देयताएं								
उधार राशियां	-	10,649.37	-	10,649.37	-	4,789.74	-	4,789.74
अन्य वित्तीय देयताएं	-	354.59	-	354.59	-	135.28	-	135.28
	-	11,003.96	-	11,003.96	-	4,925.02	-	4,925.02

(i) उधार राशियों का उचित मूल्य जिसका सक्रिय बाजार में उद्धृत बाजार मूल्य होता है, उसके बाजार मूल्य पर आधारित है जिसे स्तर 1 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उधार राशियों का उचित मूल्य, जिनका कोई सक्रिय बाजार नहीं है या जिन्हें उद्धृत नहीं किया गया है, उसका अनुमान समान परिपक्वता वाले लिखतों के लिए उधारदाताओं द्वारा विचार किए गए साख विस्तार के लिए समायोजित विवरणी की जोखिम- मुक्त दर के समतुल्य छूट दर का उपयोग करके अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह का छूट देकर लगाया जाता है जिसे उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 2 के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ii) प्रबंधन अपने वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में अपने सर्वोत्तम निर्णय का उपयोग करता है। हालांकि, किसी भी अनुमान तकनीक में अंतर्निहित सीमाएं हैं। अतः पर्याप्त रूप से सभी वित्तीय साधनों के लिए, उपरोक्त प्रस्तुत उचित मूल्य अनुमान आवश्यक रूप से उन राशियों का संकेत नहीं है जो कंपनी संबंधित तिथियों के अनुसार बिक्री लेनदेन में प्राप्त या भुगतान कर सकती थी। इस प्रकार, रिपोर्टिंग तिथियों के बाद वित्तीय साधनों का उचित मूल्य प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर रिपोर्ट की गई राशि से भिन्न हो सकता है।

(iii) मार्च 31, 2021 और मार्च 31, 2020 को समाप्त हुए वर्षों के लिए स्तर 1 और स्तर 2 के बीच कोई स्थानांतरण नहीं हुआ है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(iv) कंपनी की वित्तीय देयताओं की परिपक्वता अवधि विन्यास नीचे दी गई है:

परिपक्वता अवधि	दिनांक 31 मार्च 2021 को			
	पट्टा दायित्वों के अलावा अन्य उधार राशियां	पट्टा दायित्व	अन्य वित्तीय देयताएं	कुल वित्तीय देयताएं
1 वर्ष से पूर्व या मांग पर	-	42.03	354.59	396.62
एक वर्ष के पश्चात और पांच वर्षों से पूर्व	4,400.00	178.87	-	4,578.87
5 वर्षों से अधिक	5,600.00	4,966.09	-	10,566.09
	10,000.00	5,186.99	354.59	15,541.58
घटाए: पट्टों पर भावी वित्त प्रभार	-	4,537.62	-	4,537.62
	10,000.00	649.37	354.59	11,003.96

परिपक्वता अवधि	दिनांक 31 मार्च 2020 को			
	पट्टा दायित्वों के अलावा अन्य उधार राशियां	पट्टा दायित्व	अन्य वित्तीय देयताएं	कुल वित्तीय देयताएं
1 वर्ष से पूर्व या मांग पर	-	25.17	135.28	160.45
एक वर्ष के पश्चात और पांच वर्षों से पूर्व	4,400.00	107.14	-	4,507.14
5 वर्षों से अधिक	-	3,077.39	-	3,077.39
	4,400.00	3,209.70	135.28	7,744.98
घटाए: पट्टों पर भावी वित्त प्रभार	-	2,819.96	-	2,819.96
	4,400.00	389.74	135.28	4,925.02

नोट 30 : सेगमेंट रिपोर्टिंग

कंपनी ने दो प्रमुख प्रचालन खंडों को पहचान किया है : पोत निर्माण और पोतों की मरम्मत/अपतटीय संरचना। कंपनी परिचालन शुरू करने पर खंडवार विश्लेषण और लागत और राजस्व का आवंटन करेगी।

नोट 31 : व्यापार प्राप्तियों, व्यापार देय, ऋण और जमे दावे के तहत दिखाए गए शेष राशि, पुष्टि और परिणाम सुलह, यदि कोई हो, के अधीन हैं।

नोट 32 : पिछले वर्ष के आंकड़े को वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप जहां भी आवश्यक हो, वर्गीकृत और पुनः एकत्रित किया गया है।

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

कृते **राहुस व कं**
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 320298E)

मधु एस नायर
अध्यक्ष
(डीआईएन 07376798)

जोस वी जे
निदेशक व मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रभारी
(डीआईएन: 08444440)

धीरज कुमार अग्रवाल
साझेदार
(सदस्यता संख्या 067872)

राजेश गोपालकृष्णन
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

किरण के ए
कंपनी सचिव
स.सं. A36050

कोलकाता
मई 18, 2021

कोच्ची
मई 07, 2021

सूचना

सूचना एतद्वारा दी जाती है कि निम्नलिखित कार्य करने के लिए हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्यों की 04 वीं वार्षिक साधारण बैठक सितंबर 15, 2021 को 11:00 बजे सीएसएल बोर्ड कक्ष, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682 015 में आयोजित की जाएगी।

सामान्य व्यापार

1. मार्च 31, 2021 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और बोर्ड के निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार और स्वीकार करना।
2. श्री बिजोय भास्कर (डीआईएन: 08103825) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो इस वार्षिक साधारण बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं और योग्य होने पर, पुनर्नियुक्ति के लिए उन्हें पेश करते हैं।
3. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक नियत करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

कोच्ची
सितंबर 07, 2021

किरण के ए
कंपनी सचिव
स.सं. A36050

टिप्पण:

1. एक सदस्य जिसे वार्षिक साधारण बैठक (बैठक) में उपस्थिति रहने और मत देने का अधिकार है, उसे अपनी ओर से उपस्थित होने और मत देने के लिए एक परोक्षी को नियुक्त करने हेतु हकदार है और परोक्षी कंपनी के एक सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। परोक्षी प्रस्तुत करनेवाले विधिवत् स्टैम्पड, पूरा किए, हस्ताक्षरित दस्तावेज बैठक शुरू होने से कम से कम अडतालीस (48) घंटे के पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करना चाहिए। एक परोक्षी प्रपत्र (एमजीटी-II) इस सूचना के साथ संलग्न किया है।
2. पचास सदस्यों से अधिक न हो, सदस्यों की ओर से और मत अधिकार वाले कंपनी के कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से न अधिक हो, संभालने वाले एक व्यक्ति परोक्षी के रूप में कार्य कर सकते हैं। यदि, सदस्य द्वारा नियुक्त होने के लिए प्रस्तावित मत अधिकार वाले कंपनी के कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से ज्यादा संभालने वाले एक परोक्षी के मामले में, ऐसे व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिए परोक्षी के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं।
3. सदस्यों, परोक्षियों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक में भाग लेने के लिए वार्षिक रिपोर्ट की प्रति के साथ संलग्न विधिवत् भरे उपस्थिति स्लिप लाएं। अधिनियम की धारा 113 के अनुसार बैठक में भाग लेने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने के लिए इरादा रखनेवाले निगमित सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में उनकी ओर से भाग लेने और वोट करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को प्राधिकृत करते हुए बोर्ड संकल्प की प्रमाणित प्रति या मुख्तारनामा या किसी अन्य दस्तावेज कंपनी को भेज दें।
4. सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (सीआईएरपी के पश्चात) के अधीन बनाए रखे पंजियों और सूचना तथा साथ में व्याख्यात्मक विवरण में संदर्भित सभी दस्तावेज बैठक में उपलब्ध है।
5. बैठक में स्थान की ओर रूट मैप इस सूचना के साथ संलग्न किया जाता है।
6. यह बैठक कोलकाता की स्थानीय सीमा के बाहर पंजीकृत कार्यालय के सीएसएल बोर्ड रूम, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल- 682015, से लघु सूचना पर प्रस्तावित है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96 और 101 के अनुसार अनुरोध, कोलकाता के स्थानीय सीमा के बाहर बैठक का संचालन करने हेतु सहमति के लिए इस सूचना के साथ संलग्न है और बैठक केवल तभी होगी जब बैठक में मतदान करने के हकदार सभी सदस्यों से सहमति प्राप्त हो।
7. निदेशकों के संक्षिप्त विवरण, जो पुनर्नियुक्ति के लिए मांग कर रहे हैं, को भारतीय कंपनी सचिवालय संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी आम बैठकों पर सचिवीय मानकों की आवश्यकताओं के अनुसार नोटिस के साथ संलग्न किया है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

कोच्ची
सितंबर 07, 2021

पंजीकृत कार्यालय:

प्रशासनिक भवन
एचसीएसएल परिसर, सत्यन बोस रोड
पी ओ धनेश शेख लेन, नज़ीरगंज
हावडा, पश्चिम बंगाल- 711 109
सीआईएन: U35900WB2017GOI223197
ईमेल: secretary.hcsl@cochinshipyard.in

किरण के ए
कंपनी सचिव
स.सं. A36050

प्रपत्र सं. एमजीटी- 11

परोक्षी प्रपत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 (6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3)के अनुसार

बैठक का स्थान : सीएसएल बोर्ड रूम, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल- 682015

दिन, दिनांक और समय : सितंबर 15, 2021 को 11.00 घंटे

सदस्य का नाम	
पंजीकृत पता	
ईमेल आईडी	
लेड्जर पृ.सं.	

मैं/ हम, शेयर संभालनेवाले हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड एक सदस्य हूँ, निम्नलिखित

1.

नाम :
पता:
ईमेल आईडी :
हस्ताक्षर

या उनकी अनुपस्थिति पर

2.

नाम :
पता:
ईमेल आईडी :
हस्ताक्षर

या उनकी अनुपस्थिति पर

3.

नाम :
पता:
ईमेल आईडी :
हस्ताक्षर

को दिनांक सितंबर 05, 2021 बुधवार, 10.00 बजे सीएसएल बोर्ड रूम, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682015 में आयोजित होनेवाले कंपनी के सदस्यों के 4 वीं वार्षिक आम बैठक में मेरे लिए/ हमारे और से मेरे/ हमारे परोक्षी के रूप में बैठक में उपस्थिति होने और मत देने (पॉल पर) केलिए एतद्वारा नियुक्त करते हैं और ऐसे संकल्प के संबंध में इसके किसी भी स्थगन नीचे सूचित किया जाता है :

क्र.सं.	संकल्प	पक्ष	विपक्ष
सामान्य व्यापार			
1.	दिनांक 31 मार्च 2020 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और बोर्ड के निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार और स्वीकार करना।		
2.	श्री विजोय भास्कर (डीआईएन: 08103825) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं और योग्य होने पर, पुनर्नियुक्ति केलिए उन्हें पेश करते हैं।		
3.	वित्तीय वर्ष 2021-22 केलिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने हेतु निदेशक मंडल को अधिकृत करना।		

2021 केदिन.....हस्ताक्षर किया।

शेयरधारक का हस्ताक्षर

परोक्षी धारक का हस्ताक्षर

रेवन्यू स्टैम्प
लगा दें

उपस्थिति पर्ची

बैठक का स्थान : सीएसएल बोर्ड रूम, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल- 682015

दिन, दिनांक एवं समय : बुधवार, सितंबर 15, 2021 को 11.00 बजे

कृपया उपस्थिति पर्ची भरें और इसे बैठक स्थान के प्रवेश पर सौंप दें।


शेयरधारक का नाम	
पंजीकृत पता	
ईमेल आईडी	
लेड्जर पृ.सं.	
संभाले शेयरों की सं.	

मैं प्रमाणित करता/ती हूँ कि मैं कंपनी के पंजीकृत शेयरधारक के पंजीकृत शेयरधारक/ परोक्षी हूँ।

मैं बुधवार, सितंबर 15, 2021, 11.00 बजे को सीएसएल बोर्ड रूम, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल-682015 में कंपनी की 4 वीं वार्षिक आम बैठक में मेरी उपस्थिति एतद्वारा रिकॉर्ड करता/ती हूँ।

शेयरधारक या परोक्षी का हस्ताक्षर

बैठक के स्थान का रूट मैप



शेयरधारक की सहमति

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96 और 101 के अधीन)

सेवा में,
निदेशक मंडल
हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
प्रशासनिक भवन, एचसीएसएल परिसर,
सत्यन बोस रोड, पी ओ धनेश शेख लेन,
नजीरगंज, हावड़ा, पश्चिम बंगाल- 711 109

मैं, _____, _____ का पुत्र, _____, _____, _____ का निवासी, कंपनी में प्रत्येक 10 रूपए के _____ इक्विटी शेयर का धारक यहाँ एतद्वारा कंपनी के 04 वीं वार्षिक आम बैठक (वा.आ.बै), सितंबर 15, 2021 को कोलकाता के स्थानीय सीमा के बाहर सीएसएल बोर्ड रूम, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, पेम्मानूर, कोच्ची, केरल- 682015 में लघु सूचना पर करने हेतु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96 और 101 के अनुसार सहमति देते हैं।

स्थान : _____ हस्ताक्षर : _____
दिनांक : _____ नाम : _____

इस बैठक में पुनर्नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों का विवरण

(भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (भा.कं.स.सं) द्वारा जारी सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानकों के अनुसरण में)

निदेशक का नाम	श्री बिजोय भास्कर
डीआईएन	08103825
आयु एवं जन्मतिथि	56 वर्ष; मई 07, 1965
योग्यताएं	श्री बिजोय भास्कर ने प्रथम रैंक और स्वर्ण पदक के साथ केरल विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ टेक्नॉलजी (यांत्रिक) की उपाधि हासिल की। उनके पास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास से मास्टर ऑफ टेक्नॉलजी (यांत्रिक) की उपाधि भी है। उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से प्रबंधन में उन्नत डिप्लोमा पूरा किया।
अनुभव	श्री बिजोय भास्कर धारक कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के निदेशक (तकनीकी) हैं। उन्हें पोत डिजाइन, पोत निर्माण, आउटफिट और पोत मरम्मत जैसे क्षेत्रों में 33 से अधिक वर्षों का कार्य अनुभव है। वे टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (टीएसएल) में भी निदेशक हैं, जो सीएसएल की अन्य पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
पुनर्नियुक्ति के नियम एवं शर्तें	श्री बिजोय भास्कर को सीएसएल द्वारा नामित निदेशकों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री बिजोय भास्कर निदेशक के पद पर तब तक बने रहने हेतु सदस्यों की स्वीकृति मांगी जाती है जब तक कि उनका नामांकन वापस नहीं लिया जाता। पुनर्नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, वे कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार नियमित आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्त होने हेतु उत्तरदायी है।
पुनर्नियुक्ति पर भुगतान करने के लिए मांगे गए और अंतिम आहरित पारिश्रमिक संबंधी विवरण (वित्तीय वर्ष 2020-21)	शून्य
बोर्ड पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	अप्रैल 25, 2018
कंपनी में संभाले शेयरों की संख्या	10 (शेयर सीएसएल की ओर से संघटित किए जाते हैं)
अन्य निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	शून्य
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भाग ली गई बोर्ड बैठकों की सं.	5/5
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में निदेशक पद (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों एवं सेक्शन 8 कंपनियों को छोड़कर)	(1) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (2) टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड
समितियों में सदस्यता/अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में अध्यक्षता।	शून्य

केवल लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता पर विचार किया गया है।

04 वीं वार्षिक आम बैठक हेतु सूचना का परिशिष्ट

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्यों की बुधवार, सितंबर 15, 2021 को 11.00 बजे निर्धारित 04 वीं वार्षिक आम बैठक हेतु दिनांक 07 सितंबर 2021 को जारी नोटि स का संदर्भ देखें।

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') ने अपने परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021 के साथ पठित परिपत्र सं 20/2020 दिनांक मई 05, 2020, परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, और समय-समय पर जारी अन्य सभी प्रासंगिक परिपत्र (सम्मिलित रूप से एमसीए परिपत्र के रूप में संदर्भित), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/ अन्य ऑडियो विशुअल माध्यम ('ओएवीएम') के जरिए वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') सामान्य स्थान पर सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति के बिना आयोजित करने की अनुमति देता है। इन एमसीए परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी वीसी/ ओएवीएम के जरिए 04 वीं एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य और अन्य आमंत्रित व्यक्ति नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए उक्त एजीएम में भाग ले सकते हैं:

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a29c6785367da42dba39027c348e04e72%40thread.tacv2/1631524347059?context=%7b%22Tid%22%3a%22cce1a75b-ed28-41dc-82be-a567eb912f7f%22%2c%22Oid%22%3a%2250a85616-fca8-43cd-a899-0719a2f7c3b3%22%7d>

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत गणपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वीसी/ ओएवीएम के जरिए एजीएम में सदस्यों की उपस्थिति की गणना की जाएगी।

मतदान के मामले में वोट डालने हेतु नामित ईमेल आईडी है secretary.hcsl@cochinshipyard.in.

कृपया बैठक में भाग लेने की कृपा करें।

कृते हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

कोच्ची
सितंबर 14, 2021

किरण के ए
कंपनी सचिव
स.सं. A36050



हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
(एक कोचीन शिपयार्ड कंपनी)

पंजीकृत कार्यालय :

प्रशासनिक भवन,
एचसीएसएल परिसर, सत्यन बोस रोड,
पी ओ धनेश शेख लेइन, नजीरगंज,
हावडा, पश्चिम बंगाल - 711 109

सीआईएन: U35900WB2017GOI223197

CHARTING NEW TRAJECTORIES



Annual Report 2020-21



HOUGHLY COCHIN SHIPYARD LIMITED

(A Cochin Shipyard Company)

CONTENTS

Business Overview

Corporate Information	01
About Us	02
Business Segment	04
Product Portfolio	05
Chairman's Address	06
Board of Directors	08

Statutory Reports

Directors' Report	10
Management Discussion & Analysis Report	20
Report on Corporate Governance	23

Financial Statements

Independent Auditors' Report	27
Comments of the Comptroller & Auditor General of India	35
Balance Sheet	36
Statement of Profit & Loss	37
Cash Flow Statement	38
Statement of Changes in Equity	39
Note to Financial Statements	40

Notice	62
--------	----

Corporate Information

BOARD OF DIRECTORS

- Shri Madhu S Nair**
Chairman
- Shri N V Suresh Babu**
Non – Executive Director
(upto April 30, 2021)
- Shri Bejoy Bhasker**
Non – Executive Director
- Shri Jose V J**
Non – Executive Director
- Shri Chandra Mani Rout**
Non – Executive Director

KEY MANAGERIAL PERSONNEL

- Shri Rajesh Gopalakrishnan**
Chief Executive Officer (CEO)
- Shri Balakrishnan Poovathra**
Chief Financial Officer (CFO)
- Shri Kiran K A**
Company Secretary

SENIOR MANAGEMENT TEAM

- Shri Harikumar K**
DGM (Hull), CSL
- Shri P K Mishra**
DGM (P&O), HCSL
- Smt. Bindu Krishna**
AGM (Legal), CSL
- Shri Najeeb E H**
AGM (NP), CSL
- Shri Nitin Narayan**
SM (SRO), CSL
- Shri Anand K**
Nodal Officer (Finance), HCSL
- REGISTERED OFFICE**
Administrative Building
HCSL Premises, Satyen Bose Road
P.O. Danesh Shaikh Lane, Nazirgunge
Howrah, West Bengal – 711 109
CIN: U35900WB2017GOI223197

FACILITIES

Nazirgunge, West Bengal
Salkia, West Bengal

STATUTORY AUDITORS

M/s. RADS & Co
(CA1369)
1, Gibson Lane, Sidha Gibson
2nd Floor, Suite No. 214
Kolkata, West Bengal – 700 069

SECRETARIAL AUDITORS

M/s. SVJS & Associates
Company Secretaries
First Floor, 65/2364A
Ponoth Road, Kaloor
Kochi – 682 017

BANKERS

State Bank of India
Federal Bank



ABOUT US

A wholly owned subsidiary of CSL, Hooghly Cochin Shipyard Limited serves to fulfil the huge demand for inland water vessels in the designated National Waterways of India.

The East Coast of India has throughout been the epicentre of Maritime activity and has been the beacon for the country as far as shipbuilding is concerned. Towards this, Cochin Shipyard Limited (CSL) in its endeavour to further strengthen the shipbuilding sector in this region has taken on the age old legacy of Hooghly Dock and Port Engineers Limited (HDPEL) who were the pioneers of shipbuilding in the eastern coast of the country. HDPEL is one of the oldest shipyards of the country established in the year 1819 in the name of Hooghly Docking and Engineering Company Limited. It has later merged with Port Engineering Works and came to be known as Hooghly Dock & Port Engineers Limited (HDPEL). CSL took over this yard which includes facilities at Nazirgunge and Salkia and rechristened as Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) in October 2017 as a joint venture with HDPEL and thereafter HCSL became a wholly owned subsidiary of CSL with effect from November 01, 2019, pursuant to the approval of the Union Cabinet on October 03, 2019.

CSL, keeping in line with the thought process of the Govt. of India to develop the National Waterways, being piloted by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways through the Jal Marg Vikas

Project of IWAI, has refurbished and restructured the Nazirgunge unit into a modern shipbuilding facility. With technical and design support from CSL, the leading shipyard in the country, HCSL is confident of meeting the demands of high quality, niche vessels in Inland sector in full and the Coastal and Sea going segment to a good extent.

Our unit is equipped with the latest shipbuilding norms like inhouse QA/QC, NDT, Fire & Safety and sophisticated equipment with experienced work force to complete every task in a time bound manner. We are in advanced stage of obtaining the DPIIT Certification from Ministry of Industries and IMS Certification (ISO 9001-2015 – Quality

Certification, ISO 14001-2015 – Environment Safety & ISO 45001-2018 – Health and Safety Certification). Our facility has an added advantage due to the strategic location supporting consequently both slipway launching and side launching facility due to the extended riverfront.

We at HCSL, can provide a comprehensive support by not only developing the most cost-effective design and ships for the customers but also providing support for the entire life cycle of the vessel by conducting defect analysis and maintenance schedules on periodic real time feedback from ships and thereafter slotting refits and repair as per schedule.

FEW HIGHLIGHTS OF THE FACILITY AT HCSL:

- ▶ All shopfloors equipped with the state-of-the-art facilities for ship construction.
- ▶ End launching (02 nos.) with winch and cradle system for vessels upto 80 mtrs.
- ▶ Side launching (01 no.) for vessels upto 120 mtrs.
- ▶ Fitout berths (04 nos.) with jetties – each with floating pontoons (30mtrs. x 7mtrs.) with gangways and tower cranes (5 Tons).
- ▶ Wide range of standardized designs to meet customers' requirements.
- ▶ Strong workforce to meet every task on schedule.



BUSINESS SEGMENT



SHIPBUILDING

Wide range of standardized design to meet customers requirement. This includes Inland Water, Coastal and Sea going vessels for both passenger and cargo carrying capability.



LIFE CYCLE ANALYSIS

Based on the real time feedback from ships, analysis on defects and maintenance routines can be carried out to predict and slot refit and repairs.



REFIT SCHEDULE

Timely repair and refit of equipment to avoid breakdown and to reduce down time of machineries.



PRODUCT PORTFOLIO

HCSL IN-HOUSE DESIGN



CHAIRMAN'S ADDRESS



Dear shareholders,

It is with great pleasure that I welcome you all to the 04th Annual General Meeting of Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL).

I take this opportunity to inform you all that The "New Yard Construction of HCSL, Nazirgunge Unit" is in its final stage of completion and the facility is cleared by the third-party inspector as "Ready for Operations" after satisfactory inspection of the infrastructure required to commence operation. Further, activities under the various other major work packages viz., Mechanical, Electrical, Gas Piping, Fire Fighting etc. are also being commissioned progressively.

In the first phase of modernisation, CSL, keeping in line with the thought process of the Govt. of India to develop the National Waterways, being piloted by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways through the IWAI's Jal Marg Vikas Project, has refurbished and restructured the Nazirgunge unit into a modern shipbuilding facility. With technical and design support from CSL, the leading shipyard in the country, HCSL is confident of meeting the demands of high quality, niche vessels Inland sector in full and the Coastal and Sea going segment to a good extent. HCSL would also aim to provide customised solutions to the Army in the North East region.

As you are aware the COVID-19 Pandemic has adversely affected business operations across the globe by restricting the interactions and movement of people, disrupting trade, supply chains, and investments. The situation was no different for the Company as well. The Company had to shut down its activities

“
In line with the thought process of the Govt. of India to develop the National Waterways, being piloted by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways through the IWAI's Jal Marg Vikas Project, Nazirgunge unit has been refurbished and restructured into a modern shipbuilding facility.”

from March 23, 2020 to June 08, 2020 due to the lockdown imposed by the Government Authorities to contain the spread of the Pandemic. The activities at Nazirgunge resumed from June 09, 2020, with limited manpower to ensure compliance to the Guidelines issued by the Government Authorities on account of the pandemic. Further, the Company moved forward despite the difficulties faced owing to the YAAS cyclone, which caused widespread damage in the Kolkata region, disruption in labour availability on account of the State elections, and the second wave of COVID-19. Our CEO and the HCSL team were constantly monitoring the Project during these difficult times aiming at earliest completion of the project and commencement of operations.

The Company which is in the process of setting up the required shipyard infrastructure & facilities has reported a loss of Rs. 315.70 Lakhs during the financial year 2020-21. However, during the year, the Company has earned other income of Rs. 40.77 Lakhs, majority from interest on bank deposits of the Company.

In order to fuel the project, the paid up share capital of the Company was increased from Rs. 22 Crores to Rs. 106

Crores consisting of equity share capital of Rs. 50 Crores and preference share capital of Rs. 56 Crores.

As HCSL is in its final stages of project implementation and yet to commence operations, the Company is exempt from compliance with the Guidelines on Corporate Governance pursuant to the Office Memorandum (OM) F. No. 18(8)/2005-GM dated July 08, 2014, issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India. However, the Company adopts the best Corporate Governance practices wherever possible and the report on Corporate Governance prepared in compliance with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the DPE is included in the Annual Report.

Before concluding, I wish to convey my appreciation to the HCSL management for their continued support, commitment and contribution. I also wish to place on record my sincere gratitude to all the Board Members for their valuable guidance and support

extended for the project. I also thank Hon'ble Minister of Ports, Shipping and Waterways, the Secretary and other officials of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, the Directors and Senior Management of Cochin Shipyard Limited (CSL), officials of the Government of West Bengal and Syama Prasad Mukherjee Port Trust (SMP) for their contribution in the progress of the project. I also wish to convey my sincere thanks to the dedicated employees of the Company. Without their efforts and enduring commitment, the Company would not have sustained during these very difficult and challenging conditions.

I wish the Company all the very best as it moves towards its goal of becoming the lead player in India in the inland waterway vessel segment.

Thanking You

Jai Hind

Madhu S Nair
Chairman
DIN: 07376798

BOARD OF DIRECTORS



Shri Madhu S Nair

Chairman

Shri Madhu S Nair is one of the first directors of the Company as per the Articles of Association of the Company. Shri Madhu S Nair is the Chairman and Managing Director of Cochin Shipyard Limited (CSL) from January 01, 2016. He holds a Degree of Bachelor of Technology in Naval Architecture and Ship Building from Cochin University of Science and Technology, India and a Degree of Master in Engineering with specialisation in Naval Architecture and Ocean Engineering from Osaka University, Japan. He is trained in shipbuilding systems at IHI Shipyard at Kure, Japan and undergone JICA Specialized training at Overseas Vocational Training Centre (OVTA), Tokyo and Osaka International Centre, Osaka, Japan and did research in Joining & Welding Research Institute, during Masters in Engineering at Osaka University, Japan. He is a member of various Professional bodies including The Royal Institution of Naval Architects, UK (RINA), Institution of Naval Architects, India and is presently serving as the President of Indo Japan Chamber of Commerce Kerala (INJACK). He has more than 33 years of work experience across the Ship Building and Ship Repair industry. He is also the Chairman of Tebma Shipyards Limited (TSL), the other wholly owned subsidiary of CSL.



Shri N V Suresh Babu

Non - Executive Director
(upto April 30, 2021)

Shri N V Suresh Babu is one of the first directors of the Company as per the Articles of Association of the Company. Shri N V Suresh Babu was the Director (Operations) of Cochin Shipyard Limited (CSL) from April 26, 2016 to April 30, 2021. He holds a degree of Bachelor of Engineering (Mechanical) from the University of Kerala and a Diploma in Management from Indira Gandhi National Open University. He has completed one year Group Training Course in Shipbuilding, Repairing and Maintenance conducted by Overseas Shipbuilding Cooperation Centre under International Cooperation Programme of the Government of Japan under Colombo Plan. He has also undergone a practical training course with shipyard in Sekaide, Japan of Kawasaki Heavy Industries Limited. Furthermore, he has completed supplementary course in Japanese language held at Overseas Shipbuilding Cooperation Centre. He has more than 36 years of work experience across various areas of the Shipyard such as Ship Building, Materials and Ship Repair divisions. Shri N V Suresh Babu ceased to be Director of the Company on April 30, 2021 consequent to his retirement on superannuation from the post of Director (Operations) in CSL. He was also a Director in Tebma Shipyards Limited (TSL), the other wholly owned subsidiary of CSL, since its takeover on September 15, 2020 till April 30, 2021.



Shri Bejoy Bhasker

Non - Executive Director

Shri Bejoy Bhasker was inducted to the Board of HCSL with effect from April 25, 2018. He is the Director (Technical) of Cochin Shipyard Limited (CSL) from April 05, 2018. He holds a Degree of Bachelor of Technology (Mechanical) from the University of Kerala with First Rank and Gold Medal. He also holds a Degree of Master of Technology (Mechanical) from the Indian Institute of Technology, Madras. He has completed Advanced Diploma in Management from Indira Gandhi National Open University. He was awarded the "Manager of the Year" award in 2014 by Kerala Management Association. He has more than 33 years of work experience across areas such as Ship Design, Ship Building, Outfit and Ship Repair. He is also a Director in Tebma Shipyards Limited (TSL), the other wholly owned subsidiary of CSL.

BOARD OF DIRECTORS



Shri Jose V J

Non - Executive Director

Shri Jose V J was inducted to the Board of HCSL with effect from August 03, 2019. He is the Director (Finance) and Chief Financial Officer of Cochin Shipyard Limited (CSL) from August, 2019. He is a member of the Institute of Cost Accountants of India and also holds a degree in Law from Government Law College, Ernakulam. He has approximately 30 years of work experience across diverse field viz., financial management, strategic planning, risk management, forex management, budgeting and cost control. He is also a Director in Tebma Shipyards Limited (TSL), the other wholly owned subsidiary of CSL.



Shri Chandra Mani Rout

Non - Executive Director

Shri Chandra Mani Rout is one of the first Directors of the Company as per the Articles of Association of the Company. He holds a Bachelor Degree in Civil Engineering and Post Graduate Diploma in Management and Remote Sensing from XIM, Bhubaneswar and IIRS, Dehradun, respectively. He is currently working as the Chief Port Administrator (CEO of the A & N Group of Ports of A & N Islands), Port Management Board, Andaman & Nicobar Administration. He has served as the Director (IWT and Engg.), Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India and has involved in the works pertaining to IWT sector of India including Bangladesh and Myanmar, Inland Waterways Authority of India (IWAI) and TAMP and ALHW and HDPEL along with the matter related to Development Wings of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. He has more than 25 years of experience in Port and Harbor Engineering (Kolkata Port Trust), dredging in the river/estuary, River Hydraulics and R & D related areas. He has also visited several countries for the development of Inland waterways and Coastal Shipping of India. He is also a Director in Hooghly Dock & Port Engineers Limited.

Directors' Report

Dear Shareholders,

1. Your Directors have immense pleasure in presenting the 04th Annual Report of your Company together with the financial statements for the year ended March 31, 2021, the Report of the Statutory Auditors and the comments of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) under Section 143 (6) (b) of the Companies Act, 2013.

About the Project

2. The “new yard construction of Hooghly Cochin Shipyard Limited, Nazirgunge unit” is in advanced stage of completion and the facility is ready for operation. The final commissioning of balance systems & equipments are in progress. At the end of financial year 2020-21, physical progress to the tune of 93% is already attained for civil work, while commissioning work of machineries, mechanical and electrical is in progress with 85% completion.

3. The construction activities under civil works package had crossed the 50% mark in 2019-20 when due to the outbreak of COVID-19 all works at site had to be stopped on March 23, 2020. The stoppage of the work due to COVID continued till June 09, 2020 which lasted for a period of 79 days. Work could be resumed only post relocating workmen within the confines of the site in order to minimize impact of COVID, even though it remained unabated in the whole state. Although work at the site resumed by June 10, 2020, the momentum of work progress could not be regained to pre-COVID pace due to regular interim lockdown imposed

by respective state governments, there by effecting the mobilisation of work force and materials to the desired level. Considering the loss of man-days due to the pandemic, the original contractual completion date of June 2021 would be revised to September 2021 as per force majeure clause. However, all efforts are being made to complete the balance commissioning and allied works by June, 2021. One of the most significant challenges is the work of construction at the slipway being undertaken in the open river with substantial tidal variation, steep water current & proximity to navigational channel of Kolkata Port Trust.

4. As per the MoU with the Ministry of Ports Shipping and Waterways, “Readiness for Operation” event was conducted on March 09, 2021 in the presence of Shri Madhu S Nair, Chairman, HCSL cum Chairman and Managing Director, Cochin Shipyard Limited (CSL) and Shri Vinit Kumar, Chairman KOPT. Prior to the event, site readiness was inspected and certified by third party inspector from ABS India Limited.

Financial Details

5. The Company being in the process of setting up the required shipyard infrastructure facilities has reported a loss of Rs. 315.70 Lakhs (Rs. 248.76 Lakhs PY) during the financial year 2020-21. The total capital expenditure incurred upto the financial year 2020-21 amounted to Rs. 12,211.97 Lakhs (Rs. 3,641.56 Lakhs upto PY).

Financial Highlights

		(Rs. in Lakhs)	
Sl. No.	Particulars	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
(i)	Gross Income	40.77	77.12
(ii)	Profit/(Loss) Before Finance cost, Depreciation & Tax	(299.36)	(197.80)
(iii)	Finance cost	(75.57)	(33.01)
(iv)	Depreciation & Amortisation expenses	(32.61)	(20.77)
(v)	Profit/(Loss) Before Tax	(407.54)	(251.58)
(vi)	Tax Asset	91.84	2.82
(vii)	Net Profit/(Loss)	(315.70)	(248.76)

Share Capital

6. Pursuant to the approval of the Shareholders at their meeting held on October 15, 2020, the authorised share capital of the Company has been increased from Rs. 25,00,00,000 (Rupees Twenty Five Crores only) to Rs. 1,25,00,00,000 (Rupees One Hundred and Twenty Five Crores only). The authorised share capital of the Company as on March 31, 2021 is Rs. 1,25,00,00,000 (Rupees One Hundred and Twenty Five Crores only) divided into 6,90,00,000 (Six Crore Ninety Lakhs) Equity Shares of Rs. 10 (Rupees Ten only) each aggregating to Rs. 69,00,00,000 (Rupees Sixty Nine Crores only) and 5,60,00,000 (Five Crore Sixty Lakhs) Preference Shares of Rs. 10 (Rupees Ten only) each aggregating to Rs. 56,00,00,000 (Rupees Fifty Six Crores only).

7. The paid-up share capital of the Company as on March 31, 2021 is Rs. 1,06,00,00,000 (Rupees One Hundred and Six Crores only) divided into 5,00,00,000 (Five Crores) equity shares of face value of Rs. 10 (Rupees Ten only) each aggregating to Rs. 50,00,00,000 (Rupees Fifty Crores only) and 5,60,00,000 (Five Crore Sixty Lakhs) preference shares of face value of Rs. 10 (Rupees Ten only) each aggregating to Rs. 56,00,00,000 (Rupees Fifty Six Crores only). The entire paid-up share capital is held by Cochin Shipyard Limited (CSL).

Debentures

8. The Company has 4,40,000 Unsecured Redeemable Non Convertible Debentures (debentures) of face value of Rs. 1,000 (Rupees One Thousand Only) each outstanding as on March 31, 2021. The debentures were issued in the month of September 2018 with a tenure of 60 months at a coupon rate of 6.50% per annum to CSL for an amount of Rs. 44,00,00,000 (Rupees Forty Four Crores only). The debentures are due for redemption in September 2023.

Dividend

9. No dividend is recommended as the Company is currently in the project implementation stage and have no divisible profits.

Transfer to Reserves

10. As the Company is in the project implementation stage and has incurred a loss during the financial year 2020-21, the Company is unable to transfer any amount to the reserves.

Contribution to Exchequer

11. The total contribution made during the financial year 2020-21 by way of Goods and Services Tax (GST) and Income Tax (TDS) was approximately Rs. 568.54 Lakhs (Rs. 112.74 lakhs PY).

Manpower Status

12. As on March 31, 2021, the Company has 13 employees consisting of 8 executives, 4 Project Officers and 1 Chief Project Engineer. The recruitment for positioning required additional manpower is being progressed in a phased manner to ensure optimum manning in the Company. Apart from the above, employees of the holding company, Cochin Shipyard Limited (CSL), are also engaged on secondment basis for smooth execution of the project.

Particulars of Employees and Related Disclosures

13. In accordance with Ministry of Corporate Affairs notification no. GSR463(E) dated June 05, 2015, Government Companies are exempted from Section 197 of the Companies Act, 2013 and its rules thereof. Hence, details of remuneration of directors need not be included in the Board's report.

Conservation of Energy, Technology absorption and Foreign Exchange earnings and outgo

14. The shipyard infrastructure facilities have been setup incorporating energy efficient measures wherever possible. Technology absorption would also be achieved during the production process.

15. During the year 2020-21, there were no foreign exchange earnings and outgo.

Risk Management

16. The Company is in the process of setting up the required shipyard infrastructure facilities and the progress of the project is periodically reported to the Board for review and necessary guidance. A Comprehensive Risk Management Policy may be framed and adopted on commencement of the commercial operations.

Health, Safety & Environment (HSE)

17. The Company has achieved a commendable 20 lakhs accident-free safe working hours. Post the country wide lockdown imposed by the Govt., yard construction activities commenced on June 10, 2020 ensuring a COVID free working environment for uninterrupted workflow. Presently, training of all executives towards obtaining IMS Certification is underway by IRS which will be followed by the certification process.

Industrial Security

18. The physical security of the Company has been entrusted to the DGR Sponsored Security Agency, M/s. Col (TS) Prithvi Rajan Das (Retd). A total of 29 personnel have been deployed of which 16 are positioned at the Nazirgunge unit and 13 are positioned at the Salkia unit of the Company.

Board of Directors & Key Managerial Personnel

19. As on March 31, 2021, the Company has 5 directors, all of whom are Non-Executive Directors and 3 Key Managerial Personnel viz., the CEO, CFO and the Company Secretary, the details of which are given below:

Sl. No.	Name	DIN	Designation
1.	Shri Madhu S Nair	07376798	Chairman
2.	Shri N V Suresh Babu*	07482491	Non-Executive Director
3.	Shri Bejoy Bhasker	08103825	Non-Executive Director
4.	Shri Jose V J	08444440	Non-Executive Director
5.	Shri Chandra Mani Rout	06935852	Non-Executive Director
6.	Shri Rajesh Gopalakrishnan	N.A.	Chief Executive Officer
7.	Shri Balakrishnan Poovathra	N.A.	Chief Financial Officer
8.	Shri Kiran K A	N.A.	Company Secretary

* Shri N V Suresh Babu ceased to be Director with effect from May 01, 2021 consequent to his retirement on superannuation from the post of Director (Operations) in Cochin Shipyard Limited, the holding company.

20. Pursuant to the sale of shares held by HDPEL in the Company to CSL, HDPEL has withdrawn their nominee directors Shri S Balaji Arunkumar (DIN: 07526368) and Shri Chandra Mani Rout (DIN: 06935852) with effect from the close of business hours on May 29, 2020. However, Shri Chandra Mani Rout (DIN: 06935852) was reappointed as Additional Director on the Board of the Company on May 29, 2020 pursuant to the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (formerly known as Ministry of Shipping), Letter No. SY-11012/2/2020-HCSL dated February 04, 2020. Later, Shri Chandra Mani Rout (DIN: 06935852) was appointed as the Director of HCSL by the Shareholders at their Annual General Meeting held on August 04, 2020.
21. Shri Balakrishnan Poovathra, DGM (Fin-II), CSL was appointed as the Chief Financial Officer of HCSL in place of Shri Shibu John and Shri Kiran K A was appointed as the Company Secretary of HCSL in place of Shri Aswin Sarma M with effect from October 16, 2020.
22. There were no other changes in Directors or Key Managerial Personnel of the Company during the financial year 2020-21 and also up to the date of this report.

Details of Board Meetings held during 2020-21

23. Five Board Meetings were held during the financial year 2020-21 and the gap between two meetings did not exceed 120 days. The dates on which the Board Meetings were held and the attendance of Directors in the said meetings are as follows:

Sl. No.	Date	Board Strength	No. of Directors present
1.	May 29, 2020	6	6
2.	August 04, 2020	5	5
3.	October 15, 2020	5	4
4.	November 07, 2020	5	5
5.	February 06, 2021	5	5

24. The attendance record of each director in the Board Meetings held during the financial year 2020-21 is given below:

Sl. No.	Name	DIN	No. of Board Meetings attended
1.	Shri Madhu S Nair	07376798	5/5
2.	Shri N V Suresh Babu	07482491	5/5
3.	Shri Bejoy Bhasker	08103825	5/5
4.	Shri Jose V J	08444440	5/5
5.	Shri Chandra Mani Rout	06935852	4/5
6.	Shri S Balaji Arunkumar*	07526368	1/1

* Shri S Balaji Arunkumar (DIN: 07526368) ceased to be Director with effect from the close of business hours on May 29, 2020.

Committees of the Board

25. The Company has constituted a Securities Offer, Allotment and Transfer Committee. The Composition of the Committee as on March 31, 2021 and attendance record of members in the meetings held during the financial year 2020-21 is given below:

Sl. No.	Name	DIN	Designation	No. of Meetings attended
1.	Shri Madhu S Nair	07376798	Chairman	4/4
2.	Shri N V Suresh Babu	07482491	Member	4/4
3.	Shri Jose V J	08444440	Member	4/4

26. Four meetings of the Committee were held during the financial year 2020-21 on September 25, 2020, November 04, 2020, January 08, 2021 and January 30, 2021 respectively. All the members were present at the said meetings.

Evaluation of Board's Performance

27. The Company being a wholly owned subsidiary of Cochin Shipyard Limited, a CPSE, is a Government Company as per the provisions of the Companies Act, 2013. The Ministry of Corporate Affairs vide notification GSR 463(E) dated June 05, 2015 has exempted Government Companies from complying with certain provisions of the Companies Act, 2013 which inter-alia provides that Section 134(3)(p) regarding statement on formal annual evaluation shall not apply to Government Companies in case the directors are evaluated by the Ministry which is administratively in-charge of the company as per its own evaluation methodology. Further, the said exemption notification also exempts the Government Companies from the provisions of Sub-Sections (2), (3) & (4) of Section 178 of the Companies Act, 2013 regarding appointment, performance evaluation and remuneration of Directors.

- b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;
- c) the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
- e) the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Contracts and Arrangements with Related Parties

30. During the year, the Company had not entered into any contract/ arrangement/ transaction with related parties which could be considered material. However, pursuant to the approval of the Board at the meeting held on October 15, 2020, a Memorandum of Understanding was entered into with Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company, to enable HCSL and CSL to work together and to enter into a detailed legal agreement for undertaking activities by sharing the facilities, capabilities & resources. Your Directors draw attention of the Members to Note 28 to the financial statements which set out related party disclosures as per Indian Accounting Standard (Ind AS) 24. Further, Form AOC-2 has been attached as **Annexure I** as required under Section 134(3)(h) of the Companies Act, 2013.

Declaration by Independent Directors

28. The Company has no Independent Directors on the Board as of now. The Company being a wholly owned subsidiary, is not required to appoint Independent Directors pursuant to the provisions of Rule 4(2) of the Companies (Appointment and Qualifications of Directors) Rules, 2014.

Directors Responsibility Statement

29. Your Directors state that:

- a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

Corporate Governance

31. Pursuant to the Office Memorandum (OM) F. No. 18(8)/2005-GM issued by the Department of Public

Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India on July 08, 2014, HCSL is exempt from the compliance with the Guidelines on Corporate Governance. However, the report on Corporate Governance prepared in compliance with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the DPE is presented in a separate section forming part of the Annual Report.

Management Discussion and Analysis

32. The Management Discussion and Analysis Report for the year under review, as per the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the Department of Public Enterprises (DPE) is presented in a separate section forming part of the Annual Report.

Internal Financial Controls

33. The Company follows robust policies and procedures closely in line with that of the holding company, CSL, to ensure the orderly and efficient conduct of the Company's business by safeguarding its assets, preventing and detecting errors and frauds, ensuring the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation and submission of reliable financial disclosures.

Secretarial Standards of ICSI

34. Pursuant to the approval from the Ministry of Corporate Affairs, the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) has on April 23, 2015, notified the Secretarial Standards on Meetings of the Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) effective July 01, 2015. The Company is complying with the same.

Statutory Auditors

35. M/s. RADS & Co (CA1369), Chartered Accountants, Kolkata, were appointed as the Statutory Auditors of the Company by the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) for the financial year 2020-21.

Auditors Report

36. M/s. RADS & Co, Statutory Auditors have submitted their report on May 18, 2021. The Report does not contain any adverse remark.

Comments of C&AG

37. The comments of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) under Section 143 (6) (b) of the Companies Act, 2013 forms part of the Annual Report.

Secretarial Auditors

38. M/s. SVJS & Associates, Practicing Company Secretaries, Kochi, were appointed as the Secretarial Auditors of the Company to conduct the Secretarial Audit under the Companies Act, 2013 for the financial year 2020-21.

Secretarial Auditors Report

39. M/s. SVJS & Associates, Secretarial Auditors have submitted their Report on May 07, 2021, which is placed at **Annexure II** to this Report. The Report does not contain any qualification, reservation or adverse remark or disclaimer.

Internal Auditor

40. The Board has appointed M/s. N Satheesan & Co., Chartered Accountants, Kochi, to conduct Internal Audit for the financial year 2020-21.

Supplementary Audit

41. The Comptroller and Auditor General of India (C&AG) has entrusted the Supplementary Audit of the Company to the Office of The Director General of Audit (Mines), Kolkata, 1, Council House Street, Kolkata – 700 001. However, no audit objection on the financial statements of the Company for the year ended March 31, 2021 have been raised by the said office.

Maintenance of Cost Records

42. The maintenance of cost records as required under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 is not applicable for the reporting period.

Vigilance

43. There were no vigilance cases pending/disposed off during the financial year 2020-21.

Annual Return

44. A copy of the Annual Return of the Company as per Section 92(3) of the Companies Act, 2013 is available at the Company's website at www.hooghlycsl.com

Corporate Social Responsibility (CSR)

45. The Company being in its project implementation stage is not in a position to undertake CSR activities. Further, the Company does not fall within the purview of Section 135 of the Companies Act, 2013 which relates to CSR.

Details of Subsidiaries, Joint Ventures or Associate Companies

46. The Company does not have any subsidiaries, joint ventures or associate companies.

Right to Information Act, 2005

47. During the year under review, the Company had received two requests under the Right to Information (RTI) Act, 2005 which were transferred by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (formerly known as Ministry of Shipping), and appropriate reply for the same has been provided.

Details of frauds reported by Auditors under Section 143

48. Nil.

Material changes and commitments

49. No material changes and commitments, affecting the financial position of the Company, have occurred between the end of the financial year of the Company and the date of this Report.

Particulars of loans, guarantees or investments

50. During the year under Report, the Company has not

- given any loan to any person or other body corporate;
- given any guarantee or provided security in connection with a loan to any other body corporate or person; and
- acquired by way of subscription, purchase or otherwise, the securities of any other body corporate, as prescribed under Section 186 of the Companies Act, 2013.

Details of change in nature of business

51. The Company has not yet started its business operations and is focusing on putting in place the required infrastructure to commence the business operations.

Deposits

52. Your Company has not accepted any deposits from the public under Chapter V of the Companies Act, 2013.

Significant and Material orders

53. No significant and material orders were passed by the regulators or any courts or tribunals impacting the going concern status of the Company and affecting its operations.

Other Disclosures

54. The Company is in the advanced stages of yard construction for commencing its operations and the required manpower is also being positioned. The Internal Complaints Committee under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 will be constituted once the Company commences the operations. No cases have been filed / disposed off during the financial year 2020-21 under the Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and Rules framed there under.

Acknowledgement

55. The Board of Directors is extremely thankful for the continued patronage and support extended by the Hon'ble Prime Minister, Hon'ble Minister of Ports, Shipping & Waterways (MoPSW), Cochin Shipyard Limited (CSL), Hooghly Dock & Port Engineers Limited (HDPEL), Kolkata Port Trust (KoPT) and all officers of the MoPSW, CSL, HDPEL and KoPT. The Board would also like to express its grateful appreciation for the support and co-operation from various offices of the Government of India, Government of West Bengal, various local bodies, the Comptroller & Auditor General of India, Auditors, Legal Counsels, Consultants, Suppliers, Sub-contractors, Bankers and Company's employees.

For and on behalf of the Board of Directors

Madhu S Nair

Chairman

Kochi

May 07, 2021

DIN: 07376798

Annexure-I

FORM NO. AOC-2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

Form for disclosure of particulars of contracts/agreements entered into by the Company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arms length transactions under third proviso thereto.

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis

Sl. No.	Particulars	Details
a)	Name(s) of the related party and nature of relationship	Nil
b)	Nature of contracts/arrangements/transactions	Nil
c)	Duration of the contracts/arrangements/transactions	Not Applicable
d)	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	Not Applicable
e)	Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions	Not Applicable
f)	Date(s) of approval by the Board	Not Applicable
g)	Amount paid as advances, if any	Not Applicable
h)	Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to section 188	Not Applicable

2. Details of material contracts or arrangements or transactions at arm's length basis

Sl. No.	Particulars	Details
a)	Name(s) of the related party and nature of relationship	Nil
b)	Nature of contracts/arrangements/transactions	Nil
c)	Duration of the contracts/arrangements/transactions	Not Applicable
d)	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	Not Applicable
e)	Date(s) of approval by the Board, if any	Not Applicable
f)	Amount paid as advances, if any	Not Applicable

For and on behalf of the Board of Directors

Kochi
May 07, 2021

Madhu S Nair
Chairman
DIN: 07376798

Annexure-II

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2021

[Pursuant to Section 204 (1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To
The Members
Hooghly Cochin Shipyard Limited
The Legacy, 25 A Shakespeare Sarani,
Level 1 Kolkata 700017
West Bengal

We, SVJS & Associates, Company Secretaries, have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **HOOGHLY COCHIN SHIPYARD LIMITED [CIN: U35900WB2017GOI223197]** (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts / statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, the explanations and clarifications given to us and the representations made by the Management and considering the relaxations granted by the Ministry of Corporate Affairs warranted due to the spread of the COVID-19 pandemic, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on 31.03.2021 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31st March, 2021 according to the provisions of:

- The Companies Act, 2013 (the Act) and the Rules made thereunder;
- As informed to us, the following other laws are specifically applicable to the Company.

- The Electricity Act, 2003 and the Regulations and Bye-laws framed there under;
- The Industrial Employment Standing Orders Act and the Rules;
- The Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 and the Regulations and Bye-laws framed there under;
- The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Regulations and Bye-laws framed there under;
- The Environment (Protection) Act, 1986 and the Regulations and Bye-laws framed there under;
- The Factories Act, 1948 and the Regulations and Bye-laws framed there under;

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- Secretarial Standards relating to Meetings of the Board of Directors (SS 1) and General Meetings (SS 2) issued by The Institute of Company Secretaries of India;

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, etc. mentioned above.

In respect of other laws specifically applicable to the Company we have relied on information / records produced by the Company during the course of our audit and the reporting is limited to that extent.

We report that

The Board of directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors and Non-Executive Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notices were given to all directors to schedule the Board Meetings, Agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance and at shorter notice in certain cases in accordance with the provisions of the Act and Secretarial Standards, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

All decisions of the Board were unanimous and the same was captured and recorded as part of the minutes.

We further report that to the extent of our verification, there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that

1. the Company in its Extra-ordinary General Meeting held on 15th October, 2020 have passed a special resolution to offer, issue and allot 5,60,00,000 (Five Crore Sixty Lakhs only) Cumulative Redeemable Preference Shares.
2. the Company had vide rights issue allotted 2,80,00,000 (Two Crore Eighty Lakhs only) equity shares and 5,60,00,000

(Five Crore Sixty Lakhs only) preference shares on 04th November 2020 and 30th January, 2021 respectively.

3. the Company in its Extra-ordinary General Meeting held on 07th November, 2020 have passed a special resolution to offer, issue and allot Unsecured Redeemable Non Convertible Debentures for an amount not exceeding Rs. 31,00,00,000/- (Rupees Thirty One Crore only).

We further report that during the audit period there were no instances of:

- (i) Public / Preferential issue of shares / debentures / sweat equity
- (ii) Redemption / buy-back of securities
- (iii) Merger / amalgamation / reconstruction etc.
- (iv) Foreign technical collaborations

This Report is to be read with our letter of even date which is annexed as '**Annexure A**' and forms an integral part of this report.

For SVJS & Associates
Company Secretaries

Jayan K.
Partner
FCS. 8154
CP. No. 7363

Kochi
07.05.2021
UDIN: F008154C000258096

'Annexure A'

To
The Members
Hooghly Cochin Shipyard Limited
The Legacy, 25 A Shakespeare Sarani,
Level 1 Kolkata 700017
West Bengal

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of the Secretarial records is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility as Secretarial Auditors is to express an opinion on these records, based on our audit.
2. During the audit, we have followed the practices and process as were appropriate, to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. We believe that the process and practices we followed provide a reasonable basis for our report.
3. The correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company have not been verified.
4. Where ever required, we have obtained the Management representation about the Compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards etc. is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of the procedures and compliances on test basis.
6. While forming an opinion on compliance and issuing the Secretarial Audit Report, we have also taken into consideration the compliance related actions taken by the Company after 31st March 2021 but before issue of the Report.
7. We have considered actions carried out by the Company based on independent legal / professional opinion as being in compliance with law, wherever there was scope for multiple interpretations.

For SVJS & Associates
Company Secretaries

Jayan K.
Partner
FCS. 8154
CP. No. 7363

Kochi
07.05.2021
UDIN: F008154C000258096

Management Discussion and Analysis Report

Forward looking statements

1. Statements in this Management Discussion and Analysis of financial condition and results of operations of the Company describing the Company's objectives, expectations or predictions may be forward looking within the meaning of applicable securities laws and regulations. Forward-looking statements are based on certain assumptions and expectations of future events. The Company cannot guarantee that these assumptions and expectations are accurate or will be realised. The Company assumes no responsibility to publicly amend, modify or revise forward-looking statements on the basis of any subsequent developments, information or events. Actual results may differ materially from those expressed in the statement. Important factors that could influence the Company's operations include government's strategy relating to acquisition of naval platforms, changes in government regulations, tax laws, economic developments within the country and such other factors globally. The financial statements are prepared under historical cost convention, on accrual basis of accounting and in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act. The management of Hooghly Cochin Shipyard Limited ("HCSL" or "the Company") has used estimates and judgments relating to the financial statements on a prudent and reasonable basis, in order that the financial statements reflect in a true and fair manner, the state of affairs for the year.
2. The following discussions on our financial condition and result of operations should be read together with our audited financial statements and the notes to these statements included in the annual report. Unless otherwise specified or the context otherwise requires, all references herein to "we", "us", "our", "the Company", "Hooghly Cochin Shipyard", "HCSL", "Group" are with respect to Hooghly Cochin Shipyard Limited and its holding company.

Global Shipbuilding Industry

3. As per available inputs, the global shipbuilding industry is still going through a downturn which is likely to continue

for the next year. The COVID-19 crisis could affect the sector further as economies world-wide are impacted and trade declines.

Indian Shipbuilding Industry

4. The opportunities in the defence and inland/coastal waterways segments therefore remain the focus areas for the Indian Shipbuilding Industry. The government's focus on development of inland and coastal waterways infrastructure is expected to spur demand for this sector. It is estimated that to begin with around 150 vessels may be required to carry cargo in National Waterways once it is commissioned.

Government of India (GOI) Initiatives in Inland Waterways

5. The GOI has taken initiative to develop the National Waterway No. 1 (NW-1) through the Jal Marg Vikas Project with technical and financial assistance of the World Bank.
6. The Proposed Project - Jal Marg Vikas aims at improvement of navigation in the entire stretch of 1620 km of NW-1 (Haldia to Allahabad). The GOI has availed World Bank fund for the development of the Inland Waterway No. 1 between Haldia and Varanasi. The Government's initiative to develop inland waterways present an opportunity for the Indian Shipbuilding Industry in the form of building various vessels such as Ro-Ro Vessels, Ro-Pax Vessels, Dredgers, Multipurpose & Mini Bulk Carriers, Inland Cruise Vessels, Petroleum Product Carriers etc.

Global Ship Repair Industry

7. As per available inputs, India has high potential in the ship repair segment, even though presently its share in global ship repair market is not significant. India's strategic position along the east bound and west bound international trade routes offers an opportunity to cater to vessels plying on these routes. As regards HCSL, the lack of professional ship repair facilities along the National Waterways are to be seen as potential area to be tapped for future business.

Indian Ship Repair Industry

8. The current captive market for ship repair in India is estimated at around Rs. 2,500 Crores. It is estimated that only 15% of the country's potential is being tapped presently. Lack of infrastructure and weak ancillary support are the primary reasons for failure to tap the above opportunities. As a part of the Sagarmala project, government has embarked on a programme for utilisation of existing repair facilities in major ports for ship repair services by professional shipyards. Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company of HCSL, has recently commenced a new ship repair unit (CKSRU) at Netaji Subas Docks in Kolkata. HCSL, being a 100% subsidiary of CSL can associate and help leverage the capabilities of both CKSRU & HCSL for mutual benefit by developing ship repair business in the region.

Operations

9. The "New Yard Construction of Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL), Nazirgunge Unit" is in an advanced stage of completion and the facility is ready for operation. The final commissioning of balance systems & equipment are in progress. At the end of financial year of 2020-21, physical progress to the tune of 93% has been attained for civil work, while commissioning work of machineries, mechanical and electrical equipment & systems is in progress and is about 85% complete.
10. Construction activities under Civil works package had crossed the 50% mark in 2019-20 when the outbreak of COVID-19 necessitated all works at site to be stopped due to the lockdown declared on March 23, 2020. Although the site resumed after 79 days of lockdown on June 10, 2020, the momentum of work could not be regained to pre-COVID pace due to regular interim lockdowns imposed by the local administration & state government. Considering the loss of man-days due to the pandemic, the original contractual completion of June 2021 would stand revised to September 2021 as per extant force majeure clause. However, all efforts are being made to complete the balance commissioning and allied works by May, 2021.
11. In early March 2021, the site readiness from an operational readiness angle was inspected and certified by third party inspector from ABS India Limited. Accordingly, a "Readiness for Operation" event was conducted on March 09, 2021 in the presence of Shri Madhu S Nair, Chairman, HCSL & Chairman and Managing Director, Cochin Shipyard Limited (CSL) and Shri Vinit Kumar, Chairman KoPT. This has therefore ensured that HCSL has met the MoU target signed in this regard with the Ministry of Ports, Shipping & Waterways.

12. The Company being in the project implementation stage has reported a loss of Rs. 315.70 Lakhs during the financial year 2020-21 (Rs. 248.76 Lakhs PY). The total capital expenditure incurred upto the financial year 2020-21 amounted to Rs. 12,211.97 Lakhs (Rs. 3,641.56 Lakhs upto PY).

Proposed Dividend

13. No dividend is recommended as the Company is in the project implementation stage and does not have divisible profits.

Segment wise/ product wise performance

14. The Company is in the project implementation stage and has not commenced its operations.

SWOT

15. Hooghly Cochin Shipyard Limited is in the final stages of construction. Hence, is not in a position to analyse the Strength, Weakness, Opportunities and Threats, which can be assessed once the unit becomes operational.

Risks and concerns

16. The Company foresees a good opportunity in the emerging Inland waterways and coastal shipping sector in India. It is therefore endeavouring to set up the requisite infrastructure, at Nazirgunge to cater to the needs of the inland waterways segment. Delay in timely completion of developmental works and failure to commence operations as planned and the uncertainty posed by COVID-19 Pandemic, would be the major risk being encountered at the moment by the Company.
17. Availability of experienced and talented workforce for undertaking the works at the sites also poses a risk. Project implementation is also subject to inherent risks such as equipment defects, malfunctions and failures, equipment misuse and disasters that can result in fires and explosions. The Company intends to mitigate the said risks through professional project management, related eco system development programme including vendor base development, putting in place the necessary warranties on equipment, machineries, plant etc., and ensuring insurance cover on its assets.

Internal Control

18. The Company has adopted robust policies and procedures to ensure the orderly and efficient conduct of the

Company's business by safeguarding its assets, preventing and detecting errors and frauds, ensuring the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation and submission of reliable financial disclosures.

Human Resource Development and Industrial Relations

19. The Company is in the process of recruiting necessary human resources and putting in place a suitable organisation structure to commence operations once the construction phase is over.

Environmental Protection and Conservation, Technological conservation, Renewable energy developments, Foreign Exchange conservation

20. The Company has adopted possible energy efficient measures in the construction of facilities; technology absorption would be achieved on commencement of operations. The Company has not incurred any expenses in foreign currency during the year 2020-21.

Corporate Social Responsibility

21. Since, the Company is in the final stage of its project implementation and is yet to commence its operations, no attempt has been taken for Corporate Social Responsibility. In due course, efforts will be ensured towards the Corporate Social Responsibility aspects of the organisation.

Cautionary statement

22. Statement in this 'Management Discussion and Analysis Report' describing the objectives, expectations, assumptions or predictions of the Company may be forward looking statements within the meaning of applicable rules and regulations. Actual results could differ materially from those expressed or implied. Important factors that could make a difference to the operations of the Company include economic conditions affecting demand/supply, price conditions in the domestic and international markets, Government policies and regulations, statutes and other incidental factors.

For and on behalf of the Board of Directors

Kochi
May 07, 2021

Madhu S Nair
Chairman
DIN: 07376798

Report on Corporate Governance

Company's Philosophy on Corporate Governance

1. Hooghly Cochin Shipyard Limited ("HCSL/Company") believes that good Corporate Governance facilitates effective and prudent management that can deliver the long-term success of the Company. Considering this, HCSL strives for good governance practices through transparency, fairness, accountability and stakeholder engagement. Pursuant to the Office Memorandum (OM) F. No. 18(8)/2005-GM issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India on July 08, 2014, the Company is exempt from the compliance with the Guidelines on Corporate Governance. However, the Company has prepared the report on Corporate Governance in compliance with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by DPE.

Board of Directors

2. The Company was formed as a Joint Venture between Cochin Shipyard Limited (CSL) and Hooghly Dock & Port Engineers Limited (HDPEL) and as per the Joint Venture

agreements, the Board shall comprise of not more than 11 persons. HDPEL shall have the right to nominate such number of Directors as is proportionate to its shareholding in the Company subject to a minimum of two so long as the shareholding of HDPEL is maintained at a minimum of 10% in the Company. CSL shall have the right to nominate the remaining Directors subject to a minimum of 3 Directors, who shall be nominated for appointment on behalf of CSL by the Chairman and Managing Director of CSL.

3. However, as part of the 'Proposal for Liquidation & Restructuring of and providing improved Voluntary Retirement Scheme (VRS) for the employees of Hooghly Dock & Port Engineers Limited (HDPEL)', the Union Cabinet on October 03, 2019 accorded its approval for outright purchase by CSL of the Company's shares held by HDPEL at book value. Pursuant to the said approval, the 57,20,000 HCSL shares held by HDPEL was transferred to CSL on November 01, 2019 and with effect from the said date, HCSL became a wholly owned subsidiary of CSL. In view of the above and as per the existing Articles of Association of the Company, the Chairman and Managing Director of CSL is authorized to nominate the Directors for appointment on the Board of the Company.

4. As on March 31, 2021, the Board of the Company consists of five Non-Executive Directors. The Company has a Non-Executive Chairman. The composition of the Board as on March 31, 2021 is as follows:-

Sl. No.	Name of the Director	Director Identification Number (DIN)	Category of Directorship
1.	Shri Madhu S Nair	07376798	Chairman
2.	Shri N V Suresh Babu*	07482491	Non-Executive Director
3.	Shri Bejoy Bhasker	08103825	Non-Executive Director
4.	Shri Jose V J	08444440	Non-Executive Director
5.	Shri Chandra Mani Rout	06935852	Non-Executive Director

5. Disclosure of relationship between Directors inter-se: Nil

6. Shri Madhu S Nair (DIN: 07376798), whose office as Director was liable to retire by rotation and being eligible was reappointed as the Director of the Company in the third Annual General Meeting held on August 04, 2020.

7. * Shri N V Suresh Babu (DIN: 07482491) ceased to be Director with effect from May 01, 2021 consequent to his

retirement on superannuation from the post of Director (Operations) in Cochin Shipyard Limited, the holding company.

8. Pursuant to the sale of shares held by HDPEL in the Company to CSL, HDPEL has withdrawn their Nominee Directors, Shri S Balaji Arunkumar (DIN: 07526368) and Shri Chandra Mani Rout (DIN: 06935852) with effect from the close of business hours on May 29, 2020. However,

Shri Chandra Mani Rout (DIN: 06935852) was reappointed as Additional Director on the Board of the Company on May 29, 2020 pursuant to the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (formerly known as Ministry of Shipping), Letter No. SY-11012/2/2020-HCSL dated February 04, 2020. Later, Shri Chandra Mani Rout (DIN: 06935852) was appointed as the Director of HCSL by the Shareholders at their Annual General Meeting held on August 04, 2020.

9. The profile of the Directors who were on the Board of the Company as on March 31, 2021, including the nature of their expertise in specific functional areas is given in the first part of the Annual Report. The details of directorships and committee positions held by these Directors are provided under the heading 'Directorships and Committee positions' below.

Attendance of Directors at Board Meetings and last Annual General Meeting (AGM)

10. Five Board Meetings were held during the year under review. The gap between any two meetings has been less than one hundred and twenty days. The 03rd AGM of HCSL was held on August 04, 2020. The details of attendance of Directors at the said Board Meetings and AGM are given below:

Name of the Director	Board Meeting					AGM Aug 04, 2020
	2020				2021	
	May 29	Aug 04	Oct 15	Nov 07	Feb 06	
Shri Madhu S Nair	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓
Shri N V Suresh Babu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Bejoy Bhasker	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Jose V J	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Chandra Mani Rout	✓*	✓*	x	✓*	✓*	✓*
Shri S Balaji Arunkumar [^]	✓*	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

* Attended through audio visual means

[^] Shri S Balaji Arunkumar (DIN: 07526368) ceased to be Director of HCSL with effect from the close of business hours on May 29, 2020.

Directorships and Committee positions

11. The total number of Directorship(s)/Chairmanship(s) held by Directors and the positions of Membership/Chairmanship on Committees including Hooghly Cochin Shipyard Limited, as on March 31, 2021 are given below:

Name of the Director	No. of Directorship		Board Committees	
	Chairman	Member	Chairman	Member
Shri Madhu S Nair	3	-	-	-
Shri N V Suresh Babu	-	3	-	-
Shri Bejoy Bhasker	-	3	-	-
Shri Jose V J	-	3	-	-
Shri Chandra Mani Rout	-	3	-	-

• The Directorships held by Directors as mentioned above does not include Alternate Directorships and Directorships in Private Limited Companies, Foreign Companies and Companies registered under Section 8 of the Companies Act, 2013.

• Memberships/ Chairmanships of only the Audit Committees and Stakeholders Relationship Committees of all Public Limited Companies and Government Companies have been considered.

Board Committees

12. The Company is in the process of setting up the required shipbuilding infrastructure facilities at Nazirgunge to commence the operations. Pursuant to the Office Memorandum (OM) F. No. 18(8)/2005-GM issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India on July 08, 2014, the Company is exempt from the compliance with the Guidelines on Corporate Governance.

13. The Company has constituted a Securities Offer, Allotment and Transfer Committee. The Composition of the Committee as on the date of this report and attendance record of members in the meetings held during the financial year 2020-21 is given below:

Sl. No.	Name	DIN	Designation	No. of Meetings attended
1.	Shri Madhu S Nair	07376798	Chairman	4/4
2.	Shri N V Suresh Babu	07482491	Member	4/4
3.	Shri Jose V J	08444440	Member	4/4

14. Four meetings of the Committee were held during the financial year 2020-21 on September 25, 2020, November 04, 2020, January 08, 2021 and January 30, 2021 respectively. All the members were present at the said meetings.

General Body Meetings

15. The date, time and venue of the last three Annual General Meetings (AGM) were as follows:

Year	Date & Time	Venue	Special Resolution passed
2017-18	July 18, 2018 at 11.00 hrs.	The Legacy, 25 A, Shakespeare Sarani, Level 1, Kolkata, West Bengal – 700 017 (Registered Office)	Yes*
2018-19	July 12, 2019 at 10.00 hrs.	The Lalit Great Eastern Kolkata, 1,2,3 Old Court House Street, Dalhousie Square, Kolkata, West Bengal – 700 069	No
2019-20	August 04, 2020 at 11.00 hrs.	Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala - 682015	No

* Special Resolutions approving the borrowing limits up to Rs. 200 Crores and private placement of securities other than equity shares including NCDs upto Rs. 100 Crores within the above said limit of Rs. 200 Crores were passed in the AGM held on July 18, 2018.

16. Four Extraordinary General Meetings (EGM) of the Company had also been held since its incorporation on October 23, 2017, the details of which are given below:

Date & Time	Venue	Special Resolution passed
December 14, 2017 at 17.00 hrs.	The Legacy, 25 A, Shakespeare Sarani, Level 1, Kolkata, West Bengal – 700 017 (Registered Office)	Yes*
February 17, 2020 at 10.00 hrs.	Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015	Yes [#]
October 15, 2020 at 11.30 hrs.	CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015	Yes ^{**}
November 07, 2020 at 10.20 hrs.	CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015	Yes ^{###}

* Special Resolution for issue of equity shares to CSL and HDPEL.

[#] Special Resolution for adoption of new set of Articles of Association for the Company.

^{**} Special Resolution for issue of 5.6 Crores cumulative redeemable preference shares to the existing Shareholders viz., CSL on right basis.

^{###} Special Resolution to issue unsecured redeemable non-convertible debentures for an amount not exceeding Rs. 31 Crores.

17. The fourth AGM of the Company is scheduled to be held on September 15, 2021 at 11.00 hrs. at Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015.

Other Disclosures

(i) Related Party Transactions

18. During the year under review, the Company has not entered into any materially significant related party transactions that had or may have conflict with the interests of the Company at large.

(ii) Non-compliance by the Company

19. There were no cases of non-compliance by the Company and no penalties/strictures were imposed on the Company by any statutory authority on any matter related to any guidelines issued by Government, during the last three years.

(iii) Whistle Blower Policy

20. The Company is in the process of setting up the required shipbuilding infrastructure facilities at Nazirgunge to commence the operations. Once the infrastructure is in place and the Company commences its operations, it will formulate and put in place a Whistle Blower Policy to provide a framework for Stakeholders to report to the management, instances of illegal or unethical practices, unethical behaviour, actual or suspected fraud or violation of the Company's code of conduct or ethics policy.

(iv) Compliance with DPE Guidelines on Corporate Governance

21. Pursuant to the Office Memorandum (OM) F. No. 18(8)/2005-GM issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India on July 08, 2014, the Company is exempt from the compliance with the Guidelines on Corporate Governance.

(v) Details of Presidential Directives issued by Central Government and their compliance during the year and also in the last three years.

22. The Company being in the project implementation stage is in the process of setting up the required shipbuilding infrastructure facilities at Nazirgunge in Kolkata. The Company has been complying with the Presidential Directives issued by Central Government with respect to the Public Sector Undertakings (PSU), wherever applicable.

(vi) Items of expenditure debited in books of accounts, which are not for the purposes of the business.

NIL

(vii) Expenses incurred which are personal in nature and incurred for the Board of Directors and top management.

NIL

(viii) The administrative and office expenses of the Company for the year 2020-21 were 66.02% (42.39% PY) of the total expenses. The financial expenses stood at 16.86% (10.04% PY) of the total expenses in the year 2020-21.

(ix) Means of communication of results

23. The Company, a wholly owned subsidiary of Cochin Shipyard Limited (CSL) is in the process of setting up the required shipbuilding infrastructure facilities at Nazirgunge to commence the operations. As the Company's shares are not listed in any of the stock exchanges, there is no statutory requirement for publishing the quarterly/half yearly/annual results. However, the consolidated financial results (quarterly/half yearly/annual) of CSL which takes into account the financial results of the Company as well is published as per the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The annual reports and the official news releases of the Company is placed at CSL's website www.cochinshipyard.com and the same shall be made available at the Company's website at www.hooghlycsl.com

(x) Audit Qualifications

24. The Report submitted by the Statutory Auditors, M/s. RADS & Co., with respect to the financial statements of the Company for the financial year 2020-21 does not contain any adverse remark.

(xi) Training of Board Members

25. Presently, the Company is focusing on putting in place the required shipbuilding infrastructure facilities at Nazirgunge to commence the operations and in the course of time the Board members will be provided training in various areas for the success of the business.

Address for Correspondence:

Hooghly Cochin Shipyard Limited
Administrative Building
HCSL Premises, Satyen Bose Road
P.O. Danesh Shaikh Lane, Nazirgunge
Howrah, West Bengal – 711 109
Tel: +91 (33) 26888282
Email: secretary.hcsl@cochinshipyard.in

For and on behalf of the Board of Directors

Kochi
May 07, 2021

Madhu S Nair
Chairman
DIN: 07376798

Independent Auditors' Report

To
The Members of
Hooghly Cochin Shipyard Limited

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying standalone financial statements of HOOGLY COCHIN SHIPYARD LIMITED (the "Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2021, the Statement of Profit and Loss, the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows ended on that date, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as the "standalone financial statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 (the "Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2021, the loss, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit of the standalone financial statements in accordance with the Standards on Auditing ("SA's") specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI") together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements under the provisions of the Act and the Rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence obtained by us is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial statements.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexures to Board's Report, Business Responsibility Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's Responsibilities for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair

view of the financial position, financial performance, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the Ind AS and other accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,

misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal financial control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the standalone financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the standalone financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought

to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act, we give in "Annexure A" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.
- Based on the verification of the records of the Company and based on information and explanations given to us we give report in "Annexure B" on the Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in terms of Section 143(5) of the Act.
- As required by Section 143(3) of the Act, based on our audit we report that:
 - We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
 - In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
 - The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account.
 - In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Ind AS specified under Section 133 of the Act.

- On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2021 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on March 31, 2021 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act.
- With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure C". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting.
- With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended: In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the remuneration paid by the Company to its directors during the year is in accordance with the provisions of section 197 of the Act.
- With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - The Company does not have any pending litigation which would impact its financial position.
 - The Company does not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
 - There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

For **RADS & Co.**
Chartered Accountants
[FRN: 320298E]

Dhiraj Kumar Agarwal
Partner

Kolkata
May 18, 2021

Membership Number: 067872
UDIN: 21067872AAAAAU7564

Annexure 'A' to the Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of Hooghly Cochin Shipyard Limited of even date)

- i. On the basis of checks as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us during the course of our audit, we report that:
 - a) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets.
 - b) The Fixed Assets have been physically verified by the management at reasonable intervals. According to the information and explanations given to us, no material discrepancies were noticed on such verification.
 - c) According to the information and explanations given to us, the records examined by us, we report that, the company does not have any freehold immovable properties of land and buildings as at the balance sheet date. In respect of immovable properties of land and building that have been taken on lease and disclosed as fixed assets in the standalone financial statements, the lease agreements are in the name of the Company.
- ii. The Company does not have any physical inventories. Accordingly, reporting under clause 3 (ii) of the Order is not applicable to the Company.
- iii. According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, the Company has not granted any loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013. Consequently, the provisions of clause 3(iii) of the order are not applicable.
- iv. The Company has not granted any loans nor made any investments nor extended any guarantees nor provided any securities covered under provisions of Section 185 or Section 186 of the Act. Consequently, the provisions of clause 3(iv) of the order are not applicable.
- v. The Company has not accepted deposits from the public and hence, the provisions of the clause 3 (v) of the Order are not applicable to the Company.
- vi. The maintenance of cost records has not been specified by the Central Government under section 148(1) of the

Companies Act, 2013 for the business activities carried out by the Company. Thus, reporting under clause 3(vi) of the order is not applicable to the Company.

- vii. According to the information and explanations given to us, in respect of statutory dues:
 - a) The Company is regular in depositing undisputed statutory dues, including Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Goods and Service Tax, Customs Duty, Cess and other material statutory dues applicable to it with the appropriate authorities.
 - b) There were no undisputed amounts payable in respect of Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Goods and Service Tax, Customs Duty, Cess and other material statutory dues in arrears as at March 31, 2021 for a period of more than six months from the date they became payable.
 - c) There are no dues of income tax or sales tax or service tax or duty of customs or duty of excise or value added tax or goods & service tax that have not been deposited on account of any dispute.
- viii. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not defaulted in repayment of any dues to financial institutions, banks, governments, or debenture holders.
- ix. The Company has not raised moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) or term loans and hence reporting under clause 3 (ix) of the Order is not applicable to the Company.
- x. To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, no fraud by the Company or no material fraud on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.
- xi. The company has not paid any managerial remuneration as per Section 197 read with schedule V of the Companies Act, 2013 and hence reporting under clause 3 (xi) of the Order is not applicable to the Company.
- xii. The Company is not a Nidhi Company and hence reporting under clause 3 (xii) of the Order is not applicable to the Company.
- xiii. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is in compliance with Section 177 and 188 of the Companies Act, 2013

where applicable, for all transactions with the related parties and the details of related party transactions have been disclosed in the standalone financial statements as required by the applicable accounting standards.

- xiv. During the year, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly paid convertible debentures and hence reporting under clause 3 (xiv) of the Order is not applicable to the Company.
- xv. In our opinion and according to the information and explanations given to us, during the year the Company has not entered into any non-cash transactions with its Directors or persons connected to its directors and hence provisions of section 192 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company.

- xvi. The Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 and hence reporting under clause 3 (xvi) of the Order is not applicable to the Company.

For **RADS & Co.**
Chartered Accountants
[FRN: 320298E]

Dhiraj Kumar Agarwal
Partner

Kolkata
May 18, 2021

Membership Number: 067872
UDIN: 21067872AAAAAU7564

Annexure “B” to the Independent Auditor’s Report

(Referred to in paragraph 2 under ‘Report on Other Legal and Regulatory Requirements’ section of our report to the Members of Hooghly Cochin Shipyard Limited of even date)

Report on the Directions under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 for the year ended 31 March, 2021

Based on the verification of the records of the Company and based on information and explanations given to us we give here below a report on the Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in terms of Section 143(5) of the Act:

- a) The Company’s accounting record are maintained in IT system. As such, there is no recording of transactions outside the system, and hence no financial implication in this respect.

- b) There has been no instance of restricting of existing loans or instances of waiver/write off of debts/loans/interest etc. during the year.
- c) The Company has not received any specific funds under any specific scheme and as such the question of utilisation does not arise.

For **RADS & Co.**
Chartered Accountants
[FRN: 320298E]

Dhiraj Kumar Agarwal
Partner
Membership Number: 067872
UDIN: 21067872AAAAAU7564

Kolkata
May 18, 2021

Annexure “C” to the Independent Auditor’s Report

(Referred to in paragraph 3 (f) under ‘Report on Other Legal and Regulatory Requirements’ section of our report to the Members of Hooghly Cochin Shipyard Limited of even date)

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 (“the Act”)

We have audited the internal financial controls over financial reporting of HOOGLY COCHIN SHIPYARD LIMITED (the “Company”) as of March 31, 2021 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management’s Responsibility for Internal Financial Controls

The Board of Directors of the Company is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the “ICAI”). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to respective company’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor’s Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company’s internal financial controls over financial reporting of the Company based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the “Guidance Note”) issued by the ICAI and the Standards on Auditing prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial

reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor’s judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company’s internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company’s internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company’s internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company’s assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be

detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2021, based on the internal financial control over financial

reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For **RADS & Co.**
Chartered Accountants
[FRN: 320298E]

Dhiraj Kumar Agarwal
Partner

Kolkata
May 18, 2021

Membership Number: 067872
UDIN: 21067872AAAAAU7564

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR-GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF HOOGLHY COCHIN SHIPYARD LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021

The preparation of financial statements of Hooghly Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2021 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the Management of the Company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor-General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 18 May 2021.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Hooghly Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2021 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143 (6) (b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor-General of India

(Suparna Deb)
Director General of Audit (Mines), Kolkata

Kolkata
July 30, 2021

Balance Sheet

as at 31st March, 2021

(₹ in Lakhs)

Particulars	Note No.	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
ASSETS			
(1) Non-current assets			
(a) Property, Plant & Equipment	2	11.59	22.79
(b) Right of Use Assets	3	589.47	371.88
(c) Intangible assets	4	559.77	347.81
(d) Capital work-in-progress	5	12,211.97	3,641.56
(e) Financial Assets:			
(i) Other financial assets	6	0.34	0.31
(f) Deferred tax assets (net)	7	154.48	62.64
(g) Income tax assets (net)	8	51.06	44.52
(h) Other non-current assets	9	47.66	479.02
		13,626.34	4,970.53
(2) Current assets			
(a) Financial assets			
(i) Cash and cash equivalents	10	3,621.57	1,830.50
(ii) Bank balances other than Cash and cash equivalents	11	105.61	100.00
(iii) Other financial assets	12	6.09	6.75
(b) Other current assets	13	773.96	522.30
		4,507.23	2,459.55
Total Assets		18,133.57	7,430.08
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity:			
(a) Equity Share capital	14	5,000.00	2,200.00
(b) Other Equity	15	(734.72)	(419.02)
		4,265.28	1,780.98
Liabilities:			
(1) Non-current liabilities			
Financial liabilities			
(a) Borrowings	16	10,649.37	4,789.74
(2) Current liabilities			
(a) Financial liabilities			
Other financial liabilities	17	354.59	135.28
(b) Other current liabilities	18	34.27	16.77
(c) Provisions and Contingencies	19	2,830.06	707.31
		3,218.92	859.36
Total Equity and Liabilities		18,133.57	7,430.08
Notes forming part of the financial statements	1-32		

In terms of our report of even date

For and on behalf of Board of Directors

For **RADS & CO**
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 320298E)

MADHU S NAIR
Chairman
(DIN 07376798)

JOSE V J
Director & I/c Chief Financial Officer
(DIN 08444440)

Dhiraj Kumar Agarwal
Partner
(Membership No. 067872)

RAJESH GOPALAKRISHNAN
Chief Executive Officer

KIRAN K A
Company Secretary
M. No. A36050

Kolkata
May 18, 2021

Kochi
May 07, 2021

Statement of Profit and Loss

for the year ended 31st March, 2021

(₹ in Lakhs)

Particulars	Note No.	Year ended 31st March, 2021	Year ended 31st March, 2020
I Income			
Other income	20	40.77	77.12
Total Income		40.77	77.12
II Expenses:			
Employee benefit expenses	21	25.28	23.71
Finance costs	22	75.57	33.01
Depreciation & Amortisation expenses	23	32.61	20.77
Other expenses	24	314.85	251.21
Total expenses		448.31	328.70
III Profit/(Loss) before tax		(407.54)	(251.58)
IV Tax expense:			
(1) Current tax		-	-
(2) Deferred tax	7	(91.84)	(2.82)
V Profit/(Loss) for the year		(315.70)	(248.76)
VI Other comprehensive income/(loss)			
Total other comprehensive income/(loss) for the year		-	-
VII Total Comprehensive Income/(loss) for the year		(315.70)	(248.76)
VIII Earnings per equity share of ₹ 10 each:			
(1) Basic (₹)	25	(0.95)	(1.13)
(2) Diluted (₹)	25	(0.95)	(1.13)
IX Notes forming part of the financial statements			
	1-32		

In terms of our report of even date

For and on behalf of Board of Directors

For **RADS & CO**
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 320298E)

MADHU S NAIR
Chairman
(DIN 07376798)

JOSE V J
Director & I/c Chief Financial Officer
(DIN 08444440)

Dhiraj Kumar Agarwal
Partner
(Membership No. 067872)

RAJESH GOPALAKRISHNAN
Chief Executive Officer

KIRAN K A
Company Secretary
M. No. A36050

Kolkata
May 18, 2021

Kochi
May 07, 2021

Statement of cash flows

for the year ended 31st March, 2021

(₹ in Lakhs)

Particulars	Year ended 31st March, 2021	Year ended 31st March, 2020
A. Cash flows from operating activities:		
Profit before tax	(407.54)	(251.58)
Adjustments for:-		
Depreciation and amortisation	32.61	20.77
Finance cost		33.01
Interest income	(26.10)	(56.26)
Unwinding of security deposit	(0.03)	(0.02)
Amortisation of advance lease rent	0.66	0.66
Other non cash items	30.74	(33.01)
Operating Profit before changes in non-current/current assets and liabilities	(369.66)	(286.43)
Adjustments for:		
(Increase) / Decrease in Other Financial Assets	0.94	70.49
(Increase) / Decrease in Other Current Assets	(251.66)	(470.11)
(Increase) / Decrease in Financial Assets	(0.03)	(0.02)
(Increase) / Decrease in Other Non-Current Assets	208.72	(207.69)
Increase / (Decrease) in Other Financial Liabilities	219.31	116.72
Increase / (Decrease) in Other Current Liabilities	17.50	16.59
Increase / (Decrease) in Current Provisions	2,122.75	499.28
Cash generated from/(used in) operations	1,947.86	(261.17)
Income Tax Paid	(6.54)	(23.29)
Net cash from/(used in) operating activities	1,941.32	(284.46)
B. Cash flows from investing activities		
Purchase of Property Plant and Equipment	(0.07)	(12.71)
(Increase)/Decrease in Capital WIP	(8,570.41)	(3,290.78)
Unwinding of Security deposit	0.03	0.02
Interest received	25.81	69.29
(Investment in) / Redemption of Term Deposits	(5.61)	1,106.11
Net cash from/(used in) investing activities	(8,550.25)	(2,128.07)
C. Cash flows from financing activities		
Lease rent received	-	(1.81)
Lease rent paid	-	12.03
Proceeds from issue of rights shares	2,800.00	-
Proceeds from issue of preference shares	5,600.00	-
Proceeds from avilment of short term loan	1,000.00	-
Repayment of Short term loan	(1,000.00)	-
Net cash from/(used in) financing activities	8,400.00	10.22
Net increase / (decrease) in cash and cash equivalents	1,791.07	(2,402.31)
Opening cash and cash equivalents	1,830.50	4,232.81
Closing cash and cash equivalents (refere note 10)	3,621.57	1,830.50
Notes forming part of the financial statements		1-32

In terms of our report of even date

For and on behalf of Board of Directors

For **RADS & CO**
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 320298E)

MADHU S NAIR
Chairman
(DIN 07376798)

JOSE V J
Director & I/c Chief Financial Officer
(DIN 08444440)

Dhiraj Kumar Agarwal
Partner
(Membership No. 067872)

RAJESH GOPALAKRISHNAN
Chief Executive Officer

KIRAN K A
Company Secretary
M. No. A36050

Kolkata
May 18, 2021

Kochi
May 07, 2021

Statement of Changes in Equity

for the year ended 31st March, 2021

(₹ in Lakhs)

A. Equity Share Capital

Balance as at 1st April, 2020	Changes during the year	Balance as at 31st March, 2021
2,200.00	2,800.00	5,000.00
Balance as at 1st April, 2019	Changes during the year	Balance as at 31st March, 2020
2,200.00	-	2,200.00

B. Other Equity

(₹ in Lakhs)

	Retained Earnings	Total
Balance as at 1st April, 2020	(419.02)	(419.02)
Profit / (Loss) for the year	(315.70)	(315.70)
Other comprehensive income for the year	-	-
Total comprehensive income for the year	(315.70)	(315.70)
Balance as at 31st March, 2021	(734.72)	(734.72)

	Retained Earnings	Total
Balance as at 1st April, 2019	(170.26)	(170.26)
Profit / (Loss) for the year	(248.76)	(248.76)
Other comprehensive income for the year	-	-
Total comprehensive income for the year	(248.76)	(248.76)
Balance as at 31st March, 2020	(419.02)	(419.02)

C. Notes forming part of the financial statements

Notes 1-32

In terms of our report of even date

For and on behalf of Board of Directors

For **RADS & CO**
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 320298E)

MADHU S NAIR
Chairman
(DIN 07376798)

JOSE V J
Director & I/c Chief Financial Officer
(DIN 08444440)

Dhiraj Kumar Agarwal
Partner
(Membership No. 067872)

RAJESH GOPALAKRISHNAN
Chief Executive Officer

KIRAN K A
Company Secretary
M. No. A36050

Kolkata
May 18, 2021

Kochi
May 07, 2021

Notes

to Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 1 : Significant Accounting Policies

1.1 Statement of compliance

These financial statements have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 read with Section 133 of the Companies Act, 2013. In accordance with the notification issued by the Ministry of Corporate Affairs, the holding Company, Cochin Shipyard Limited, has adopted Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 with effect from 1st April, 2016. The company HCSL has prepared its financial statements in accordance with Ind AS as applicable to its holding company Cochin Shipyard Limited which has decisive majority of its equity share capital.

1.2 Basis of preparation of financial statements

The financial statements have been prepared under the historical cost convention with the exception of certain assets and liabilities that are required to be carried at fair value by Ind AS.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

1.3 Use of estimates and judgements

The preparation of the financial statements in conformity with Ind AS requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities and disclosures as at date of the financial statements and the reported amounts of the revenues and expenses for the years presented. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

1.4 Critical accounting estimates and judgements

The application of significant accounting policies that require critical accounting estimates involving complex and subjective judgements and the use of assumptions in the financial statements have been disclosed below:

Useful lives of property, plant and equipment

The Company reviews the estimated useful lives and residual values of property, plant and equipment at the end of each reporting period. Assumptions are also made as to whether an item meets the description of asset so as to warrant its capitalisation and which component of the asset may be capitalised. Reassessment of life may result in change in depreciation expense in future periods.

Valuation of deferred tax assets and liabilities

The Company reviews the carrying amount of deferred tax assets at the end of each reporting period. Significant judgements are involved in determining the elements of deferred tax items. Also, in this connection Note no.1.16 on Deferred tax may be referred to.

Recognition and measurement of provisions

The recognition and measurement of provisions are based on the assessment of the probability of an outflow of resources and on past experience and circumstances known at the balance sheet date. The actual outflow of resources at a future date may therefore vary from the figure included in provisions.

Contingencies and commitments

The normal course of business may give rise to circumstances that have the potential to cast future liabilities on the company resulting in outflow of resources in the future. These circumstances may include claims against the Company that are disputed by it. The crystallization of such liabilities and their quantum depend upon the outcome of certain events, viz. judgements in lawsuits that cannot be predicted. These liabilities are not recognized in the financial statements, but the circumstances that give rise to them are disclosed as part of the notes thereto.

Recoverability of advances / receivables

The Company makes provision for expected credit loss based on assessment of the recoverability of

Notes

to Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

trade and other receivables. The identification of doubtful debts requires use of judgement and estimates. Where the expectation is different from the original estimate, such difference will impact the carrying value of the trade and other receivables and expenses on account of provision for doubtful debts in the period in which such estimate has been changed. At each Balance Sheet date, based on historical default rates observed over expected life, the management assesses the expected credit loss on outstanding receivables and advances.

Fair value measurement

Management applies valuation techniques to determine the fair value of financial instruments (where active market quotes are not available) and non financial assets. This involves developing estimates and assumptions consistent with how market participants would price the instruments. Management bases its assumptions on observable data as far as possible but this is not always available. In that case management uses the best information available. Estimated fair values may vary from the actual prices that would be achieved in arms length transaction at the reporting date.

1.5 Leases

As a lessee

Leases are classified as finance leases whenever the terms of lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. Leases where a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases.

(i) Accounting for Leases

The Company in accordance with the relevant applicable accounting standards has identified the leased out assets that conveys the holder of the asset for the Right of Use of the identified asset either explicitly or implicitly in the contract that contains the lease agreement for a period of time in exchange for a consideration.

(ii) Recognition of Right of Use and Lease Liability

The Right of Use (ROU) for the identified asset and equivalent lease liability for the period of lease are

recognized at the inception of the lease and disclosed in the Balance sheet. ROU will be measured at cost and lease liability at the present value of the lease payments that are not paid at the initial recognition date. The present value of lease liability is determined using the interest rate implicit in the lease or incremental borrowing rate as applicable. Such lease accounting is not applied in cases where the lease term is of shorter term of less than 12 months or for which the underlying value is low.

The ROU arrived at shall be remeasured in subsequent periods at cost less accumulated amortisation and impairment. The lease liability shall be remeasured subsequently at amortised cost using the effective interest rate method.

As a lessor

Lease income is recognised based on the lease agreements and is charged to the standalone statement of Profit or Loss.

1.6 Property, Plant and Equipment (PPE)

PPE are initially recognised at cost. The initial cost of PPE comprises its purchase price, and any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management including non refundable duties and taxes net of any trade discounts and rebates. The cost of PPE also includes interest on borrowings (borrowing cost directly attributable to acquisition, construction or production of qualifying assets) upto initial recognition. PPE are stated at cost less accumulated depreciation (other than freehold land which are stated at cost) and impairment losses, if any.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the items are material and can be measured reliably. The carrying amount of any component accounted for as a separate asset is derecognised when it is replaced. All other expenses on repairs and maintenance are charged to Statement of profit and loss during the reporting period in which they are incurred.

Notes

to Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

1.7 Capital work in progress

Capital work in progress are items of Property, Plant and Equipment that are under construction or development and are not yet ready for their intended use at the reporting date. These are carried at cost comprising direct cost, related incidental expenses and attributable borrowing cost.

1.8 Intangible Assets

Up-front fees and/or other consideration paid for securing right to use of land and other facility is capitalized as intangible asset and amortised on a straight line basis over the period for which the right is acquired, commencing from the date on which the right becomes capable of being exercised.

1.9 Depreciation

Depreciation on property, plant & equipment is provided on straight line method based on useful life of the asset as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013.

An item of property, plant & equipment and any significant part initially recognised is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain/loss arising on derecognition of the asset is included in the standalone Statement of Profit or loss when the asset is derecognised. Fully depreciated assets still in use are retained in standalone financial statements at residual value.

Depreciation method, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date and adjusted prospectively, if appropriate.

Management believes that useful life of the assets are same as those prescribed under Schedule II to the Act except for certain types of buildings and equipments where in based on technical evaluation, useful life has been estimated to be different from that prescribed in the said Schedule II. Useful lives considered for calculation of depreciation for various asset classes are as follows:

Asset Class	Useful Life
Buildings	3-60 years
Plant & Equipment	5-15 years
Furniture & Fixtures	8-10 years
Data processing equipments	3-6 years

1.10 Financial instruments

Financial assets and liabilities are recognised when the entity becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets and liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value measured on initial recognition of financial asset or financial liability.

Financial assets at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if these financial assets are held within a business whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows that give rise on specified dates to solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding, and by selling financial assets.

Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL)

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortised cost or at fair value through other comprehensive income on initial recognition. The transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss are immediately recognised in profit or loss.

Financial assets at amortised cost

Financial assets are subsequently measured at amortised cost if these financial assets are held within a business whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Cash and cash equivalents

The Company considers all highly liquid financial instruments, which are readily convertible into known

Notes

to Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

amounts of cash that are subject to an insignificant risk of change in value and having original maturities of three months or less from the date of purchase, to be cash equivalents. Cash and cash equivalents consist of balances with banks which are unrestricted for withdrawal and usage.

Financial liabilities

Financial liabilities are measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Off setting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are set off and the net amount is reported in financial statements if there is a currently enforceable legal right to off set the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

1.11 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent assets

A provision is recognised if, as a result of a past event, the Company has a present legal obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation. Provisions (excluding retirement benefits and compensated leave) are not discounted to its present value and are determined by the best estimate of the outflow of economic benefits required to settle the obligation at the reporting date. These are reviewed at each reporting date adjusted to reflect the current best estimates.

Contingent assets are not disclosed in the financial statements unless an inflow of economic benefits is probable.

1.12 Revenue Recognition

Others

Other income earned is recognised on accrual basis.

1.13 Employee Benefits

Employee benefits consists of salaries and wages and contribution to provident fund. As the company at present has employees appointed on contractual basis on fixed

term employment, the requirement of contribution to superannuation fund, medical assistance and compensated absences does not arise.

1.14 Borrowing costs

General and specific borrowing costs directly attributable to acquisition/construction or production of qualifying assets (net of income earned on temporary deployment of funds) are capitalised as part of cost of such assets up to the date when such assets are ready for intended use. A qualifying asset is one that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use. All other borrowing costs are charged to the statement of Profit/Loss in the period in which they are incurred.

1.15 Prior Period Adjustments

Prior period adjustments due to errors having material impact on the financial affairs of the company are corrected retrospectively by restating the comparative amounts for the prior periods presented in which the error occurred or if the error occurred before the earliest financial period presented, by restating the opening statement of financial position.

1.16 Taxes on Income

Income tax

Income tax expense comprises current tax expense and the net change in the deferred tax asset or liability during the year. Current and deferred taxes are recognised in Statement of Profit and Loss, except when they relate to items that are recognised in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Current tax

Current tax is measured at the amount of tax expected to be payable on the taxable income for the year as determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. Current tax assets and current tax liabilities are set off when there is a legally enforceable right to set off the recognized amounts and there is an intention to settle the asset and the liability on a net basis.

Notes

to Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Deferred tax

Deferred income tax is recognised using the Balance Sheet approach. Deferred income tax assets and liabilities are recognised for deductible and taxable temporary differences arising between the tax base of assets and liabilities and their carrying amount, except when the deferred income tax arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and affects neither accounting nor taxable profit or loss at the time of the transaction.

1.17 Earnings Per Share

Basic and diluted earnings per share are calculated by dividing the net profit attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares/dilutive potential equity shares outstanding as at the end of the reporting period as the case may be.

1.18 Cash flow statement

Cash flows are reported using the Indirect Method, whereby profit/loss before tax is adjusted for the effect of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments and items of income or expenses associated with investing or financial cash flows. Cash flows from operating, investing and financial activities of the Company are segregated based on the available information.

For the purpose of cash flow statement, Cash and cash equivalent comprise cash at banks and on hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less, which are subject to an insignificant risk of changes in value, net of outstanding bank overdrafts, if any. Bank overdrafts are disclosed within borrowings in current liabilities in the Balance Sheet.

Notes

to Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 2 : Property, Plant and Equipment

2.1 Tangible Assets

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross Block			Depreciation			Net Block			
	As at 1st April, 2020	Additions during the period	Disposals during the period	As at 31st March, 2021	As at 1st April, 2020	For the period	Disposals during the period	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Buildings	26.81	-	-	26.81	11.08	8.49	-	19.57	7.24	15.73
Plant and Equipment	1.90	-	-	1.90	0.06	0.12	-	0.18	1.72	1.84
Furniture and Fixtures	0.28	-	-	0.28	0.05	0.03	-	0.08	0.20	0.23
Office Equipments	0.17	-	-	0.17	0.02	0.03	-	0.05	0.12	0.15
Data Processing Equipments	7.65	0.07	-	7.72	3.33	2.43	-	5.76	1.96	4.32
Total	36.81	0.07	-	36.88	14.54	11.10	-	25.64	11.24	22.27
Previous Year	24.63	12.18	-	36.81	4.08	10.46	-	14.54	22.27	

2.2 Intangible Assets

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross Block			Depreciation			Net Block			
	As at 1st April, 2020	Additions during the period	Disposals during the period	As at 31st March, 2021	As at 1st April, 2020	For the period	Disposals during the period	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Software	0.53	-	-	0.53	0.01	0.17	-	0.18	0.35	0.52
Total	0.53	-	-	0.53	0.01	0.17	-	0.18	0.35	0.52
Previous Year	-	0.53	-	0.53	-	0.01	-	0.01	0.52	

Note 3 : Right of Use Assets

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross Block			Depreciation			Net Block			
	As at 1st April, 2020	Additions during the period	Disposals during the period	As at 31st March, 2021	As at 1st April, 2020	For the period	Disposals during the period	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Value of Right of use - Land at Nazirgunge (5.31 Acres)	128.36	-	-	128.36	2.18	2.18	-	4.36	124.00	126.18
Value of Right of use - Land at Nazirgunge (10.45 Acres)	248.86	-	-	248.86	3.16	4.24	-	7.40	241.46	245.70
Value of Right of use - Land at Salkia (9.91 Acres)	-	228.91	-	228.91	-	4.90	-	4.90	224.01	-
Total	377.22	228.91	-	606.13	5.34	11.32	-	16.66	589.47	371.88
Previous Year	-	377.22	-	377.22	-	5.34	-	5.34	371.88	

Notes

to Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 4 : Intangible Assets (Value of Leasehold Land)

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross Block			As at 31st March, 2021	Depreciation			Net Block		
	As at 1st April, 2020	Additions during the period	Disposals during the period		As at 1st April, 2020	For the period	Disposals during the period	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Leased Land at Nazirgunge (5.31 Acres)-Right to use	118.94	-	-	118.94	2.22	1.98	-	4.20	114.74	116.72
Leased Land at Nazirgunge (10.45 Acres)-Right to use	234.07	-	-	234.07	2.98	3.96	-	6.94	227.13	231.09
Leased Land at Salkia (9.91 Acres)-Right to use	-	221.99	-	221.99	-	4.09	-	4.09	217.90	-
Total	353.01	221.99	-	575.00	5.20	10.03	-	15.22	559.77	347.81
Previous Year	118.94	234.07	-	353.01	0.24	4.96	-	5.20	347.81	

Note 5 : Capital work-in-progress

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Project Management fees and miscellaneous capital expenditure	12,211.97	3,641.56
Total	12,211.97	3,641.56

The company has availed of services of personnel from its holding company, Cochin Shipyard Limited, on secondment basis towards activities carried out for the augmentation of the project. The company accounts for the costs incurred on the above personnel on "Cost to Company" (CTC) basis which is to be reimbursed to the service provider. Since these costs are exclusively for refurbishment of the existing facilities, they are taken to Capital work-in-progress under the head Employee Manpower Costs, which will be capitalised on completion of the capital project.

Note 6 : Other Financial Assets: Non-Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Security deposits	0.34	0.31
Total	0.34	0.31

Note 7 : Deferred tax assets (net)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Deferred tax assets	154.48	62.64
Total	154.48	62.64

Notes

to Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 8 : Income tax assets (net)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Advance income tax (net of provision for taxation)	51.06	44.52
Total	51.06	44.52

Note 9 : Other non-current assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Unsecured, considered good		
Security deposits	9.91	11.22
Other long term advances	-	429.39
Advance lease rental	37.75	38.41
Total	47.66	479.02

Note 10 : Cash and Cash equivalents

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Balance with Banks		
- In current account	7.31	84.79
- Term deposits with original maturity of less than three months	3,614.26	1,745.71
Total	3,621.57	1,830.50

Note 11 : Bank balances other than Cash and cash equivalents

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months	105.61	100.00
Total	105.61	100.00

Note 12 : Other Financial Assets - Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Interest accrued on fixed deposits	6.09	6.75
Total	6.09	6.75

Notes

to Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 13 : Other Current Assets

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
Unsecured advances		
Miscellaneous deposits (Unutilised GST Input Credit)	709.44	147.74
Prepaid expenditure	0.92	5.69
Miscellaneous current assets	63.60	368.87
Total	773.96	522.30

Supportings to Note 5-12

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
Schedule to Note 5 Deferred tax Assets		
Deferred Tax Assets	1,54,48,151.82	62,64,452.52
Sub total of above	1,54,48,151.82	62,64,452.52

Schedule to Note 6 Financial Assets

Present value of Security Deposit paid to M/s HDPEL	33,545.00	30,846.00
Sub total of above	33,545.00	30,846.00

Schedule to Note 7 Other non-current assets

Security deposits		
Telephone Deposit	5,249.00	5,249.00
Security Deposit -CESC Nazirgunge	3,60,484.06	4,74,845.73
Security Deposit -CESC Salkia	2,84,769.13	3,02,330.85
Security Deposit -Regus	2,40,000.00	2,40,000.00
Security Deposit-Balmer Lawrie Ltd	1,00,000.00	1,00,000.00
Security Deposit -NSDL	-	-
	9,90,502.19	11,22,425.58

Other Long term advances

Mobilisation Advance-1 to M/s Tribeni Constructions Ltd	-	94,75,199.00
Mobilisation Advance-2 to M/s Tribeni Constructions Ltd	-	1,12,64,537.00
Advance for lease hold rights	-	2,21,98,800.00
	-	4,29,38,536.00

Sub total of above	9,90,502.19	4,40,60,961.58
---------------------------	--------------------	-----------------------

Fair value of advance lease rentals net of amortisation	37,75,224.00	38,41,456.00
---	--------------	--------------

Sub Total (A)	37,75,224.00	38,41,456.00
----------------------	---------------------	---------------------

Total of above schedule No.7	47,65,726.19	4,79,02,417.58
-------------------------------------	---------------------	-----------------------

Security Deposit -CDSL		
------------------------	--	--

Total of above		9,58,04,835.16
-----------------------	--	-----------------------

Schedule to Note 8 Balance with Banks

In Current A/cs		
Bank Accounts--Federal Bank	5,42,654.72	6,38,053.00

Notes

to Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
Bank Accounts--SBI	1,88,232.62	78,41,091.12
Sub Total (A)	7,30,887.34	84,79,144.12

Term Deposits with original maturity of less than 3 months

State Bank of India	36,14,25,898.00	17,45,71,330.00
State Bank of India, Commercial Branch Kolkata		
Federal Bank	-	-
Vijaya Bank	-	-
Sub total (A)	36,14,25,898.00	17,45,71,330.00

Note 9 : Bank balances other than cash and cash equivalents

Term Deposits with original maturity of more than 3 months		
Federal Bank Ltd		
The Federal Bank Ltd	1,05,60,728.00	1,00,00,000.00
Union Bank of India	-	-
State Bank of India	-	-
Sub Total	1,05,60,728.00	1,00,00,000.00

Note 10 : Other Financial Assets - Current

Interest accrued on Term Deposit with Bank	6,09,022.00	6,74,538.00
Total	6,09,022.00	6,74,538.00

Note 11 : Current tax assets (net)

Tax Deducted at source AY 2018-19	-	-
Tax Deducted at source AY 2019-20	19,37,743.00	19,37,743.00
Tax Deducted at source AY 2020-21	25,21,871.00	25,14,620.00
Tax Deducted at source AY 2021-22	5,78,831.00	
Tax Collected at Source on supplies	67,807.00	
Sub Total	51,06,252.00	44,52,363.00

Note 12 : Other Current Assets

Miscellaneous deposits (Unutilised GST Input Credit)		
Input CGST unutilised	1,32,60,972.75	42,65,647.17
Input SGST unutilised	1,32,60,972.75	42,65,647.17
Input IGST unutilised	4,44,21,697.00	62,42,756.00
Sub Total	7,09,43,642.50	1,47,74,050.34

Lease Rent pending adjustment payable to GOI	55,00,774.00	10,14,708.00
Amount recoverable from M/s HDPEL	3,62,164.00	2,50,000.00
Imprest advance to Mr.Sivaprasad. S.P Code No.0001	25,000.00	
Employee vendor advance recoverable from Mr.Saheb Guha Roy	-	683.00
Employee vendor advance recoverable from Mr.P.N.Manikumar	-	1,102.00
Employee vendor advance recoverable from Mr.Girish.K.R	-	556.00

Notes

to Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

	(₹ in Lakhs)	
	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
Employee vendor advance recoverable from Mr.Sivaprasad.S.P	-	449.00
Employee vendor advance recoverable from Mr.Punyabrata Mazumder	-	408.00
Employee vendor advance payable to Mr.Samrat Basu	-	149.00
Employee vendor advance payable to Mr.Joydeep Goswami	-	(452.00)
Advance to M/s NSDL	2,655.00	0.00
Advance to M/s CDSL	1,180.00	
Advance to M/s Link In time India Pvt Ltd	1,180.00	
Interest Receivable on S.D with CESC	38,715.19	39,575.00
Lease Rent receivable from contractors	-	-
Accrued interest on Mobilisation advance to M/s Tribeni Constructions Ltd	-	1,24,296.00
Secured advance against materials to M/s Tribeni Constructions Ltd	1,57,52,640.00	1,57,87,351.00
RA Bill advance to M/s Tribeni Constructions Ltd	-	58,99,998.00
Advance against material supply to M/s Unique Industrial Handlers Pvt Ltd	-	50,81,472.00
Advance against material supply to M/s Electromech Material Handlings systems	59,29,570.00	97,00,695.00
Advance against material supply to M/s Impression System & Engineers Pvt Ltd	1,72,08,901.00	
Capital Advance set off against provisions	-	
M/s Tribeni constructions Ltd	(1,57,52,640.00)	
M/s Impression System & Engineers Pvt Ltd	(1,72,08,901.00)	
Sub Total	1,18,61,238.19	3,79,00,990.00
Advance towards Security deposit		
M/s Hooghly Cochin Shipyard Ltd		
Prepaid expenditure		
Prepaid Expenditure for rent to M/s Regus	91,600.00	99,140.00
Prepaid Expenditure-Insurance	0.00	
Prepaid Expenditure for listing expenses to M/s CDSL	-	-
Prepaid Expenditure for listing expenses to M/s NSDL	-	-
Prepaid expenditure towards Bank charges for issue of BG against SCI Tender	-	24,150.00
Prepaid expenditure for Group Medical insurance to HCSL employees	-	4,46,005.00
Sub Total	91,600.00	5,69,295.00
Total		

Notes

to Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 14 : Equity Share Capital

Particulars	As at 31st March, 2021		As at 31st March, 2020	
	Number	₹ in lakhs	Number	₹ in lakhs
Authorised				
Equity shares of ₹ 10/- each	6,90,00,000	6,900	2,50,00,000	2,500
Preference shares of ₹ 10/- each	5,60,00,000	5,600	-	-
	12,50,00,000	12,500	2,50,00,000	2,500
Issued, Subscribed and Fully paid up				
Equity shares of ₹ 10 each fully paid up				
For Cash	5,00,00,000	5,000	2,20,00,000	2,200
For Consideration other than cash	-	-	-	-
Total	5,00,00,000	5,000.00	2,20,00,000	2,200.00

14.1 Reconciliation of number of shares and amounts outstanding

Particulars	As at 31st March, 2021		As at 31st March, 2020	
	Number	₹ in lakhs	Number	₹ in lakhs
Equity Shares outstanding at the beginning of the year	2,20,00,000	2,200.00	2,20,00,000	2,200.00
Add : shares issued during the year	2,80,00,000	2,800.00	-	-
Equity Shares outstanding at the end of the year	5,00,00,000	5,000.00	2,20,00,000	2,200.00

Rights, Preferences and Restrictions attaching to Equity shares: The Company has only one class of equity shares having a face value of ₹ 10 per share which is fully paid up. Equity shareholders are eligible for one vote per share held, and are entitled to dividends as and when declared by the Company. Interim dividend is paid as and when declared by the Board. Final dividend proposed/declared by the Board of Directors is subject to approval/regularisation by the share holders in the Annual General meeting. All dividends are paid in Indian Rupees. In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the company after distribution of all preferential amounts, in proportion to their shareholding.

14.2 Details of shares held by holding company

Particulars	As at 31st March, 2021		As at 31st March, 2020	
	No. of Shares held	₹ in lakhs	No. of Shares held	₹ in lakhs
Cochin Shipyard Limited (Holding Company): Holds 100% Equity Share Capital	5,00,00,000	5,000.00	2,20,00,000	2,200.00
Total	5,00,00,000	5,000.00	2,20,00,000	2,200.00

14.3 Details of shareholders holding more than 5% shares in the company

Particulars	As at 31st March, 2021		As at 31st March, 2020	
	No. of Shares held	% of holding	No. of Shares held	% of holding
Cochin Shipyard Limited	5,00,00,000	100	2,20,00,000	100
Total	5,00,00,000	100	2,20,00,000	100

Notes

to Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

14.4 Details of shares issued for consideration other than cash

Particulars	As at 31st March, 2021		As at 31st March, 2020	
	No. of Shares held	% of holding	No. of Shares held	% of holding
Hooghly Dock and Port Engineers Limited	-	-	-	-

Equity share holding pattern

The Company's JV shareholder HDPEL holding 26% of the share capital totalling to 57,20,000 shares of ₹10/ each amounting to ₹5.72 crore has transferred its entire shares to the majority shareholder Cochin Shipyard Limited pursuant to the Union Cabinet approval. As a result, the entire share capital is at present held by Cochin Shipyard Limited with effect from November 01, 2019.

Note 15: Other Equity

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Retained Earnings		
Surplus (Balance in Statement of Profit and Loss):		
Balance Brought Forward from Last Year's Account	(419.02)	(170.26)
Add: Profit / (Loss) for the year	(315.70)	(248.76)
Balance carried forward to next year's account	(734.72)	(419.02)

Note 16 : Non-Current Borrowings

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Unsecured		
1. Debentures		
4,40,000 Nos. (2020: 4,40,000 Nos) 6.5% Unsecured Redeemable Non-convertible Debentures of ₹ 1,000/- each	4,400.00	4,400.00
2. Loan from Related Parties		
5,60,00,000 (2020: Nil) 6% Cumulative Redeemable Preference Shares of ₹10/ each	5,600.00	-
3. Lease Obligations	649.37	389.74
Total	10,649.37	4,789.74

Note:

1) Debentures

The Company had issued 4,40,000, 6.5% unsecured redeemable debentures of ₹ 1000 each, with interest rate of 6.50% per annum payable annually, to Cochin Shipyard Limited. The debentures are due for redemption on 16th September 2023.

2) Cumulative Redeemable Preference Shares

Preference Share is treated as financial liability as per Ind AS 32, as these are redeemable on maturity for a fixed determinable amount and carry fixed rate of dividend

Notes

to Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

(i) Rights, preferences and restrictions attached to Preference shares:

The Company has one class of preference shares i.e. Cumulative Redeemable Preference Shares (CRP Shares) of ₹ 10 per share

(ii) Preference Shares held by Holding Company

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
5,60,00,000 (2020: Nil) 6% Cumulative Redeemable Preference Shares of ₹10/- each, held by Cochin Shipyard Limited, the Holding Company	5,600.00	-
Total	5,600.00	-

(iii) Details of Preference shareholders holdings more than 5% shares

Name of Preference Shareholder	As at 31st March, 2021		As at 31st March, 2020	
	No. of Preference Shares Held	Percentage of Holding	No. of Preference Shares Held	Percentage of Holding
Cochin Shipyard Limited	5,600.00	100%	-	-
Total	5,600.00	100%	-	-

(iv) Preference dividend has been provisionally accrued as finance cost. However, as per the Companies Act 2013, the preference shares is treated as part of share capital and the provisions of the Act relating to declaration of Preference Dividend would be applicable. Finance cost on Preference Shares has been capitalised under Capital Work in Progress as per Ind AS 23.

3) Lease Obligations

The company has taken certain assets on lease for business purpose. In addition, the company has entered into long-term arrangements which conveys right to control the use of the identified assets resulting in recognition of right-of-use assets and lease obligations. Lease obligations represent the present value of minimum lease payments payable over the lease term.

Note 17: Other Financial Liabilities

(₹ in lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Security and other deposits	82.23	120.57
Others Payables	272.36	14.71
Total	354.59	135.28

Note 18: Other current liabilities

(₹ in lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Statutory dues	34.27	16.77
Total	34.27	16.77

Notes

to Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 19: Provisions and Contingencies

(₹ in lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Creditors for expenses		
Expenditure / contingencies	2,830.06	707.31
Total	2,830.06	707.31

Note 20 : Other Income

(₹ in lakhs)

Particulars	For the quarter ended 31.03.2021	For the quarter ended 31.12.2020	For the quarter ended 31.03.2020	Year ended 31st March, 2021	Year ended 31st March, 2020
Rent received	0.27	0.60	0.60	2.07	2.21
Interest on bank deposits	6.35	13.18	5.51	26.10	57.45
Interest from others	1.25	2.90	5.91	11.97	14.66
Miscellaneous income	0.13	0.13	0.41	0.60	2.78
Unwinding of Discount on Security Deposit	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02
Total	8.01	16.80	12.43	40.77	77.12

Note 21 : Employee Benefit expenses

(₹ in lakhs)

Particulars	For the quarter ended 31.03.2021	For the quarter ended 31.12.2020	For the quarter ended 31.03.2020	Year ended 31st March, 2021	Year ended 31st March, 2020
Employee Salaries & Allowances	6.62	3.36	6.60	19.20	20.66
Employee welfare expenses	1.21	1.52	1.60	6.08	3.05
Total	7.82	4.88	8.21	25.28	23.71

Note 22 : Finance Charges

(₹ in lakhs)

Particulars	For the quarter ended 31.03.2021	For the quarter ended 31.12.2020	For the quarter ended 31.03.2020	Year ended 31st March, 2021	Year ended 31st March, 2020
Finance Charges on lease liability (5.31 Acres)	2.87	2.87	2.81	11.49	11.23
Finance Charges on lease liability (10.45 Acres)	5.65	5.65	7.26	22.61	21.78
Finance Charges on lease liability (9.91 Acres)	41.47	-	-	41.47	-
Total	50.00	8.53	10.07	75.57	33.01

Notes

to Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 23 : Depreciation and Amortisation Expense

(₹ in lakhs)

Particulars	For the quarter ended 31.03.2021	For the quarter ended 31.12.2020	For the quarter ended 31.03.2020	Year ended 31st March, 2021	Year ended 31st March, 2020
Depreciation of Property, Plant and Equipments	2.80	2.83	2.72	11.26	10.47
Depreciation on right of use-Lease liability (5.31 Acres)	0.54	0.55	0.54	2.18	2.18
Depreciation on right of use-Lease liability (10.45 Acres)	1.06	1.06	1.05	4.24	3.16
Depreciation on right of use-Lease liability (9.91 Acres)	4.90	-	1.48	4.90	-
Amortisation of Other Intangible Assets	5.56	1.50	-	10.03	4.96
Total	14.87	5.93	5.80	32.61	20.77

Note 24 : Other Expenses

(₹ in lakhs)

Particulars	For the quarter ended 31.03.2021	For the quarter ended 31.12.2020	For the quarter ended 31.03.2020	Year ended 31st March, 2021	Year ended 31st March, 2020
Rates & Taxes	0.84	0.70	0.56	2.73	2.31
Power	4.82	2.25	4.76	14.67	21.91
Repairs and maintenance:					
Building and roads	8.36	0.00	2.00	8.74	4.43
Plant and machinery	-	-	-	-	-
Others	0.18	0.67	1.14	0.95	1.34
Docks & Quays	11.16	0.52	-	12.18	-
Travelling and conveyance expenses	1.33	-	0.96	2.42	2.93
Printing and stationery	0.03	0.73	0.10	0.90	2.08
Postage, telephone and telex	0.32	0.01	0.15	0.95	0.77
Advertisement and publicity	4.03	3.44	2.61	7.47	30.34
Lease rent paid	0.43	0.79	1.00	2.80	2.98
Hire charges	6.22	5.16	4.91	20.65	23.12
Security expenses	37.05	37.07	35.28	147.13	144.71
Auditors remuneration	2.50	0.40	1.00	3.70	2.21
Auditors remuneration for other services	-	-	0.18	-	0.24
Consultancy	3.50	0.25	1.18	4.30	4.32
Bank charges	0.09	0.46	0.18	0.71	0.23
Miscellaneous expenses	4.22	76.38	1.99	84.55	7.29
Total	85.10	128.83	57.99	314.85	251.21

Notes

to Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 25 : Earnings per Equity Share

(₹ in lakhs)

Particulars	For the quarter ended 31.03.2021	For the quarter ended 31.12.2020	For the quarter ended 31.03.2020	Year ended 31st March, 2021	Year ended 31st March, 2020
Profit / (Loss) attributable to equity holders (₹ in lakhs)	(119.80)	(101.37)	(52.16)	(315.70)	(248.76)
Weighted Average number of equity shares used for computing Earning Per Share (Basic & Diluted)	3,33,53,425	2,64,49,315	2,20,00,000	3,33,53,425	2,20,00,000
Earning Per Share (Basic and Diluted) (₹)	(0.36)	(0.20)	(0.24)	(0.95)	(1.13)
Face value per equity (in ₹)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

Sub schedule to Note-24 other expenses

No.1 Misscallaneous expenses

Particulars	For the quarter ended 31.03.2021	For the quarter ended 31.12.2020	For the quarter ended 31.03.2020	Year ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2020
Subscriptions	-	-	-	-	0.02
Filing Fees	0.03	75.03	0.01	75.08	0.10
Demat Subscription /Listing Charges	0.53	0.38	0.38	1.80	1.56
Miscellaneous Expenses	0.27	0.30	0.63	0.78	1.79
Computer Maintenance	0.03	0.03	0.04	0.16	0.20
Office Maintenance Exp	0.79	0.60	0.61	2.55	1.77
Business Development Expenditure	2.55	0.03	0.31	3.89	1.19
Exchange Fluctuation Expenses A/c.	-	-	-	-	0.18
Insurance Premium	-	-	-	-	0.03
Training expenses	-	-	-	0.22	0.03
Safety Expenses	0.03	0.02	0.01	0.07	0.43
Total	4.22	76.38	1.99	84.55	7.29

Sub schedule to Note-20 Misscallaneous Income

No.2 Misscallaneous Income

Particulars	For the quarter ended 31.03.2021	For the quarter ended 31.12.2020	For the quarter ended 31.03.2020	Year ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2020
Interest on Income Tax Refund	-	-	-	-	0.18
Non Deployment of staff-Tribeni Constructions	-	-	-	-	1.10
Income -Recruitment Fees	-	-	-	-	0.13
Income- Sales on Tender Forms	0.13	0.13	-	0.60	0.80
Income - Interest for Mob Adv	-	-	-	-	-

Notes

to Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Particulars	For the quarter ended 31.03.2021	For the quarter ended 31.12.2020	For the quarter ended 31.03.2020	Year ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2020
Security Deposit retained W/back	-	-	-	-	0.05
Liquidated damages recovered	-	-	-	-	-
Miscellaneous Income	0.00	-	-	0.00	-
Recovery of Safety Violation	-	-	-	-	0.52
Total	0.13	0.13		0.60	2.78

Note 26 : Contingencies and Commitments

(₹ in lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Commitments (To the extent not provided for)		
Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for	1,389.12	8,949.96

Note 27 : Corporate Social Responsibility (CSR) : The company does not have either any profit from its operations or net worth as prescribed under Section 135 of the companies Act,2013. As such, the Company is not required to comply with the provisions of Sec 135 of the Companies Act, 2013.

Note 28 : Related Party disclosure

a) Name of the Related Parties and their relationship

Name of the Related Party	Relationship
Cochin Shipyard Limited	Holding Company
Tebma Shipyard Ltd	Fellow Subsidiary of Holding Company
Hooghly Dock and Port Engineers Limited (till 31st October, 2019)	Associate Company
Shri Madhu S Nair, Chairman	Key Managerial Personnel
Shri Suresh Babu N V, Director	Key Managerial Personnel
Shri Bejoy Bhasker, Director	Key Managerial Personnel
Shri Jose V J, Director (from 03.08.2019)	Key Managerial Personnel
Shri Paul Ranjan D, Director (Till 31.07.2019)	Key Managerial Personnel
Shri S Balaji Arunkumar, Director (Till 29.05.2020)	Key Managerial Personnel
Shri Rajesh Gopalakrishnan, Chief Executive Officer	Key Managerial Personnel
Shri Shibu John Chief Financial Officer (Till 15.10.2020)	Key Managerial Personnel
Shri.Balakrishnan Poovathra, Chief Financial Officer (From 16.10.2020)	Key Managerial Personnel
Shri Aswin Sarma M, Company Secretary (Till 15.10.2020_	Key Managerial Personnel
Shri Kiran K A, Company Secretary (From 16.10.2020_	Key Managerial Personnel

Notes

to Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

b) Details of Related Party Transactions:

Name of related party & nature of relationship	Nature of Transactions	For the Year ended 31st March, 2021	Balance Outstanding as at 31st March, 2021	For the Year ended 31st March, 2020	Balance Outstanding as at 31st March, 2020
(A) Holding Company:					
	Employee Manpower Services (provided by Cochin Shipyard Limited - Holding Company)*	10.41	-	33	-
	4,40,000 6.5% Redeemable Non-convertible Debentures of face value of ₹1,000 each issued to Cochin Shipyard Limited (Holding Company)	-	4,400	-	4,400
Cochin Shipyard Limited	Interest on Debentures	264.55	-	-	-
	Term Loan Taken	1,000.00	-	-	-
	Accrued Dividend on Cumulative Redeemable Preference Shares	56.15	-	-	-
	Repayment of Term Loan	1,000.00	-	-	-
	Interest on Term Loan	20.12	-	-	-

* As regards reimbursement of manpower costs to Holding company Cochin Shipyard Limited, the same is accounted on cost basis since GST paid is claimed as input credit receivable.

Note 29 : Disclosures on Financial Instruments

This section gives an overview of the significance of the financial instruments for the Company and provides additional information on balance sheet items that contain financial instruments.

(a) Financial assets and liabilities

The following table presents the carrying value and fair value of each category of financial assets and liabilities as at 31st March, 2021 and 31st March, 2020:

As at 31st March, 2021

Particulars	As at 31st March, 2021					Total fair value
	Amortised Cost	Fair value through other comprehensive income	Fair Value through profit and loss	Total Carrying Value	Total fair value	
Financial Assets						
(i) Cash and Cash Equivalents	3,621.57	-	-	3,621.57	3,621.57	3,621.57
(ii) Bank balance other than (i)	105.61	-	-	105.61	105.61	105.61
(iii) Other financial assets	6.43	-	-	6.43	6.43	6.43
Total Financial Assets	3,733.60			3,733.60	3,733.60	3,733.60
Financial Liabilities						
Borrowings	10,649.37	-	-	10,649.37	10,649.37	10,649.37
Other financial liabilities	354.59	-	-	354.59	354.59	354.59
Total	11,003.96			11,003.96	11,003.96	11,003.96

Notes

to Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

As at 31st March, 2020

(₹ in lakhs)

Particulars	Amortised Cost	Fair value through other comprehensive income	Fair Value through profit and loss	Total Carrying Value	Total fair value
Financial Assets					
(i) Cash and Cash Equivalents	1,830.50	-	-	1,830.50	1,830.50
(ii) Bank balance other than (i)	100.00	-	-	100.00	100.00
(iii) Other financial assets	7.05	-	-	7.05	7.05
Total Financial Assets	1,937.55			1,937.55	1,937.55
Financial Liabilities					
Borrowings	4,789.74	-	-	4,789.74	4,789.74
Other financial liabilities	135.28	-	-	135.28	135.28
Total	4,925.02			4,925.02	4,925.02

(b) Fair value hierarchy:

The following table provides an analysis of financial instruments that are measured subsequent to initial recognition at fair value, grouped into Level 1 to Level 3, as described below:

Quoted prices in an active market (Level 1): This level of hierarchy includes financial assets that are measured by reference to quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.

Valuation techniques with observable inputs (Level 2): This level of hierarchy includes financial assets and liabilities, measured using inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e., derived from prices).

Valuation techniques with significant unobservable inputs (Level 3): This level of hierarchy includes financial assets and liabilities measured using inputs that are not based on observable market data (unobservable inputs). Fair value is determined in whole or in part, using a valuation model based on assumptions that are neither supported by prices from observable current market transactions in the same instrument nor are they based on available market data.

Particulars	As at 31st March, 2021				As at 31st March, 2020			
	Level 1	Level 2	Level 3	Total	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets								
Security Deposits	-	0.34	-	0.34	-	0.31	-	0.31
	-	0.34	-	0.34	-	0.31	-	0.31
Financial Liabilities								
Borrowings	-	10,649.37	-	10,649.37	-	4,789.74	-	4,789.74
Other Financial Liabilities	-	354.59	-	354.59	-	135.28	-	135.28
	-	11,003.96	-	11,003.96	-	4,925.02	-	4,925.02

(i) Fair value of borrowings which have a quoted market price in an active market is based on its market price which is categorised as Level 1. Fair value of borrowings which do not have an active market or are unquoted is estimated by discounting expected future cash flows using a discount rate equivalent to the risk-free rate of return adjusted for credit spread considered by lenders for instruments of similar maturities which is categorised as Level 2 in the fair value hierarchy.

Notes

to Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

- (ii) Management uses its best judgement in estimating the fair value of its financial instruments. However, there are inherent limitations in any estimation technique. Therefore, for substantially all financial instruments, the fair value estimates presented above are not necessarily indicative of the amounts that the Company could have realised or paid in sale transactions as of respective dates. As such, fair value of financial instruments subsequent to the reporting dates may be different from the amounts reported at each reporting date.
- (iii) There have been no transfers between Level 1 and Level 2 for the years ended March 31, 2021 and March 31, 2020.
- (iv) Maturity profile of Company's financial liabilities is as below:

Maturity Period	As at 31st March, 2021			
	Borrowings other than lease obligations	Lease Obligations	Other Financial Liabilities	Total Financial Liabilities
Not later than 1 year or on demand	-	42.03	354.59	396.62
Later than one year and not later than five years	4,400.00	178.87	-	4,578.87
More than 5 years	5,600.00	4,966.09	-	10,566.09
	10,000.00	5,186.99	354.59	15,541.58
Less: Future Finance Charges on Leases	-	4,537.62	-	4,537.62
	10,000.00	649.37	354.59	11,003.96

Maturity Period	As at 31st March, 2020			
	Borrowings other than lease obligations	Lease Obligations	Other Financial Liabilities	Total Financial Liabilities
Not later than 1 year or on demand	-	25.17	135.28	160.45
Later than one year and not later than five years	4,400.00	107.14	-	4,507.14
More than 5 years	-	3,077.39	-	3,077.39
	4,400.00	3,209.70	135.28	7,744.98
Less: Future Finance Charges on Leases	-	2,819.96	-	2,819.96
	4,400.00	389.74	135.28	4,925.02

Notes

to Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 30 : Segment Reporting

The Company has identified two major operating segments viz, Shipbuilding and Repair of ships/ offshore structures. The Company shall undertake segment wise analysis and allocation of costs and revenues when it commences operations.

Note 31 : Balance shown under Trade Receivables, Trade Payables, loans, and deposits claims are subject to confirmation and consequent reconciliation, if any.

Note 32 : Previous year figures have been recasted/regrouped wherever necessary to conform to the current year presentation.

In terms of our report of even date

For **RADS & CO**
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 320298E)

Dhiraj Kumar Agarwal
Partner
(Membership No. 067872)

Kolkata
May 18, 2021

For and on behalf of Board of Directors

MADHU S NAIR
Chairman
(DIN 07376798)

RAJESH GOPALAKRISHNAN
Chief Executive Officer

Kochi
May 07, 2021

JOSE V J
Director & I/c Chief Financial Officer
(DIN 08444440)

KIRAN K A
Company Secretary
M. No. A36050

NOTICE

Notice is hereby given that the 04th Annual General Meeting of the Members of Hooghly Cochin Shipyard Limited will be held at 11.00 hrs. on September 15, 2021 at CSL Board Room, Administrative Building, Cochin Shipyard Limited, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682015, to transact the following businesses:

Ordinary Business

1. To consider and adopt the audited financial statements as on 31st March 2021, and the Reports of the Board of Directors and Auditors' thereon.
2. To appoint a Director in place of Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825), who retires by rotation at this Annual General Meeting and being eligible, offers himself for re-appointment.
3. To authorize the Board of Directors to fix the remuneration of the Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for the financial year 2021-22.

By the Order of the Board of Directors
For Hooghly Cochin Shipyard Limited

Kiran K A
Company Secretary
M. No. A36050

Kochi
September 07, 2021

Notes:

1. A Member who is entitled to attend and vote at the Annual General Meeting (the Meeting) is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Company. The instrument appointing the proxy should be duly stamped, completed, signed and deposited at the Registered Office of the Company not less than forty-eight (48) hours before the commencement of the Meeting. A proxy form (MGT-11) is annexed to this Notice.
2. A person can act as a proxy on behalf of the Members not exceeding fifty (50) and holding in aggregate not more than ten percent of the total share capital of the Company carrying voting rights. In case, a proxy is proposed to be appointed by a Member holding more than ten percent of the total share capital of the Company carrying voting rights, then such person shall not act as a proxy for any other person or Shareholder.
3. Members, proxies and authorized representatives are requested to bring the duly filled attendance slip enclosed herewith along with their copy of Annual Report, to attend the Meeting. Corporate members intending to send their Authorized Representatives to attend the Meeting pursuant to Section 113 of the Companies Act, 2013 are requested to send to the Company, a certified copy of the Board Resolution or Power of Attorney or any other instrument authorizing their representative(s) to attend and vote on its behalf at the Meeting.
4. The registers maintained under the Companies Act, 2013 (post CIRP) and all documents referred to in the Notice are available for inspection by Members at the Meeting.
5. The route map to the venue of the Meeting is enclosed with this Notice.
6. This Meeting is proposed to be held outside the local limits of the Registered Office, at CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015, at a shorter notice. The request, pursuant to Section 96 and 101 of the Companies Act, 2013, for consenting to conduct the Meeting outside the local limits of the Registered Office at a shorter notice is enclosed along with this Notice and the Meeting will be held only if the consent is received from all the Members entitled to vote at the Meeting.
7. The brief details of the Director, who is seeking re-appointment, are annexed to this Notice as per the requirements of the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI).

By the Order of the Board of Directors
For Hooghly Cochin Shipyard Limited

Kiran K A
Company Secretary
M. No. A36050

Kochi
September 07, 2021

Registered Office

Administrative Building
HCSL Premises, Satyen Bose Road
P.O. Danesh Shaikh Lane, Nazirgunge
Howrah, West Bengal – 711 109
CIN: U35900WB2017GOI223197
e-mail: secretary.hcsl@cochinshipyard.in

FORM NO. MGT-11

Proxy Form

[Pursuant to Section 105(6) of the Companies Act, 2013 and Rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

Venue of the Meeting : CSL Board Room, Administrative Building, Cochin Shipyard Limited, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015

Day, Date and Time : September 15, 2021 at 11.00 hrs.

Name of Member(s)	
Registered Address	
E-mail Id	
Ledger Folio No.	

I/We, being the Member(s) of Hooghly Cochin Shipyard Limited holding _____ shares, hereby appoint:

1.

Name:	
Address:	
E-mail Id:	
Signature:	

or failing him/her

2.

Name:	
Address:	
E-mail Id:	
Signature:	

or failing him/her

3.

Name:	
Address:	
E-mail Id:	
Signature:	

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the 04th Annual General Meeting of Members of the Company, to be held on Wednesday, September 15, 2021 at 11.00 hrs. at CSL Board Room, Administrative Building, Cochin Shipyard Limited, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015, and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

Sl. No.	Resolution	For	Against
Ordinary Business			
1.	To consider and adopt the audited financial statements as on 31st March 2021, and the Reports of the Board of Directors and Auditors' thereon.		
2.	To appoint a Director in place of Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825), who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.		
3.	To authorize the Board of Directors to fix the remuneration of the Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for the financial year 2021-22.		

Signed this day of..... 2021

Signature of Shareholder

Signature of Proxy holder(s)

Affix
Revenue
Stamp

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

ATTENDANCE SLIP

Venue of the Meeting : CSL Board Room, Administrative Building, Cochin Shipyard Limited, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015

Day, Date and Time : Wednesday, September 15, 2021 at 11.00 hrs.

PLEASE FILL ATTENDANCE SLIP AND HAND IT OVER AT THE ENTRANCE OF THE MEETING VENUE


Name of the Shareholder(s)	
Registered Address	
E-mail Id	
Ledger Folio No.	
No. of shares held	

I certify that I am the registered Shareholder(s)/Proxy for the registered Shareholder of the Company.

I hereby record my presence at the 04th Annual General Meeting of the Company on Wednesday, September 15, 2021 at 11.00 hrs. at CSL Board Room, Administrative Building, Cochin Shipyard Limited, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015.

Signature of the Shareholder or Proxy

ROUTE MAP TO THE VENUE OF THE MEETING



CONSENT OF SHAREHOLDER

[Pursuant to Section 96 and 101 of the Companies Act, 2013]

To
The Board of Directors
Hooghly Cochin Shipyard Limited
Administrative Building, HCSL Premises
Satyen Bose Road, P.O. Danesh Shaikh Lane
Nazirgunge, Howrah, West Bengal – 711 109

I, _____, son of _____, resident of _____, holding _____ equity shares of Rs. 10/- each in the Company, hereby give consent, pursuant to Section 96 and 101 of the Companies Act, 2013, to hold the 04th Annual General Meeting (AGM) of the Company on September 15, 2021 outside the local limits of the Registered Office at CSL Board Room, Administrative Building, Cochin Shipyard Limited, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015 at a shorter notice.

Place:
Date:

Signature:
Name:

DETAILS OF DIRECTOR SEEKING RE-APPOINTMENT AT THIS MEETING

[Pursuant to the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI)]

Name of the Director	Shri Bejoy Bhasker
DIN	08103825
Age & Date of Birth	56 years; May 07, 1965
Qualifications	Shri Bejoy Bhasker holds a Degree of Bachelor of Technology (Mechanical) from the University of Kerala with First Rank and Gold Medal. He also holds a Degree of Master of Technology (Mechanical) from the Indian Institute of Technology, Madras. He completed Advanced Diploma in Management from Indira Gandhi National Open University.
Experience	Shri Bejoy Bhasker is the Director (Technical) of Cochin Shipyard Limited (CSL), the Holding Company. He has more than 33 years of work experience across areas such as Ship Design, Ship Building, Outfit and Ship Repair. He is also a Director in Tebma Shipyards Limited (TSL), the other wholly owned subsidiary of CSL.
Terms and conditions of re-appointment	Shri Bejoy Bhasker was appointed as one of the Directors nominated by CSL. Approval of the Members is sought for continuation of office of directorship of Shri Bejoy Bhasker till such time his nomination is withdrawn. As per the terms of re-appointment, he is liable to retire by rotation as per the provisions of the Companies Act, 2013.
Details of remuneration sought to be paid on re-appointment and last drawn (FY 2020-21)	Nil
Date of first appointment on the Board	April 25, 2018
No. of shares held in the Company	10 (Shares are held on behalf of CSL)
Relationship with other Directors and Key Managerial Personnel	Nil
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2020-21	5/5
Directorships in other Public Limited Companies (excluding foreign companies, private companies & Section 8 companies)	(1) Cochin Shipyard Limited (2) Tebma Shipyards Limited
Membership / Chairmanship of Committees in other Public Limited Companies*	Nil

*Membership / Chairmanship of only the Audit Committee and Stakeholders Relationship Committee have been considered.

ADDENDUM TO THE NOTICE FOR THE 04TH ANNUAL GENERAL MEETING

Reference is invited to the Notice issued on September 07, 2021, for the 04th Annual General Meeting of the Members of Hooghly Cochin Shipyard Limited scheduled at 11.00 hrs. on Wednesday, September 15, 2021.

In view of the COVID-19 Pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (“MCA”) vide its Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 read with Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, Circular No.14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, and all other relevant Circulars issued from time to time (collectively referred to as “MCA Circulars”), permitted the holding of the Annual General Meeting (“AGM”) through Video Conferencing (“VC”) / Other Audio Visual Means (“OAVM”), without the physical presence of the Members at a common venue. In view of these MCA Circulars, the Company is providing the facility of attending the 04th AGM through VC/OAVM. Members and other invitees may attend the said AGM through electronic mode by clicking the link given below:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a29c6785367da42dba39027c348e04e72%40_thread.tacv2/1631524347059?context=%7b%22id%22%3a%22cce1a75b-ed28-41dc-82be-a567eb912f7f%22%2c%22oid%22%3a%2250a85616-fca8-43cd-a899-0719a2f7c3b3%22%7d

The attendance of the Members in the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The designated e-mail id for casting the votes in case of a poll is secretary.hcsl@cochinshipyard.in.

Kindly make it convenient to attend the meeting.

For Hooghly Cochin Shipyard Limited

Kiran K A
Company Secretary
M. No. A36050

Kochi
September 14, 2021



HOOGHLY COCHIN SHIPYARD LIMITED
(A Cochin Shipyard Company)

Registered Office:

Administrative Building
HCSL Premises, Satyen Bose Road
P.O. Danesh Shaikh Lane, Nazirgunge
Howrah, West Bengal – 711 109
CIN: U35900WB2017GOI223197

